खण्ड-349, अंक-9
मंगलवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(10 मार्च, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.1207-1210
प्रश्नोत्तर	.1211-1288
मऊरानीपुर में राज्य हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों का कपड़ा क्रय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1288
टाण्डा के वाष्प विद्युत प्रतिष्ठान में कोल हैंडलिंग उपकरण बनाने हेतु लिये गये टेन्डर में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1288-1289
जनपद पौड़ी एवं चमोली में मद्य-निषेध के बावजूद संजीवनी सुरा व टिंचर जिंजर विक्रय के लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1289
ग्राम सकतपुर, जिला मुरादाबाद निवासी श्री लल्लू सिंह द्वारा सिंघाड़िया जाति के लोगों के साथ अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1289-1290
गोरखपुर वन प्रभाग के मजदूर प्रतिनिधियों द्वारा विधान भवन के सामने अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1290
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को कैम्प जेल चुनार की जल यातना से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी) ..	1290
कृषि राज्य मन्त्री श्री शिवराज सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1291
उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल उत्तर प्रदेश, प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं रुड़की विश्वविद्यालय सिनेट हेतु चुने गये सदस्यों की सूचना	..1291-1292
श्री मोती लाल देहलवी द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास ..	1292
गोरखपुर एवं लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण के सभी पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	..1293-1301
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..1301-1304

विषय	पृष्ठ-संख्या
1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम (जारी)	..1334-1346
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. 1347
जनपद जालौन के कतिपय ग्रामों में जल विवाद के फलस्वरूप हत्याएं एवं कई व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1347-1352
जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक का डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिए जाने एवं तीन दिन तक उनको बन्दी बनाये रखने से जनता में आतंक के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1354
आगरा-लखनऊ रात्रिकालीन बस को गुरुसहायगंज तथा छिबरामऊ के बीच जी० टी० रोड पर बदमाशों द्वारा लूट-पाट एवं लड़कियों का अपहरण करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1354-1358
सूचियां	..1359-1369

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 339

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेल अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0सी0 फ्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशो राम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैरया, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)

चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जंराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री, (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुरा राय, श्री (देवरिया)
नाथू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)

नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डरी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवरी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह बिशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)

भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहरअली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद बसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
राज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पांडेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)

रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
ललई सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
बीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
बीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भुनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेरबहादुर, श्री (फैजाबाद)
शीनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदनन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सूरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट :--मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

मंगलवार, 10 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जौनपुर जिले के खुटहन-सराय-मोहीउद्दीन मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

*1—श्री जंगबहादुर (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद के खुटहन विकास क्षेत्र के खुटहन एवं सराय-मोहीउद्दीन मार्ग पर एक बड़े पुल निर्माण न किए जाने से सम्पूर्ण फसल वर्षा के पानी के जमा होने से नष्ट हो गई तथा जमुनिया ग्राम की हरिजन बस्ती में पानी भर गया और काफी संख्या में मकान गिर गए ? यदि हां, तो शीघ्र बड़ पुल का निर्माण कराया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

शाहगंज एवं खुटहन क्षेत्र में सितम्बर, 1980 में अत्यधिक वर्षा होने के फलस्वरूप त्रिकोलिया—अखण्ड नगर मार्ग के पास पानी जमा होने के कारण कुछ फसल अवश्य नष्ट हुई थी। ग्राम जमुनिया में भी पानी एकत्र हुआ था परन्तु किसी मकान के गिरने की सूचना शासन को नहीं है। चूंकि बड़ा पुल न होने के कारण कोई हानि नहीं हुई है अतः बड़े पुल निर्माण कराए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[दिनांक 10 मार्च, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

यू0 पी0 निवास, दिल्ली में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ठहरने की समय सीमा

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश निवास दिल्ली में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के ठहरने के लिए जब वे डियुटी में हो, कोई समय की सीमा वतमान नियमों में नहीं है ? यदि हां, तो इस प्रदेश के विधायकों के लिए 7 दिन की सीमा निर्धारित करने का औचित्य क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री जावेद अली)—

जी हां ? सरकारी अधिकारी/कर्मचारी शासकीय कार्य से जाने पर ही ड्यिटी पर माने जाते हैं। परन्तु माननीय विधायक अशासकीय कार्य से दिल्ली यात्रा करने पर ही सात दिन तक डियुटी पर ही माने जाते हैं। सामान्यतया सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को टियूटी हेतु 2-4 दिन से अधिक दिनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

अशासकीय कार्य से जाने वाले माननीय विधायकों को डियूटी पर मानकर समय सीमा का प्रतिबन्ध हटा लेने से कक्षों को उपलब्धता कम हो जायेगी और माननीय विधायकों को ही असुविधा होने लगेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सामान्यतया सरकारी अधिकारी, कर्मचारी को डियूटी हेतु 2-4 दिन से अधिक कक्षों की आवश्यकता नहीं पड़ती । मेरी सूचना को सही मानकर कि यू0 पी0 निवास में कक्षों का इस्तेमाल वे खुद करते रहते हैं या उनके इर्द-गिर्द के लोग रहते हैं, जिससे सदस्यों को बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, कई बार इस सदन में भी मंत्री जी का ध्यान विधायकों ने आकृष्ट कराया, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अधिकारी जाये उसे दो दिन से ज्यादा कक्षों का आवंटन न किया जाय ?

श्री जावेद अली--

इस तरह की कोई सूचना नहीं है । किन्तु अगर ऐसी स्थिति होगी, तो दिलवा लिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह प्रश्न इस तरह का हो गया है जैसे आपके यू0 पी0 निवास में कोई स्कैण्डल हो । जब विधायक या कोई आदमी रिजर्वेशन कराता है और वहां से कन्फर्मेशन हो जाता है उसके बावजूद वहां जाने पर पता चलता है कि उसका रिजर्वेशन नहीं है, उस समय बड़ी परेशानी होती है । आप एक माह का रिकार्ड देख लें कि कितने विधायकों को रिजर्वेशन के बाद भी जगह नहीं मिली और जो अधिकारी वहां रहे उन्होंने कब आग्रह किया और कब रिजर्वेशन किया गया ?

श्री जावेद अली--

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि कक्षों के आवंटन के बाद भी उनको कक्ष न मिला हो ।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने ही लेटर भेजा है ।

श्री सूबेदार सिंह--

इस बात को देखते हुए कि विधायकगण दिल्ली किसी अर्जेन्सी की वजह से ही जाते हैं, उनको कक्ष के आवंटन और ठहरने के लिए प्राथमिकता प्रदान करने पर विचार करेंगे ?

श्री जावेद अली--

इस संबन्ध में जो नियम है वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है लेकिन ऐक्चुवल प्रेक्टिस में प्राथमिकता विधायकों को दी जाती है । अक्तूबर से दिसम्बर तक 394 सदस्य पहुंचे और 975 दिवस रहे, अधिकारी 275 पहुंचे और 548 दिवस रहे ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, मैंने दो-तीन बार रिजर्वेशन कराया लेकिन जगह मिली नहीं । जबसे विधायक बना, जितनी बार भी गया, यू0 पी0 निवास में [illegible]

नहीं मिली । मान्यवर, प्रश्न, तो यह है ही, मेरी सूचना है और इस सूचना को आधार मानते हुए क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में जितने सरकारी निरीक्षण गृह है, उनमें बहुत से सरकारी अधिकारियों ने उनको अपना आवास गृह बना रखा है ? मान्यवर, आजमगढ़ में तीन अधिकारी परमानेन्ट रूप से उनमें रहते हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो सरकारी निरीक्षण गृह हैं, उनमें कोई अधिकारी एक सप्ताह से ज्यादा न रहे ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, यह तो सवाल से ही उभरता है । पूरे प्रदेश में हो रहा है । जांच करवा दें तो अच्छा होगा । महीने-महीने भर सरकारी अधिकारी ऐसे निरीक्षण गृहों को अपना आवास बनाये रखते हैं । अगर मान्यवर, आप संरक्षण नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करेंगे तो संरक्षण तो मिलेगा ही । आप अलग से प्रश्न कीजिये ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यू० पी० निवास में कुछ कमरे ऐसे हैं, जो मंत्रियों के लिए रिजर्व रखे गये हैं । तो, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन कमरों के खाली होने की दशा में और विधायकों को स्थान न मिलने की दशा में क्या इस बात की गारंटी देने की कृपा करेंगे कि मन्त्रियों के न आने पर उन कमरों को विधायकों के लिए खाली कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से प्रश्न है ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यू० पी० निवास के बारे में यह आम शिकायत है कि अधिकारी लोगों के जाने पर उनको कमरे मिल जाते हैं और वे ज्यादा दिन तक भी रहते हैं और विधायकों को कमरे नहीं मिलते ? क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी भी शिकायत आयी है कि रिजर्वेशन के बाद भी विधायकों को वहां कमरे नहीं मिलते ? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि अधिकारी भी मौजूद है और मैं भी मौजूद हूं । मैंने पहले से मांग रखा है लेकिन अधिकारी, जो एक दिन बाद में आया, उसको कमरा मिल गया और विधायक को नहीं मिला । तो क्या वहां के केयर टेकर को इस किस्म की हिदायत भेजी जायेगी कि विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर कमरे दिये जायं ? इसी तरह से जो 7 दिन की वाइंडिंग रखी गयी है, उसमें अगर इत्तफाक से विधायक बीमार हो गया और 7 दिन से ज्यादा रुकना पड़ गया तो 8वें और 9वें दिन के लिए 75 रुपया किराया लिया जायेगा, तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री जावेद अली--

मान्यवर, जहां तक इसमें पहले माननीय विधायकों के पहुंचने और बाद में अधिकारियों के पहुंचने और प्राथमिकता देने का प्रश्न है, ऐसा कोई केस बतायें तो दिखवा लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह अपना ही केस बता रहे हैं ।

श्री जावेद अली—

मान्यवर, उसमें नियम है कि आवंटन के लिए लिखा जाता है । जब सूचना आवंटन होने की आ जाय, तो यह चीज नहीं होगी । बिना सूचना के ऐसा हो सकता है ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, बिना सूचना के अधिकारी भी पहुंचता है और विधायक भी पहुंचता है, लेकिन अधिकारी को दे देते हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व विधायकों और मंत्रियों के पी० ए० लोगों को कमरा पहले दे दिया जाता है और विधायकों को नहीं दिया जाता है, तो क्या मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे की पहले कमरा विधायकों को दिया जाय बाद में भूतपूर्व विधायकों और पी० ए० को दिया जाय ।

श्री जावेद अली—

जैसा मैंने अभी बताया कि माननीय विधायकों को एक्चुअल प्रेक्टिस में प्राथमिकता है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह अहम सवाल है, क्या उनको इस बात की सूचना है कि जब पहले से विधायक वहां पर कक्षों का आवंटन करा लेते हैं और जब समय से पहुंचते हैं, तो उनको न मिलकर वहां पर जो एक मैडम रहती हैं वह कहती हैं कि इसमें तो अमुक अधिकारी रह रहा है और हम क्या बतायें मीटिंग की वजह से उनको एडजेस्ट करना पड़ा । क्या मंत्री जी के पास ऐसी जानकारी है ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिस प्रकार से यू० पी० निवास में मंत्रीगण के लिए कमरा खाली छोड़ रखा जाता है, उसी तरह से विधायकों के लिए जो कमरे निश्चित हैं, वह हर कीमत पर विधायकों को दिये जायं और उनके न पहुंचने पर खाली रखे जायं ।

श्री जावेद अली—

श्रीमन्, इसमें मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारा एक दूसरा यू०पी० निवास यू०पी० भवन के नाम से बन रहा है ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी इसका स्पष्ट जवाब दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो प्रश्न पूछे मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया माननीय मंत्री जी जैसी माननीय सदस्यों ने भावनायें व्यक्त की हैं वैसी आप व्यवस्था करा दें ।

एक सदस्य--

उन मंडम का व्यवहार अच्छा नहीं है ।

फैजाबाद विश्वविद्यालय जांच आयोग का प्रतिवेदन

*2--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद विश्वविद्यालय जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी हां, आयोग का प्रतिवेदन शासन के विचाराधीन है । शासन प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के उपरांत उसे सदन के पटल पर रखगा ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, इस जांच आयोग का प्रतिवेदन शासन को कब प्राप्त हुआ था और उस पर कब से विचार प्रारम्भ हुआ और कब तक पूरा हो जायगा ? दूसरी चीज में यह जानना चाहता हूं कि क्या उस आयोग ने अपनी रिपोट में कुलपति के ऊपर विदेशी एजेंट होने का स्पष्ट आरोप लगाया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आयोग का कार्यकाल 15 सितम्बर, 1979 तक था और उसी दिनांक को उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया । उसके ऊपर हम लोगों ने, डिपार्टमेंट में उसकी एनालिसिस हो गयी है ।

मैं मान्यवर, विधायक जी को इस बात का आश्वासन देती हूं कि अगले सत्र में निर्णय लेने के उपरान्त हम इसको सदन के पटल पर रखन म सक्षम होंगी ?

श्री पंचानन--

क्या जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुलपति को सी0 आई0 ए0 एजेन्ट होना स्वीकार किया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जांच आयोग ने कुछ पत्र अवश्य दिये हैं जो कुलपति ने विदेशों में अपने मित्रों को लिखे थे । उसके विषय में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पत्रावली केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है उचित कार्यवाही हेतु ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्यों यह सही है कि कमीशन की रिपोर्ट 30 अगस्त, 1979 को राज्य सरकार को प्राप्त हुई और क्या यह भी सही है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में

यह लिखा था कि सुरेन्द्र सिंह सी० आई० ए० के एजेन्ट हैं और उसकी पुष्टि में कमीशन ने यह भी लिखा था कि कुलपति 3 वर्षों में हर वर्ष मार्च-अप्रैल में अमेरिका जाते रहे हैं और जब अमेरिका जाते थे, तो जाने से पहले वहां से एक व्यक्ति का वायरलेस आता था कि निर्मला बीमार हैं और वह मार्च में ही लिखता था चूंकि सी० आई० ए० की कान्फ्रेन्स मार्च-अप्रैल में ही हुआ करती थी, जिसको अटेन्ड यह करते थे ? उसके पत्र भी कमीशन ने प्रस्तुत किये हैं । कमीशन ने यह भी लिखा है कि जब तक जांच हो रही है तब तक उनको अमेरिका न जाने दिया जाय और वह यहां आवें तो उन पर निगरानी रखी जाय । इसलिये कमीशन की इस बात को ध्यान में रखते हुये कुलपति को अमेरिका क्यों जाने दिया गया और जब वह यहां आये थे तो सरकार द्वारा उनकी वार्ता और उनकी बैठकों पर क्या कार्यवाही और निगरानी रखी गयी ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या तथ्य सामने आये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह पूरा केस निवेदन किया कि राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है, उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

केन्द्रीय सरकार की सीमा को जानते हुये कि यह सी० आई० ए० का एजेन्ट है, तो यह कार्यवाही करेगी । लेकिन राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अपने दायित्वों को देखते हुये कुलपति पर क्या निगरानी रखी ? यह भी सही है कि सुरेन्द्र सिंह ने अमेरिका से शिक्षा सचिव को पत्र लिखा जो सचिव के पास आया है । विधान परिषद् में भी यह मामला उठा लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं । किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सभी लोग दुखी हैं और विधान परिषद में भी इसकी गंभीरता को लिया गया, तो आयोग की रिपोर्ट को तत्काल सदन में रखेंगी क्योंकि सुरेन्द्र सिंह ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को लिखा कि "यू वुड टेल दीज पोपुल, मेम्बर आफ दी काउन्सिल टु स्टाप फूलिश थिंग्स" उन माननीय विधान परिषद् के सदस्यों को सूचित कर दिया जाय कि बेवकूफी की बातें बन्द कर दें, तो इसको देखते हुये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और उन पर क्या निगरानी रखी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जो पत्र शिक्षा सचिव को भूतपूर्व वाइस चांसलर ने लिखा था वह पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय विधान परिषद् को दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ केन्द्रीय सरकार को भेज दिया । लेकिन मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कमीशन ने यह बात लिखा है कि बराबर कागजात मांगने पर सचिव ने कमीशन को कागजात नहीं दिये । कुल सचिव के खिलाफ गंभीर आरोप पाये गये हैं, जिसमें इसका वर्णन है राज्य सरकार ने कुल सचिव के खिलाफ और प्रशासकीय अधिकारियों के खिलाफ जिनके बारे में कमीशन ने लिखा है क्या कार्यवाही किया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह बात सही है कि जो जांच आयोग बैठा था, उसके सदस्यों ने वहां के इस वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार आदि लोगों के विरुद्ध उन्होंने अपनी आख्या प्रस्तुत किया है । मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि मैं आश्वासन देती हूं माननीय सदस्यों को कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, उनके प्रति अवश्य उचित कार्यवाही की जायेगी और अगले सत्र में हम रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में पूरी तरह सक्षम होंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पढ़कर सुनाया गया और जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया, तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कोई काम किया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपके सामने मैंने अभी निवेदन किया कि पूरी रिपोर्ट और उस पर जो कार्यवाही हम करने जा रहे हैं, अगले सत्र में सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीया मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जब जांच में स्पष्ट है कि वे सी० आई० ए० के एजेन्ट हैं, तो फिर कौन सी परिस्थितियों में उनको प्रदेश से बाहर जाने दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, मैंने अभी निवेदन किया कि उनके विषय में जो भी पत्र मिले हैं, जो उन्होंने विदेश में लिखे हैं, उसके विषय में मैंने यहां की सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दिया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनियमितताएं हुई हैं । उन अनियमितताओं से नुकसान होने पर शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही क्या की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी हमने प्रासेस कम्पलीट किया है, मैं आश्वासन देती हूं कि जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, पैसे का गोलमाल किया है, उनसे पैसे की रिकवरी करने में, ऐक्शन लेने में जो भी उचित कार्यवाही होगी, शासन द्वारा की जायेगी, इसका मैं आश्वासन देती हूं और अगले सत्र में सदन के पटल पर कार्यवाही को रख दिया जायेगा और जो कार्यवाही होगी उससे आपकी तबियत खुश हो जायेगी ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, माननीया मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा कि मंत्रिमण्डल के निर्णय के बाद रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जायेगी। तो जब मंत्रिमण्डल का निर्णय हो जायेगा तो सदन को उस पर राय देने का अधिकार नहीं रह जायेगा। रिपोर्ट चूंकि आ चुकी है, अगर रिपोर्ट मंत्रि मण्डल के निर्णय के पहले सदन में प्रस्तुत हो जाय तो उसमें सदन की राय हो सकती है, तो क्या माननीया मन्त्री जी इस पर विचार करेंगी कि मन्त्रिमन्डल के निर्णय के पूर्व उस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत कर दिया जाय ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो इस सदन में कुलपति के खिलाफ आरोप आये, उसके अलावा मेरे पास जो रिपोर्ट की गयी है, उसमें कुलपति के खिलाफ गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र है कि वहां से पैसा ले जाना और उस पैसे से भवन बनवाया और अब वे विदेश चले गये, तो क्या आपने केन्द्रीय सरकार को यह भी लिखा है कि जो भी कानूनी मामला है, उसके तहत अमेरिका की सरकार को लिखा जाय कि अमुक नाम का आदमी यहां का अमेरिका में है जिसके ऊपर हम मुकदमा चलाना चाहते हैं, अमेरिका सरकार उसको तुरन्त उत्तर प्रदेश को वापस कर दे। अमेरिका से तुरन्त उसे हिन्दुस्तान बुला कर उस पर कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राष्ट्रीय हित में जो भी कार्यवाही मुनासिब होगी, वह अवश्य की जायेगी।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों का थपथपाया जाना)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो मैंने प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में या तो "न" कर दें। हमारे प्रश्न के उत्तर म मंत्री जी या तो "हां" कहें या फिर "न" कह दें, इससे भिन्न कोई उत्तर नहीं हो सकता ?

(मंत्री द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, श्री सुरेन्द्र सिंह, जिनका जिक्र यहां हुआ वे हरदोई के रहने वाले हैं और वहां उनकी गतिविधियां सन्देहास्पद रही हैं। क्या माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि इस राष्ट्र विरोधी गति विधि में लिप्त व्यक्ति की वह सारी सम्पति को जब्त करने के आदेश देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें कि क्या सरकार उनको बुलवाने का प्रयास करेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री आप उत्तर दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, जांच के उपरान्त परीक्षण के पश्चात् पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

रायबरेली जिले के ग्राम कोतियामऊ के श्री सत्य नारायण एवं श्री दसऊ के बीच मारपीट की घटना

*3—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद रायबरेली के ग्राम कोतियामऊ, थाना गुरुबख्शगंज, निवासी श्री सत्य नारायण पुत्र श्री गया प्रसाद व श्री श्रीराम पुत्र श्री पूरन को जान से मार डालने की नीयत से उसी गांव के कतिपय लोगों ने कई बार हमले किए तथा दिनांक 16-10-80 को रात्रि 12.00 बजे डकैती डाली तथा सम्बन्धित मुल्जिमों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाने के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी व प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी ? क्योंकि मुल्जिमों को स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित परिवारों की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सत्य नारायण पुत्र श्री गया प्रसाद व श्री श्रीराम पुत्र श्री पूरन को जान से मार डालने की नीयत से उसी गांव के कतिपय लोगों द्वारा कई बार हमले किये जाने की पुष्टि नहीं होती है, किन्तु दिनांक 22-4-80 को सत्य नारायण आदि और दसऊ आदि के मध्य मारपीट की घटना हुई थी जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 59 धारा 147/148/452/323 भा0 द0 वि0, थाना गुरुबख्शगंज पर दसऊ आदि के विरुद्ध अंकित हुआ जिसम विवेचना से उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 19-6-80 को प्रेषित किया गया है । इस मुकदमें में श्री राम गवाह है । दिनांक 17-10-80 को श्रीराम ने दसऊ आदि के विरुद्ध धारा 395/397 भा0 द0 वि0 का मुकदमा दर्ज कराया । विवेचना से जुर्म धारा 147/148/452/307/323 भा0 द0 वि0 का होना पाया गया । विवेचना से बाद दर्ज मुकदमें में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 25-12-80 को प्रेषित किया गया है । अतः मुल्जिमानों को पुलिस संरक्षण की पुष्टि नहीं होती है । सुरक्षा के पहलुओं पर स्थानीय पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है । दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही दिनांक 1-11-80 को की गई है । श्रीराम को बन्दूक का लाइसेन्स भी स्वीकृत हो चुका है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक 17-10-80 को श्रीराम ने 395/397 आई0 पी0 सी0 के तहत रिपोर्ट की तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एफ0 आई0 आर0 की गई उसमें जो डकैती में लूट हुई है और उसमें जो सामान गया है उसका विवरण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

सामान का विवरण आपको मालूम है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसमें 16-10-80 की रात में डकैती हुई उसका विवरण हैं--एक जोड़ी पोंगी सोना--वजन पांच आना भर, दो जोड़ा तोड़िया--एक पाव चांदी की, एक जोड़ा हरैंया डेढ़ पाव चांदी की, एक घड़ी एच0 एम0 टी0 चेन सहित तथा लगभग 400 रु0 प्रार्थी ने एफ0 आई0 आर0 में दर्ज कराया था।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

जो रिपोर्ट 395/397 आई0 पी0 सी0 के तहत दर्ज हुई और यह कहा गया हैं कि मुकदमा 147, 148, 307 वगैरह-वगैरह दफा के तहत विवेचना में आया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मुकदमे को इन दफाओं में कनवर्ट किया गया हैं उसका आधार क्या हैं।

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

जवाब तो दिलवा दीजिए, मान्यवर...।

श्री अध्यक्ष--

कनवर्ट का आधार, अभी तक इनवेस्टिगेशन हो रहा हैं।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

आधार जानना चाहता हूं। गवाहान नहीं मिले, एफ0 आई0 आर0 में जो तथ्य लिखाये गये उसके सम्बन्ध में गवाहान नहीं मिले...।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ज्ञात हो तो कनवर्ट के बारे में बता दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आधार तो माननीय विधायक जी को ज्ञात होगा आपस की दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी के तहत वहां मारपीट हुई।

सचिवालय के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के वर्तमान चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों का तुरन्त स्थायी किया जाना शासन के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या हैं तथा कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी हां, जैसे-जैसे स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, अस्थायी कर्मचारियों को उनके सेवा-सम्बन्धी नियमों/आदेशों के अनुसार स्थायी रूप से नियुक्तियां की जाती हैं। इस हेतु किसी प्रकार की रूप-रेखा बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप देखें जो मैंने प्रश्न किया था। शासन की ओर से अनेक बार घोषणा हुई, मुख्य मंत्री जी के द्वारा हुई कि तीन वर्ष से लगातार काम कर

रहे कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायगा, तत्काल स्थायी कर दिया जायगा। इसी पर मैंने सवाल पूछा कि इस तरह की योजना विचाराधीन है। उत्तर आया जी हां। मतलब यह कि योजना विचाराधीन है। वह योजना यह दी गई है कि जब स्थान रिक्त हो जाते हैं। यह विशेष प्रक्रिया नहीं हुई। जो कर्मचारी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में काम कर रहे हैं कुछ अवधि से इसके माने हुये कि स्थान रिक्त थे। सभी एक निश्चित अवधि तक काम कर चुके हैं, अपने ही स्थान पर काम करते चले आये ह, उन्हें तत्काल स्थायी न कर देने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

स्थायी किसी व्यक्ति को तभी किया जा सकता है जब पद स्थायी हो। जैसे-जैसे पद स्थायी होते हैं वैसे-वैसे करते जाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ज्यों-ज्यों पद स्थायी कर दिये जायेंगे, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि शासन की यह घोषणा है कि सदन में और सदन के बाहर कि तीन वर्ष से जो लगातार काम करते चले आ रहे हैं उनको स्थायी कर दिया जायगा, क्या तत्काल उनको स्थायी कर दिया जायगा यदि नहीं तो कौन सी प्रक्रिया शासन अपनाने वाली है जिसके द्वारा उसकी घोषित नीति का पालन किया जा सके ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रक्रिया मैंने बताई स्थायी पदों की उपलब्धता के संबंध में। आप चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के बारे में चिन्तित हैं मैं दोनों के बारे में सूचना दे दूं। 1174 स्थायी पद चतुर्थ श्रेणी के 3,696 अस्थायी पद। पदों की उपलब्धता 1480 है। 1040, 1174 के विपरीत स्थायी हैं और 134 की स्थायीकरण की प्रक्रिया जारी है। किसी पद का स्थायी होना पहली शर्त है उसके बाद उस पर नियुक्ति की जाती है।

सी0 टी0 (बेसिक) प्रशिक्षण की समाप्ति

*5- श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 से सी0टी0 (बेसिक) प्रशिक्षण समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त वर्ष के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से अब तक कितनों की नियुक्ति शिक्षा विभाग द्वारा की जा चुकी है ? कितनी नियुक्तियां होना शेष हैं ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

जी हां।

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, बड़े खेद की बात है कि 27-12-80 को यह प्रश्न सरकार को भेजा गया है परन्तु ढाई महीने के बाद भी आज यह उत्तर मिल रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय मंत्री जी यही बता दें कि सन् 1976 में जब

यह ट्रेनिंग बन्द की गई थी, तो उस वक्त आपके पास कुल कितने ट्रेन्ड टीचर थे और इस समय तक उनमें से कितने लग चुके ?हैं

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, सन् 1976 में 351 लड़कों ने ट्रेनिंग प्राप्त की थी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड शिक्षक विभिन्न जिलों में किस सन तक के नियुक्ति पा चुके हैं और किस सन् के बाद नियुक्त नहीं पाये हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, प्रश्न सी0टी0 का है और माननीय सदस्य बी0 टी0 सी0 की बात कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सी0 टी0 (बेसिक) के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था और माननीय मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, सी0 टी0 (बेसिक) वाले जो हैं वे तो हजारों की संख्या में है और माननीय मंत्री जी उनकी संख्या 351 ही बता रहे हैं और उनके सम्बन्ध में भी पूरी सूचना मंत्री जी के पास नहीं है ।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, माननीय सदस्य नें जो प्रश्न किया था उसका स्पष्ट उत्तर दिया गया हैं । उन्होंने सी0 टी0 की ट्रेनिंग के बारे में पूछा है । दो ट्रेनिंग एक सी0 टी0 की और दूसरी बी0 टी0 सी0 की चल रही थी जिसमें सी0 टी0 की ट्रेनिंग बन्द कर दी गई हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें

श्री अध्यक्ष--

जब सूचना एकत्र की जा रही है तो यह प्रश्न अपने आप 15 दिन के बाद फिर आयेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसमें कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया हैं । माननीय मंत्री जी केवल 351 की सूचना दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आप इसके सम्बन्ध में पूर्ण सूचना एकत्र करा कर सदन को उससे अवगत करायेंगे । यह प्रश्न 15 दिन के बाद पुनः आयेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

सी० टी० का जो हैं वह सीनियर बेसिक के लिये होता हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठें ।

गोरखपुर जिले के नौतनवां के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*6--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यसुफ--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थानाध्यक्ष नौतनवां के विरुद्ध दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-7-80 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को तथा अगस्त में आई० जी० पुलिस, लखनऊ को शिकायती-पत्र अबरार इराकी ने भेजी हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य शिकायतें हैं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को प्राप्त प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न हैं । इस प्रार्थना-पत्र के प्रस्तर-4 व 5 में वर्णित आरोप जांच से प्रमाणित हुए । अतः संबंधित अपराधों को अंकित करने तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1359 पर)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय मन्त्री जी ने कहा हैं कि आरोप पत्र में दिये गये आरोप 4, 5 सही पाये गये । मान्यवर, यह बड़े गम्भीर आरोप हैं एक तो हैं कि दिनांक 15/16 जून, 1980 की रात शिवपुरी में चार घरों सुहेल मौजा साकिर और यूसुफ के घर डकैती पड़ी परन्तु यह भी रपट दर्ज नहीं हुआ जिसकी सूचना ग्राम प्रधान सहित कई लोगों के हस्ताक्षर से आपके पास रजिस्ट्री द्वारा संभवतः पहुंचा होगा, दूसरा दिनांक 19/20 जून, 1980 की रात्रि को गोपलापुर गांव सभा महुवां के चार पांच घरों में डकैतों ने लूटा, बम से प्रहार किया जिसमें एक महिला भी घायल हुई किन्तु पुलिस ने रपट दर्ज नहीं किया । जिसके उत्तर में मन्त्री जी ने कहा कि एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गयी जिसकी जांच करने पर सही पायी गयी तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने गम्भीर आरोप होने के बावजूद किसने इसकी जांच की और कब की और दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय सदस्य तो जो हमने उत्तर दिया उसी को दोहरा रहे हैं । इसकी गम्भीरता को देखते हुये जब जांच सही पायी गयी, तो थानेदार को निलम्बित किया गया ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

किससे जांच कराई ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर स्पष्ट आया हैं थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की गयी हैं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान

*7--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कुछ लोगों को नया वेतनमान 277.00 रुपये प्रतिमाह मिलता है तथा कुछ को 53 रुपये प्रतिमाह मिलता है ? यदि हां, तो ऐसा करने के पीछे क्या तर्क है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत नियमित एवं पूर्णकालिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 165--2--185 द0 रो0--3--215 रुपया का वेतनमान तथा 165.00 रुपया नियत मासिक वेतन के दो वेतनमान निर्धारित हैं, जिस पर अनुमन्य महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता व अन्तरिम सहायता अलग से मिलता है, जो कर्मचारी अंशकालिक रूप से कार्यरत हैं, उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 1 रुपया से 50.00 रुपया नियत दिया जाता है, जिस पर अन्य कोई भत्ते नहीं मिलते । यह पारिश्रमिक बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व जिला परिषदों और स्थानीय निकायों द्वारा निकाय कर्मचारियों से तय किया गया था ।

*8--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल में च्यूरा वृक्ष से घी बनाये जाने की मांग

*9--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल के अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में 'च्यूरा' नामक एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है, जिसके फल से वनस्पति तेल व घी का उत्पादन किया जा सकता है ? यदि हां, तो सरकार इन पेड़ों के उत्पादन और उपयोग के लिये कोई कदम उठाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री दयाल कृष्ण)--

कुमायूं तथा पश्चिमी वृत्त के वनों में छिटपुट तौर पर बहुत कम मात्रा में च्यूरा नामक वृक्ष पाया जाता है । इस समय इन वृक्षों की उपलब्धता व्यापारिक स्तर पर उपयोग करने की क्षमता से बहुत कम है । इन वृक्षों के फलों से व्यापारिक रूप से तेल या घी बनाने के लिये कोई मांग शासन को प्राप्त नहीं हुई है । मांग प्राप्त होने पर ही उक्त वृक्षों के वृहत् तौर पर वृक्षारोपण की योजना बनाने पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, इस वृक्ष की उपयोगिता को देखते हुये मैंने प्रश्न किया था, यह वृक्ष पहाड़ों में तथा टनकपुर तथा नेपाल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, नेपाल से इसकी तस्करी होती है, इसलिये मैंने सरकार का ध्यान दिलाया था कि यह पेड़ बहुत उपयोगी है इसके फल से खली बनती है जो पशुओं को दिया जाता है तथा इसके फूलों में शहद की मक्खी बैठती है और

शहद बनाती है । इसकी उपयोगिता सरकार समझे इसके लिये मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इससे डालडा भी बन सकता है, तो क्या इसकी उपयोगिता को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में घाटियों में ज्यादा से ज्यादा इसके वृक्ष लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री दयाल कृष्ण--

मान्यवर, यह च्यूरा पेड़ जो हैं वह हमारे यहां के महुआ पेड़ की तरह होता है । वैसे ही यह वहां पहाड़ों पर छिटपुट तरीके से 3 से 4 हजार फुट की ऊंचाई पर होता है तथा खुले स्थान पर व घने जंगलों में नहीं होता है । इस च्यूरा का भी इस्तेमाल महुआ के फल की तरह लोग गांवों में करते हैं, फिर भी सरकार ने इस पर विचार किया है और इसके पौध बनाये जा रहे हैं । हमारी योजना है कि 57 हजार पौधे इस वर्ष में इसके लगाये जायेंगे ।

हाई स्कूल तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की मांग

*10--श्री सूबेदार सिंह तथा श्री राम हर्ष राय--

क्या सरकार प्रदेश में हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द--

जी नहीं । राज्य के वर्तमान संसाधनों के भीतर ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

श्री सूबेदार सिंह--

चूंकि बिना शिक्षित नागरिकों के लोकतन्त्र सही मायने में चल नहीं सकता है, तो क्या सिद्धान्त रूप में सरकार इसको स्वीकार करती है कि प्रदेश में कम से कम हाई स्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए ?

श्री सच्चिदानंद--

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 48 में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान है और इस सम्बन्ध में हम गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं कि अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष से हम अपने यहां यह व्यवस्था कर दें, जिससे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हो सके ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

बिहार सरकार ने अपने यहां हाईस्कूल तक की शिक्षा मुफ्त कर दी है जबकि उसके संसाधान हमसे कम हैं, तो क्या यह सरकार हाईस्कूल न सही 8वीं तक की ही शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने की घोषणा करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द--

हम 6 से 14 साल के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

जब बिहार में हाई स्कूल तक शिक्षा मुफ्त है तो क्या उससे कम हमारे वित्तीय संसाधन हैं, जिससे आप 8वें तक की भी शिक्षा फ्री नहीं कर सकते हैं ?

श्री सच्चिदानन्द---

14 साल की उम्र के लड़के ही तो 8वें में पढ़ा करते हैं, वही तो मैंने निवेदन किया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

संविधान में स्पष्ट है कि 14 साल तक के लड़कों की अनिवार्य शिक्षा हो, तो यह विचार श्रृंखला कब तक पूरी होगी ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रुद्र प्रताप सिंह---

14 साल तक के लड़के तो इन्टरमीडिएट पास करते हैं या उसमें पढ़ते हैं, तो आप बच्चों की आयु के आधार पर शिक्षा देंगे या कक्षा के आधार पर देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द---

अनुमान ऐसा है कि 14 वर्ष की आयु के लड़के 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं । तो इसीलिए 8वीं तक की शिक्षा, जैसा वर्मा जी ने कहा है, निशुल्क करने का हम विचार कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मंत्री जी ने बताया कि 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा हम निशुल्क कर देंगे, तो क्या इससे यह समझा जाय कि इस आयु के लड़के चाहे जिस कक्षा में रहेंगे आज सामान्य रूप से इस आयु के हाई स्कूल में रहते हैं, हाई स्कूल तक आप निशुल्क शिक्षा करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री सच्चिदानन्द---

ऐसा नहीं है, 14 साल की उम्र के प्रायः 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं । आठवीं तक की फ्री शिक्षा पर ही हम सोच रहे हैं ।

*11---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर एक सप्ताह के लिए स्थगित]

यू० पी० निवास, दिल्ली के कक्षों का विधायकों को आवंटन एवं किराया

*12---श्री श्यामलाल बाजपेयी---

क्या सार्वजनिक निर्माण एवं राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली में जनता शासन द्वारा लागू आदेश रद्द करके विधायकों को एक सप्ताह तक सामान्य किराया, दूसरे सप्ताह तक दस रुपया रोज तथा इसके बाद पचास रुपया दैनिक किराया लागू करने का आदेश जारी करेंगे ? क्या यह सत्य है कि यू० पी० निवास में विधायकों की अपेक्षा अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो विधायकों को निश्चित रूप से आवास सुविधा दिलाने के लिये शासन क्या उपाय सोच रहा है ?

श्री जावेद अली—

जी नहीं । उत्तर प्रदेश निवास में पर्याप्त कक्ष न होने के कारण ऐसी व्यवस्था करने में कम अवधि के लिए आने वाले विधायकों को भी कक्ष उपलब्ध करना कठिन हो जायेगा ।

(i) उ0 प्र0 निवास में ठहरने की व्यवस्था सूचना प्राप्त होने पर "प्रथम आये प्रथम सेवा पाये" के आधार पर की जाती है । अधिकांश कक्ष माननीय विधायकों को ही उपलब्ध कराये जाते हैं ।

(ii) शासन द्वारा नई दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग पर "उत्तर प्रदेश भवन" नामक 77 कक्षों तथा दो डारामेटरीज वाला एक भवन निर्मित कराया जा रहा है जिसके मार्च, 1981 तक निर्मित हो जाने की आशा है । उक्त भवन के तैयार हो जाने के पश्चात् आशा की जाती है कि माननीय विधायकों को दिल्ली में आवास की सुविधा पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूंछना चाहता हूं कि प्रथम आये प्रथम सेवा पाये के आधार पर मंत्रिमंडल ने 9 जून, 1980 को शपथ ली थी, तो उस तारीख से आज तक उनके पास क्या कोई लेखा जोखा है कि उन्होंने कितने अधिकारियों और कितने विधायकों को वहां पर जगह दी ?

श्री जावेद अली—

इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस प्रकार की सूचना है कि इस सम्मानित सदन के सदस्य और अकिंचन सदस्य कितनी बार अपना सामान लाद कर वहां ले गया लेकिन मीरा कुमारी ने उसे लौटा दिया ?

श्री जावेद अली—

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आज इसी प्रकार का प्रश्न संख्या 1 माननीय राम आसरे वर्मा जी ने पूछा था जिस पर काफी अनुपूरक प्रश्न भी हुए थे...।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, उसमें और इसमें कुछ अन्तर है ।

श्री अध्यक्ष—

मूल प्रश्न यही था कि विधायकों को सुविधा न देकर अधिकारियों को सुविधा दी जाती है और विधायकों के प्रति उपेक्षा की जाती है । अतः माननीय सदन की भावनाओं का आदर करते हुए क्या माननीय मंत्री जी इनकी सुविधा को सुव्यस्थित करायेंगे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

इस सदन के 425 सम्मानित सदस्य हैं और 108 विधान परिषद् में तो क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि जब वे भारत की राजधानी जाते हैं तो निश्चित् रूप से, जैसे कि अपने उप-मंत्रियों के लिए घोड़ा गाड़ी और अकबर होटल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इन सदस्यों के लिए खाने खर्चे के हिसाब से रहने की कोई व्यवस्था करेंग ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

यदि आप लिख कर सुझाव दे देंगें तो अवश्य ही विचार करेंगे ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं इस सदन में स्पस्ट रूप से कह रहा हूं इससे ज्यादा और क्या लिख कर दूं । मैंने इस सम्बन्ध में अनेक पत्र माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को लिखे प्रबन्धक, मीरा कुमारी, के बारे में लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी हैं । आप उनसे कुछ तो कहलवा दीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राम आसरे वर्मा जी का जो प्रश्न आज सदन के समक्ष आया उसमें बहुत गम्भीरतापूर्वक यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि माननीय सदस्यों की उपेक्षा होती है, उनको वहां पर स्थान नहीं मिलता है । इस संबंध में मैंने पहले भी निर्देश दिये थे कि इसको देखा जय और मैं पुनः यह चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को किसी तरह की असुविधा न हो, चाहे उत्तर प्रदेश निवास में या जहां कहीं भी उनको जरूरत हो, सुविधा मिलनी चाहिये । यह सुविधा उनको दी जय ।

*13--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[32 वे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी गड़वाल जिले से रगड़गांव के चूना-खदान पर कुछ व्यक्तियों की कथित मृत्यु

*14--श्री विद्यासागर नौटियाल--(अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद की सकलाना पट्टी के रगड़गांव में हाल ही में चार व्यक्तियों की जीवन लीला समाप्त हो जाने के फलस्रूप क्या राज्य सरकार उस क्षेत्र में कार्यरत चूना खदानों पर भविष्य में कार्य करने पर प्रतिबन्ध अथवा अंकुश लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल में जिला टिहरी गढ़वाल की सकलाना पट्टी के रगड़गांव क्षेत्र में चूना-खदान के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई हैं । मौजूदा खनन-पट्टे प्रश्नगत क्षेत्र से काफी दूर हैं । अतः इन पर किसी प्रतिबन्ध की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर पद पर डा0 अगने लाल की नियुक्ति

*15--श्री मोतीलाल वेहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर पद पर स्वर्णपदक प्राप्त डा0 अगने लाल (हरिजन) ने राज्यपाल महोदय के अदेशानुसार 29 फरवरी, 1980 को पद भार ग्रहण किया था, किन्तु उनकी नियुक्ति एवं चांसलर महोदय के आदेश के विरोध में डां0 यू0 एन0 राय ने हाई कोट में अपनी याचिका प्रस्तुत कर स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया ? यदि हां, तो क्या इस विवादित मुकदमे को कुलपति व रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय की ओर से लड़ा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण

*16--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जुलाई, 80 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण शासन द्वारा किया गया था फिर किन परिस्थितियों में इस अधिकारी को उसी जिले में रोक दिया गया जबकि इस अधिकारी के खिलाफ के यूनीसेफ धन का दुरुपयोग करने की शिकायतों की ग्रामीण अभियंत्र शाहजहांपुर द्वारा जांच की जा रही है ? क्या सरकार उपरोक्त अधिकारी का जनहित में स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री सच्चिदानन्द--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती, थानाध्यक्ष, ड़ेबरुआ द्वारा श्री जोखू की ली गयी कथित गाय

*17--श्रीमती कमला साहनी-(अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के थाना ढ़ेबरुआ के अन्तर्गत ग्राम सिसबा बुजुर्ग के श्री जोख पुत्र नीबर की एक गाय थानाध्यक्ष देवरुआ द्वारा गलत तरीके से लेने के सम्बन्ध ले कोई शिकायती पत्र माह अक्तूबर नवम्बर, 1980 में शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ३ यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से आरोप साबित नहीं हुए अतः थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*18--श्री निर्मल कुमार--

[मंत्री परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

थाना हसनगंज, जिला उन्नाव के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*19--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष व दो अन्य सब इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध श्री जटाशंकर ग्राम

नेवलगंज, थाना हसनगंज के प्रार्थना-पत्र सहित अपने पत्र के साथ भू0 पू0 विधायकों ने (श्री सुन्दर लाल कुरील, श्री चन्द्र पाल सिंह, श्री चन्द्र भूषण सिंह व जगदीश प्रसाद त्रिवेदी तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी) दिनांक 12 जनवरी, 1980 से 7 फरवरी, 1980 तक कितने शिकायती-पत्र दिये थे ? क्या यह भी सही है कि भू0 पू0 मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास) ने विधायक श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी की संस्तुति पर सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश भी दे दिये थे ? यदि हां, तो सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कब तक करायी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष व दो अन्य सब-इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध श्री जटाशंकर, ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज के शिकायती-पत्र की प्रति दिनांक 12-1-80 से 7-2-80 के बीच भूतपूर्व विधायक श्री सुन्दरलाल कुरील के पत्र दिनांक 12-1-80, श्री अब्दुल रऊफ लारी के पत्र दिनांक 25-1-80 तथा श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी के पत्र दिनांक 5-2-80 के साथ प्राप्त हुयीं थीं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास) ने विधायक श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी के सी0 आई0 डी0 जांच के सुझाव पर केवल जांच कराने के आदेश दिये थे। इससे पूर्व 24-1-1980 को ही जांच के आदेश दिये जा चुके थे। जांच रिपोर्ट से श्री जट शंकर के शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप सही नहीं पाये गये हैं। अतः इन आरोपों की पुनः जांच कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सन्त बख्श रावत--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच किस अधिकारी से करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जांच डी0 आई0 जी0 द्वारा करायी गयी। जो आरोप थे वे सही नहीं पाये गये।

श्री सन्त बख्श रावत--

वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने बता दिया कि आरोप सही नहीं पाये गये।

श्री मोती लाल देहलवी--

जिन पत्रों का अभी माननीय मंत्री जी ने हवाला दिया, क्या इसके अलावा माननीय विद्युत मंत्री श्री ब्रह्म दत्त जी ने भी इस सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा और इसके अलावा कांग्रेस (आई) के विधायक और तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री गुलाब सेहरा जी ने कोई पत्र लिखा था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्री ब्रह्म दत्त जी के पत्र उपलब्ध हैं और उन्होंने भी इस संदर्भ में जांच कराने के लिये पत्र लिखा था।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

देवरिया जिले के ग्राम नोनाड़ पा.ण्डेय में श्री सामरथ चौधरी की पुलिस मुठभेड़ में हत्या

*20--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला देवरिया, थाना बनकटा, ग्राम नोनाड़ पाण्डेय के बागीचे में गत 6 अक्तूबर, 1980 को 11-30 बजे रात श्री सामरथ चौधरी को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया । यदि हां, तो श्री सामरथ चौधरी के विरुद्ध थाना बनकटा या अन्य देवरिया के थानों में कितने मुकदमे कायम थे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सामरथ चौधरी की मृत्यु 6/7 अक्तूबर, 1980 की रात को पुलिस मुठभेड़ में हुई । श्री चौधरी के विरुद्ध थाना बनकटा या जिला देवरिया के किसी अन्य थाने में कोई मुकदमें कायम नहीं थे लेकिन बिहार के दो थानों से सम्बन्धित 4 मुकदमें चल चुके हैं ।

घटना की मैजिस्टीरियल जांच की जा रही है तथा अभियोग विवेचनाधीन है

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ एच0 ए0 एल0 के कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-1-1981 को लखनऊ स्थित एच0 ए0 एल0 के शान्त प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर किये गये निर्मम लाठी चार्ज तथा अनेक व्यक्तियों की गिरफ्तारी का कारण क्या था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

लखनऊ स्थित एच0 ए0 एल0 के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया । दिनांक 29-1-81 को ड्यूटी पर जा रहे अधिकारियों पर हड़ताली कर्मचारियों ने थूका और उनके विरुद्ध नारे लगाये । अधिकारियों द्वारा मना करने पर हड़ताली कर्मचारी झगड़ा करने पर उतारू हो गये और उन्होंने ढेलेबाजी आरम्भ कर दी जिससे पी0 ए0 सी0 के एक प्लाटून कमाण्डर तथा एक कान्सटेबिल को चोटें आयीं । स्थिति को देखते हुए धारा 151 जा0 फौ0 के अन्तर्गत 34 हड़ताली कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर मिला है कि लाठी चार्ज नहीं किया गया । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय यह घटना घटी है, उस समय वहां के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे थे और उन पर लाठी चार्ज किया गया, तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि जिन्हें चोटें लगी थीं, उनकी शिकायत पर क्या कोई जांच कराई गयी और उसकी क्या जांच रिपोर्ट आई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आपके प्रश्न के सम्बन्ध में जो तथ्य आये हैं, वह यह है कि उन्हें पकड़ा गया, पकड़ते वक्त 6 लोगों को चोटें आयी थीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर तो नहीं आया, सरकार ने कहा कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, यह पुलिस की रिपोर्ट है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 6 को जो चोटें आईं, क्या सरकार ने किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इसकी जांच कराई कि लाठी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ ? इसके साथ एक और उत्तर दे दें कि जिन सिपाहियों को चोटें आईं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है और जो अन्य लोगों को चोटें आईं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गयी थी, जांच रिपोर्ट में यह था कि लाठी चार्ज नहीं हुआ था, चोट केवल पकड़ते वक्त, जो कि इधर-उधर भाग रहे थे, उनको आई थी । इंजरी में स्वेलिंग कंट्युजन (लाल नीलगू) का निशान है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब वे गिरफ्तार होकर जेल में गये, तो जेल में उन लोगों का मेडिकल हुआ होगा और वह जेल की मेडिकल रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, जेल की रिपोर्ट में जो इंजरी चारों लोगों के बारे में कंट्युजन है, जिसे हिन्दी में नीलगू का निशान कहते हैं, उसमें मिला था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो नीलगू का निशान है, वह तो किसी ब्लंट वीपन से हो आयेगा, तो इससे बिलकुल स्पष्ट है कि लाठी चार्ज हुआ, लाठी की चोटें उस पर आई हुई हैं । क्या मेरी सूचना को सही मान कर मंत्री जी फिर से इसकी जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, वह जो नीलगू का निशान है, इससे लगता है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है । 34 लोगों में से केवल 6 लोगों को, जिसमें कि पुलिस के लोग भी हैं, उन पर भी चोटें आई हुई थीं, तो इसकी पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, किस चीज से वह चोटें आई हैं, डाक्टर की क्या रिपोर्ट है, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, उसमें तो सब में लिखा रहता है कि किसी ब्लंट चीज से चोट आई हुई हैं, तो ब्लंट चोट पकड़ते वक्त तो लग ही जाती है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि वह लोग एप्रीहेन्सन आफ ब्रीच आफ पीस की धारा 151 में पकड़े गये और उन लोगों को जो चोटें आयी हैं, नीलग के निशान आये, वह किसी ब्लन्ट वैपन्स की हैं। तो जो जो लोग पकड़े गये उनमें से एक पार्टी तो मजदूरों की थी और दूसरी पार्टी कौन है, इसे कृपया बतायें और दूसरी चीज यह जब वह लोग खुद भाग रहे थे, तो उन पर लाठी चार्ज कर जबरदस्ती पकड़ने की क्या जरूरत थी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एक लिखित रिपोर्ट वहां के अधिकारियों द्वारा दी गयी थी उसके तहत, वहां गिरफ्तारी हुयी और जो लोग गिरफ्तारी नहीं देते थे, उनको पकड़ा जा रहा था ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा मैंने तो पूछा कि जब एक पार्टी मजदूर थी, तो दूसरी पार्टी कौन सी थी और दूसरी चीज स्पष्ट यह है कि जब यह लोग स्वंय भाग रहे थे, तो आपको जबरदस्ती लाठी चार्ज कर पकड़ने की क्यों आवश्यकता प्रतीत हुयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, वह स्वयं नहीं घटना स्थल से भाग रहे थे, जब उनको पकड़ा जा रहा था, तभी भाग रहे थे ।

मोतीझील कालोनी के अध्यसियों का किराये सम्बन्धी ज्ञापन

**2--श्री खैरुल बशर, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मसरूर जाफरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मोतीझील सचिवालय कालोनी, लखनऊ के अध्यासी कर्मचारी संगठन द्वारा कालोनी में सुविधाओं एवं किराये के सम्बन्ध में जनवरी, 1981 में कोई ज्ञापन राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन को दिया है ? यदि हां, तो ज्ञापन में दिये गए तथ्यों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह भी सही है कि सा0 नि0 बि0 अनुरक्षण खंड-3 द्वारा मानक किराया बीजक बनाकर वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

श्री जावेद अली--

मोतीझील कालोनी के 13 अध्यासियों के हस्ताक्षर से माह जनवरी, 1981 में एक ज्ञापन शासन को प्रस्तुत किया गया था । इस ज्ञापन में भवन निर्माण में परिवर्तन जल वितरण की पाइप लाइन, सैनेटरी फिटिंग तथा सीमा दीवार का निर्माण, पुलिस चौकी की स्थापना और किराया वसूल न करने आदि विषयों पर सुझाव दिये गये थे । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्यवाही प्रगति पर है ।

अध्यासीगण इन आवासों में निवास कर रहे हैं, अतः नियमान्तर्गत उनसे किराया वसूल किया जा रहा है । आवास का मानक किराया अथवा वेतन का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, ही वसूल करने का प्रस्ताव है और जिन अध्यासियों ने अपने वेतन आदि का विवरण अनुरक्षण खंड को प्रस्तुत नहीं किया है उनको मानक किराये के आधार पर बिल भेजा गया है । वेतन सम्बन्धी विवरण प्राप्त होने पर

अध्यासी को पुनरीक्षित बिल भेजा जायेगा । नियमान्तर्गत देय किराये से अधिक किराया लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री खंरुल बशर--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किराये से सम्बन्धित जो उनकी दरख्वास्तें थीं उसमें उन्होंने यह शिकायत की थी कि नवम्बर, 1980 से उन लोगों से किराया लिया जा रहा है, जबकि पानी की टंकी दिसम्बर के अन्त में बनी है और पानी सप्लाई जनवरी, 1981 से हुआ है और किराया आप नवम्बर, 80 से लेने जा रहे हैं, ऐसा क्यों ?

श्री जावेद अली--

श्रीमन्, जिस दिन से उन अध्यासियों को मकान एलाट हुए हैं और उन लोगों ने पजेशन ले लिया है, उसी दिन से किराया लिया जा रहा है ।

श्री खंरुल बशर--

क्या यह सही है कि उन लोगों ने कब्जे इसलिये लिया था कि यदि कब्जा नहीं लेंगे, तो निरस्त कर दिया जायेगा दूसरी चीज जब सारी सुविधायें सुलभ नहीं थीं, तो कब्जा क्यों दिया गया ?

श्री जावेद अली--

कब्जा उन्होंने लिया । कब्जा लेने के बाद किराया लिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मोती झील कालोनी कर्मचारियों के नाम से आवंटित की गई और कर्मचारियों ने जिनके नाम आवंटित किया उन्होंने एक ज्ञापन दिया शासन को जिसमें बिल्डिंग की खस्ता हालत की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया, पानी के संकट, किराये के सम्बन्ध में अनियमितता थी उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिल्डिंग की खस्ता हालत है टपक रही है पैर रखने पर टूट जाती है और लोग चोट खाते-खाते बचे इस दिशा में क्या कदम उठाया गया । जिस ठेकेदार ने बिल्डिंग को बनाया था उस ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री जावेद अली--

श्रीमन्, जो उनका पत्र था उसमें जो सुझाव थे उन पर सारा काम हो गया है सिर्फ ईटों की जाली बनने का काम रह गया है वह जल्दी पूरा हो जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो उस बिल्डिंग की सीमेन्ट और बालू के अनुपात में धांधली बरती गई है क्या इसकी जांच कराकर बिल्डिंग की खस्ता हालत को सुधारने के लिये माननीय मन्त्री जी ने पी० डब्लू० डी० विभाग को लिखा है, अगर लिखा है तो पी० डब्लू० डी० विभाग ने क्या कदम उठाया ?

श्री जावेद अली--

श्रीमन्, इसमें उनका पत्र आने से पहले 80 में जो भवन में कमियां थीं उसके लिये निर्णय लिया जा चुका था जो माप है, उसके आधार पर उसको पूरा

कराया गया है । उसके बाद पत्र मिला और उसमें जो कमियां बताई गई हैं उसको पूरा कराया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

हमारा सवाल दूसरा है । हमारा सवाल यह है कि ठेकेदार ने जिसने बिल्डिंग बनाया था और उसमें गड़बड़ी किया था और माननीय मन्त्री जी ने कहा कि गड़बड़ी साबित हो गई और उसको सुधारा जा रहा है उस गड़बड़ी की जांच कर ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही करगे ?

श्री जावेद अली--

एल० डी० ए० ने बनाया था अगर जरूरत हुई तो जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी जो भी दोषी पाये जायेगें उनके विरुद्ध ?

श्री खैरुल बशर--

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भवन के निर्माण में अनियमितता बरती है और गड़बड़ी कायम है उन्ही से आप रिपोर्ट मांग रहे हैं क्या इस सदन के सदस्यों की समिति से जांच कराकर रिपोर्ट को सदन में रखेंगे ?

श्री जावेद अली--

जहां तक जांच का ताल्लुक है इस भवन के निर्माण कार्य में उसकी जांच जिस तरह से होती है, की जायेगी उन लोगों से रिपोर्ट नहीं मांगी जायेगी ।

अतरांकित प्रश्न

1--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[24-2-81 को अतारांकित प्रश्न सं० 180 द्वारा उत्तरित]

बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव, श्री राम नारायण सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

2--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को बुन्देलखंड विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव श्री राम नारायण सिंह के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायत जुलाई, 1979 के बाद प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, श्री राम नारायण सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं, किन्तु उनमें शिकायतों का कोई स्पष्ट विवरण न प्रस्तुत किये जाने के कारण उन पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पायी गयी ।

जालौन जिले में डकैती एवं अपहरण

3--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 1980 के महीनों में जनपद जालौन में कितनी डकैती, अपहरण डकैतों द्वारा हुए ? क्या

सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या जिन व्यक्तियों की डकैतों द्वारा हत्यायें कर दी गयी हैं क्या उनके परिवारों को कोई आर्थित सहायता सरकार द्वारा देने का विचार है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माह सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर, 1980 में जनपद जालौन में डकैती की 12 तथा डकैतों द्वारा अपहरण की 11 घटनायें हुई। जनपद जालौन की पुलिस एवं सीमावर्ती जिलों की पुलिस दस्युओं के उन्मूलन के सम्बन्ध में सतत् प्रयत्नशील है।

डकैतों द्वारा की गयी हत्याओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

सीतापुर जिले की एक अध्यापक वाली प्राइमरी पाठशालायें

4--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीतापुर में कितनी प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनमें एक ही अध्यापक हैं और उनमें कितने विद्यार्थी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 256 प्राइमरी पाठशालायें ऐसी हैं जिनमें केवल एक ही अध्यापक कार्यरत है और उनमें विद्यार्थियों की संख्या 17,631 है। इसी प्रकार जनपद सीतापुर के नगर क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 47 प्राइमरी पाठशालायें ऐसी हैं, जिनमें केवल एक ही अध्यापक कार्यरत है और उनमें विद्यार्थियों की संख्या 1,671 है।

सीतापुर जिले के प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय की गई धनराशि

5--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा पर सरकार का 1 दिसम्बर, 1980 तक कितना खर्च हुआ और किसके माध्यम से हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सीतापुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा पर दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 तक शासकीय परियोजना पर निदेशालय तथा जनपद के जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी के माध्यम से 4,82,538·53 रु0 (केन्द्र सरकार का 4,63,902·71 रु0 तथा राज्य सरकार का 18,635·82 रु0) खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 1979-80 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु जनपद की दो स्वैच्छिक संस्थाओं को 99,000 रु0 का केन्द्रीय अनुदान भी स्वीकृत किया गया जिसमें से किये गये व्यय की सूचना उपलब्ध नहीं है। नेहरू युवक केन्द्र, सीतापुर द्वारा इस कार्यक्रम पर किये गये व्यय की सूचना भी उपलब्ध नहीं है।

सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में पंजीकृत अभ्यर्थी

6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में ऐसे कितने अभ्यर्थी पंजीकृत हैं जिनके पास गत 2 वर्षों से या उससे भी अधिक समय से कोई भी साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा गया ? जिन्हें साक्षात्कार पत्र नहीं भेजे गये उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ द्वारा गत दो वर्ष से 415 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा गया ।

सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ द्वारा दो वर्षों से अधिक समय से 6,310 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा गया ।

जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र नहीं भेजे गये उसके कारण निम्न-लिखित हैं :

(1) सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में पंजीकृत अभ्यर्थियों की तुलना में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या कम होने के कारण अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पत्र या साक्षात्कार हेतु नहीं भेजा जा सका ।

(2) जिला चयन समिति के कार्यकाल में राज्य सरकार की लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के लिये वर्ष भर में केवल एक साक्षात्कार किया जाता था जिसके कारण साक्षात्कार पत्र अथवा साक्षात्कार के अवसर अधिक नहीं दिये जा सके ।

(3) राज्य सरकार द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्तियों को भरने हेतु जिला चयन समिति को 11 अक्तूबर, 1979 में पारित अधिसूचना द्वारा भंग कर दिया गया था, जिसमें यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि सेवायोजक पंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सीधे भी आमंत्रित कर सकते हैं ।

7--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अल्मोड़ा जिले में श्री राम पाल सिंह कटियार को खड़िया खनन का दिया गया पट्टा तथा रायल्टी की धनराशि

8--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल में श्री राम पाल सिंह कटियार को कब व किन-किन तिथियों में कितने समय के लिये खड़िया खनन की लीज दी गई है क्या उपरोक्त व्यक्ति ने लीज में दी गई शर्तों के मुताबिक कार्य किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

जनपद अल्मोड़ा में श्री राम पाल सिंह कटियार के पक्ष में खड़िया (सीप स्टोन) के खनन हेतु तीन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। इन पट्टों का ब्योरा यह है :

क्षेत्र	पट्टा निष्पादन की तिथि	अवधि
1	2	3
1—ग्राम हड़वाड़ नरगोल, बमकाना, गदोली, जिला अल्मोड़ा	दिनांक 7 फरवरी, 1977	10 वर्ष
2—ग्राम खकोलो, पल्ला बोरारी, जिला अल्मोड़ा	दिनांक 17 मार्च, 1977	5 वर्ष
3—ग्राम बसकुना, पोख, जिला अल्मोड़ा	दिनांक 9 नवम्बर, 1979	20 वर्ष

पट्टेदार ने पट्टों की कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है। उसको इस सम्बन्ध में नोटिस दी जा रही है।

9—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रामपाल सिंह कटियार, खड़िया खनन लीज होल्डर ने 1977 से 1980 तक सरकार को कितनी रायल्टी अल्मोड़ा जनपद के खनन को दी है और सरकार से कितनी धनराशि यातायात अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है ? यदि हां, तो उनको उक्त समय में कितना अनुदान स्वीकार हुआ ?

श्री नियाज हसन खां—

श्री राम पाल सिंह कटियार ने वर्ष 1977 से 1980 के मध्य तक 1,338.25 रु० की रायल्टी दी है। पट्टेदार ने यातायात अनुदान के रूप में 1,27,180·66 रु० की धनराशि के आवेदन-पत्र दिये हैं जिसके विरुद्ध परिवहन अनुदान योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति, अल्मोड़ा ने तदर्थ रूप से 20,000 की धनराशि स्वीकृत की है।

बरेली-बदायूं कासगंज मार्ग पर रामगंगा नदी के पुल पर पथकर की वसूली

10—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली, बदायूं, कासगंज मार्ग पर बरेली नगर के निकट रामगंगा पर जो पक्का पुल बना है उस पर सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुई थी और उस समय से अब तक प्रति वर्ष कितनी धनराशि कर द्वारा वसूल हुई और कब तक इस पुल के कर मुक्त होने की संभावना है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

बरेली-बदायूं-कासगंज मार्ग पर रामगंगा नदी पर बनाये गये पक्के पुल की लागत 59,06,922 रु0 हैं । इस पुल पर पथकर के रूप में वर्ष 1962 से जनवरी, 1981 तक वसूल की गई धनराशि का वर्ष वार विवरण अनुसूची में अंकित है । नियमानुसार इस पुल को मार्च, 1985 तक पथकर से मुक्त किये जाने की सम्भावना है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1361 पर)।

यू0 पी0 निवास, दिल्ली के भोजनालय से आमदनी एवं व्यय तथा फर्नीचर पर व्यय की गयी धनराशि

11--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 निवास में जो भोजनालय चलाया जाता है उस पर पिछले पांच वर्षों से कितना खर्चा, कितनी आमदनी हुई और उसमें कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ? क्या इस मद का रुपया सरकारी खजाने में भी जमा होता है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उ0 प्र,0 निवास, नई दिल्ली का भोजनालय, "बिना हानि लाभ" के आधार पर चलाया जाता है । भोजनालय के बर्तन, क्राकरी तथा कटलरी पर सन् 1975 से अब तक रु0 17,609·27 व्यय हुआ । इस समय उक्त भोजनालय में 12 कर्मचारी कार्य करते हैं । चूंकि भोजनालय "बिना लाभ-हानि" के आधार पर चलाया जाता है अतः उस मद का रुपया सरकारी खजाने में जमा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

12--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भोजनालय के लिये प्रति वर्ष सरकार अलग से भी रुपया देती है ? यदि हां, तो सन् 1975 से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

13--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1975 से लेकर अब तक फर्नीचर तथा दरियों, कम्बलों, चादरों, बर्तनों, क्राकरीज पर कितना रुपया दिया गया है ? क्या पुराना सामान इन वर्षों में नीलाम किया गया ? यदि हां, तो उससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उ0 प्र0 निवास, नई दिल्ली के फर्नीचर, दरियों, कार्पेट, कम्बलों, चादरों, बर्तन, क्राकरीज, कटलरीज पर सन् 1975 से अब तक कुल 62,112·27 रु0 व्यय हुआ ।

उ0 प्र0 निवास, नई दिल्ली के पुराने सामान का नीलाम पिछली बार 26 अगस्त, 1979 तथा 2 सितम्बर, 1979 को किया गया था जिसमें कुल 4,810 रु0 की धनराशि प्राप्त हुई ।

वाराणसी के ग्राम सुरियांवा निवासी श्री हंसराज द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट

14—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हंसराज पुत्र अंगद, सुरियांवा थाना सुरियांवा जिला वाराणसी का मु0 संख्या 124 धारा 394/42-ए ता0 हिन्द, थाना सुरियांवा, वाराणसी में दर्ज किया गया था जिस पर 29-9-80 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ? यदि हां, तो क्या अंगद से या उसके गवाहों से बयान सबूत आदि लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त सारे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । श्री हंसराज पुत्र श्री अंगद, निवासी मौजा व थाना सुरियांवा, जिला वाराणसी की सूचना पर धारा 394/426 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना सुरियांवा पर एक अपराध पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना के उपरान्त 29-9-80 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई । प्रश्नगत विषय में अंगद तथा उनके गवाहों के बयान लिए गए । अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

वन विभाग द्वारा कथित रेशम के कीड़े पालने हेतु लगाए गए शहतूत के पेड़

15—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत के पेड़ लगाने की एक व्यापक परियोजना वन विभाग ने चलाई है उसमें 31 दिसम्बर, 1980 तक क्या प्रगति हुई और योजना पूरी होने पर कितना रेशम पैदा होगा और कितने लोगों को काम मिलेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वन विभाग ने रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत के पेड़ लगाने की कोई व्यापक परियोजना नहीं चलाई है किन्तु वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 301.38 हैक्टेयर वन क्षेत्र में शहतूत एवं अर्जुन के वृक्षों का रोपण किया जा चुका है तथा रेलवे लाइन और नहरों के किनारे 17,330 शहतूत के वृक्ष लगाए गए हैं ।

क्योंकि वन विभाग द्वारा रेशम पैदा ही नहीं किया जाता है, अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले के शिक्षकों का जी0 पी0 एफ0 एवं पेंशन

16—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 को कितने अवकाशप्राप्त शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें प्राविधायी

निधि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं हुआ है तथा कितने शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें नयी दर पर पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परमहंस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़ में पिछड़ी जाति के अध्यापकों का आरक्षण

17--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमहंस उ० मा० विद्यालय, बेऊपुर हनुमाननगर, आजमगढ़ में शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग पिछड़ी जाति का आरक्षण पूरा है ? यदि नहीं, तो उसे पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर जिले की सड़कों की मरम्मत

18--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर में कितनी सड़कें बरसात में टूटी और उसमें कितनों की मरम्मत हो गई और जो शेष रहीं वह कब तक बन जायेंगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जनपद सीतापुर की 20 सड़कें वर्ष 1980 में वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई थीं । इन सभी मार्गों की मरम्मत यातायात खोलने के स्तर तक कर दी गई है । कुछ मार्गों पर सीमेन्ट की कमी के कारण नयी पुलियों का निर्माण नहीं किया जा सका है । इन मार्गों को डामर की कमी के कारण मूल स्थिति में नहीं लाया जा सका है ।

डामर और सीमेन्ट की उपलब्धता पर इन कार्यों का पूर्ण किया जाना निर्भर करेगा ।

थानाध्यक्ष, थाना चौक, लखनऊ को लाइन हाजिर होने सम्बन्धी आदेश

19--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 28 दिसम्बर, 1980 को किसकी लिखित शिकायत के आधार पर थाना चौक, लखनऊ के थानाध्यक्ष एवं इन्स्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया ? बाद में लाइन हाजिरी का आदेश क्यों वापस लिया गया तथा इसी थाने की हवालात में कुमारी फखरुनिसां व कुमारी जैबुननिसां को कितने समय तक किस आधार पर बन्द किया गया था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी फखरुनिसां व कुमारी जेबुनन्निसां की लिखित शिकायत पर निरीक्षक प्रभारी, थाना चौक को पुलिस लाइन स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया था। तदोपरान्त कुछ अन्य बातों की जानकारी मिलने पर यह आदेश मामले की पूर्ण जांच होने तक स्थगित कर दिया गया। कुमारी फखरुननिसां और कुमारी जेबुनन्निसां को दिनांक 27-12-80 को दिन में 11.05 बजे दोपहर से 1.30 बजे तक चौक कोतवाली की हवालात में रखा गया। इनके विरुद्ध अ० सं० 1340 धा० 294 भा० दं० वि० का अभियोग कायम हुआ था।

आर० बी० एस० इन्टर कालेज, आगरा के अध्यापकों का वेतन

20--श्री बदन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर० बी० एस० इन्टर कालेज, आगरा की बिचपुरी शाखा (आगरा) के 9 अध्यापकों को जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा द्वारा जुलाई, 1980 से घर बैठे वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था कैसे चल रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवनों का निर्माण

21--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिछले तीन वर्ष में इमारतों का निर्माण कार्य कितना हुआ, उसमें कितना पैसा व्यय हुआ और शेष कार्य कितना रह गया ? शेष रहने का क्या कारण है और कितने समय में पूरा हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

पिछले तीन वर्षों में 493 विभिन्न श्रेणी के आवासीय एवं अनावासीय भवन, 4 विभिन्न शैय्या वाले वार्डों का निर्माण एवं 2 परिवार कल्याण के भवन बनाये गये। उसमें लगभग 131 लाख रुपया व्यय किया गया। लगभग 480 भवन बनने शेष हैं। सीमेन्ट की कमी व भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य पूरा न हो सका। यह सभी कार्य लगभग दो वर्षों में पूरे हो जायेंगे यदि सीमेन्ट समय से प्राप्त होता गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिपिक श्री रामफल की पत्नी श्रीमती चन्द्रावती का पत्र

22--श्री सन्त बक्श रावत--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्नक सहित श्रीमती चन्द्रावती पत्नी श्री रामफल निम्न श्रेणी लिपिक के

सम्बन्ध में दिनांक 16-12-80 को प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति उनके पत्रांक 2131/80, दिनांक 19-12-1980 को की गई है। पत्र क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1362 पर)

जी हां। कार्यवाही संलग्न तालिका दर्शायी गई है।

थाना हसनगंज, उन्नाव के सब-इन्सपेक्टर के स्थानान्तरण सम्बन्धी कथित आदेश

23--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना हसनगंज जनपद उन्नाव के सब-इन्स्पेक्टर को माह दिसम्बर, 1980 के तीसरे या चौथे सप्ताह में उप पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ के निर्देश पर स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार के द्वारा उसको स्थानान्तरण का आदेश परिपालन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माह दिसम्बर, 1980 में थाना हसनगंज जनपद उन्नाव के थानाध्यक्ष को स्थानान्तरित करने के आदेश उप पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ के निर्देश पर नहीं दिये गये थे। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जिले के महोलिया बेनी सरायं मार्ग पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति

24--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक लहरपर, सीतापुर में ग्राम महोलिया बेनी सरांय के बीच सम्पर्क मार्ग पर जो पुलिया बननी है, उसके आदेश हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां। प्रश्नगत आदेश हो गये हैं।

25--श्री भीखा लाल--

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण

26--श्री मोती लाल देहलवी, श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री मुख्तार अनीस--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय महाविद्यालय हैं और इनमें प्राचार्य की नियुक्ति के लिएपिछली बार लोक सेवा आयोग से कब विज्ञप्ति हूई थी इस विज्ञप्ति के बाद प्राचार्य स्नातक तथा स्नातकोत्तर पदों पर कितनी प्रोन्नति दी गई ? इन प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का कोटा पूरा किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस समय प्रदेश में कुल 38 राजकीय महाविद्यालय हैं। लोक सेवा आयोग से प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों के लिये अन्तिम विज्ञापन वर्ष 1971 में किया गया था। उक्त विज्ञापन के बाद अब तक समय-समय पर कुल 89 अधिकारी स्नातक प्राचार्य के पद पर तथा 20 अधिकारी स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति किये गये। इन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का कोटा पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि इस वर्ग के व्यक्ति या तो अनुपयुक्त पाये गये अथवा पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध न थे।

27--श्री हर गोविन्द वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

--श्री मोती लाल देहलवी--

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जौनपुर जिले के मुर्तजाबाद पेशारा मार्ग का निर्माण

29--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले मुर्तजाबाद से पेशारा राजमार्ग पर गत चार वर्ष पूर्व कार्य प्रारम्भ हुआ था और क्या यह भी सत्य है कि उक्त मार्ग पर अभी तक मिट्टी का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है? क्या सरकार इस सड़क के अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां।

उक्त स्वीकृत मार्ग के कुछ भागों में मिट्टी का कार्य पूर्ण होना शेष है।

जी हां। निर्माण सामग्री उपलब्ध होते ही शेष कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा।

जौनपुर जिले के पालीसिकरार सड़क के निर्माण की मांग

30--श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पाली से सिकरारा सड़क पर गत तीन वर्ष पूर्व मिट्टी पड़ी थी परन्तु उसके पश्चात् न तो उस सड़क का रख-रखाव किया गया और न उसे आवागमन के योग्य बनाया? क्या जनहित में इस सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जायगा? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जौनपुर में मड़ियाहूं विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पाली से सिकरारा मार्ग पर इस विभाग द्वारा पिछले 3 वर्ष पूर्व कोई भी मिट्टी का कार्य नहीं कराया गया और न ही यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृत है।

भविष्य में इस मार्ग का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जौनपुर जिले की उसरहटा–दीदारगंज सड़क के निर्माण की मांग

31––श्री प्रभू नारायण सिंह––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर एवं आजमगढ़ जनपदों के सरहद पर पड़ने वाली उसरहटा से दीदारगंज सड़क का सर्वे कई बार कराया गय परन्तु उसका निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ ? क्या यह भी सत्य है कि यह सड़क लुम्बनी से दुद्धी एवं मार्टिनगंज से दीदारगंज की मुख्य सड़कों को जोड़ती है ? क्या सरकार इस राजमार्ग को शीघ्र निर्मित करायेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद––

जी नहीं ।

मार्ग का सर्वेक्षण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है, अतः निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मार्ग को निर्मित कराने की अभी कोई योजना नहीं है ।

जौनपुर जिले के बिलकिच्छा में गोमती नदी पर पुल निर्माण की मांग

32––श्री प्रभूनारायण सिंह––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर–इलाहाबाद राजमार्ग पर जौनपुर जनपद के अन्तर्गत बिलकिच्छा स्थान पर गोमती नदी पर सेतु न बनने से पूरा आवागमन अवरुद्ध रहता है ? क्या सरकार उक्त स्थल पर जन साधारण को आवागमन का मार्ग सुलभ कराने हेतु सेतु निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद––

गोमती नदी पर पान्टुन पुल चल रहा है, अतः आवागमन अवरुद्ध होने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त स्थान पर पक्के पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर कताई मिल में घटी घटना सम्बन्धी–पत्र

33––श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 का एक श्री प्रियदर्शी जेतली का अकबरपुर स्थित मरैला मिल में 14 अप्रैल, 1979 को घटी घटना के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों की जानकारी के लिए लिखा गया कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है वह पत्र क्या है ?

श्री नियाज हसन खां––

श्री प्रियदर्शी जेतली, विधायक का एक पत्र प्राप्त हुआ था जो अकबरपुर कताई मिल में 14 अप्रैल, 1979 को हुई घटना के तथा श्रमिकों की भर्ती के सम्बन्ध में है ।

सूचना एकत्रित कर ली गई है तथा श्री जेतली को उत्तर भेजा जा रहा है।

34—श्री मुख्तार अनीस—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शान्ती निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस्ती के शिक्षको का बकाया वेतन

35—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि शान्ति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छलहरी बस्ती के किन-किन शिक्षकों को गत जनवरी, 1980 से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है वेतन वितरण अधिनियम में आगामी माह की 20वीं तारीख तक वेतन भुगतान का स्पष्ट प्राविधान होने के बाद भी 11 महीने तक वेतन बकाया रहने के क्या प्रमुख कारण हैं ? क्या सरकार इसको ठीक करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ के रायफल क्लब की शुल्क की धनराशि

36—श्री पंचानन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कोई रायफल क्लब है, जिसके जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पदाधिकारी हैं ? क्या यह भी सही है कि आग्नेयास्त्रों के नवीनीकरण के समय लाइसेन्स धारकों से इसका शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो इस क्लब में 30-12-80 को कितना धन जमा है ? इसमें लिए गए शुल्क का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां ।

दिनांक 30-12-80 तक इस क्लब में रु0 26,343·15 रु0 जमा है । प्राप्त शुल्क का प्रयोग रायफल शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने तथा सदस्यों को निर्धारित दर से कारतूस उपलब्ध कराए जाने में किया जाता है ।

गोरखपुर एवं वाराणसी मंडलों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दी गयी बाढ़ सहायता

37—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर एवं वाराणसी मंडल के किन-किन सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में बाढ़ एवं सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षतिपूर्ति वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति न दिए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वीर स्मारक इन्टर कालेज, मेरठ के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

38--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीर स्मारक इन्टर कालेज, बड़ौत, मेरठ में अवैध शुल्क वसूल किये जाने की कोई शिकायतें शिक्षा विभाग एवं शासन को जुलाई, 1979 में प्राप्त हुयी थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा उसके क्या परिणाम निकले ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शिकायतें किनके द्वारा की गयी थी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

39--श्री पंचानन--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

गोरखपुर तथा वाराणसी मण्डल के जिला विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

40--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में गोरखपुर तथा वाराणसी मंडल के किन-किन जिला विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें शिक्षा विभाग एवं शासन को प्राप्त हुयीं ? क्या इन शिकायतों की जांच करायी गयी ? जांच के उपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और उनमें कौन-कौन से ऐसे अधिकारी हैं किनकी पदोन्नति कर दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर मंडल के माध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों का ज्ञापन

41--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मंडल के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को कोई ज्ञापन माह नवम्बर, 1980 में शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक को उनके बस्ती जनपद के दौरे के समय प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं और इस सम्बन्ध में 30-12-80 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी० एन० के० इन्टर कालेज, कानपुर में शुल्क वसूली सम्बन्धी शिकायत

42--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० एन० के० इन्टर कालेज, कानपुर में छात्रों से अवैध शुल्क वसूल किये जाने की कोई शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक को जुलाई एवं अगस्त, 1980 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 30 दिसम्बर, 1980 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रधानाचार्य को विद्यालय के अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत करने तथा विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर ही शुल्क की वसूली के निर्देश दिये गये हैं ।

इटावा जिले के इन्टर कालेज, हैदरपुर के अध्यापक की डकैती के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

43--श्री पंचानन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद के अजीतमल थाना क्षेत्र में स्थित इंटर कालेज, हैदरपुर के एक अध्यापक को डकैती का गिरोह बनाने के कथित अभियोग में अक्तूबर, 1980 में गिरफ्तार करके थाने में मारा-पीटा गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस सम्बन्ध में सात विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित कोई पत्र शासन को 15-12-80 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 10/11 नवम्बर, 1980 की रात्रि में 00·45 बजे डकैतों के सशस्त्र गिरोह के साथ डकैती की योजना बनाते हुए घटनास्थल पर आवश्यक बल प्रयोग कर अजीतमल थाना क्षेत्र में स्थित इंटर कालेज हैदरपुर के एक अध्यापक को बंदी बनाया गया । इस सम्बन्ध में धारा 399/402 भा० दं० वि० व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग थाना अजीतमल पर पंजीकृत किया गया । वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र जिस पर छः माननीय विधायकों के हस्ताक्षर हैं शासन को प्राप्त हुआ ; जिसकी पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र द्वारा जांच की जा रही है ।

आस्ट्रेलिया के यूक्लिप्टस वृक्ष को प्रदेश में लगाये जाने की मांग

44--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि आस्ट्रेलिया में यूक्लिप्टस की ऐसी किस्में भी हैं जो उत्तम औद्योगिक एवं मजबूत लकड़ी दे सकती हैं, जो कि भारत में जितनी यूक्लिप्टस हैं वह सब मुलायम लकड़ी के हैं ? क्या सरकार उन उत्तम औद्योगिक मजबूत लकड़ी वाले यूक्लिप्टस के बीज मंगाकर बुआने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। यूकिलिप्ट्स की इन प्रजातियों का, नर्सरी एवं फील्ड परीक्षण अनुसंधान एवं विकास वृत्त, वन विभाग द्वारा किया गया, परन्तु ये प्रजातियां उपयुक्त जलवायु एवं भूमि उपलब्ध न होने के कारण बड़े पैमाने पर सफल नहीं पाई गई।

कानपुर केसा के बिजली मिस्त्री की रिश्वत के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

45--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह में कानपुर के एक विधायक ने केसा के एक बिजली मिस्त्री को 20 रुपये की रिश्वत में पकड़ने के लिये नोटों पर स्वयं हस्ताक्षर किया और स्थानीय पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कराया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने रिश्वत पकड़ाने के लिये विधायकों को नोटों पर हस्ताक्षर करने के अधिकार दे दिये हैं ? और यदि नहीं, तो उपरोक्त मामले में सरकार ने क्या किया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। नोटों पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था किसी भी अधिनियम में नहीं है और यह केवल साक्ष्य एकत्र करने का एक तरीका है।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, पिंडरा, वाराणसी की इमारत की मरम्मत

46--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशाला पिंडरा के पास इमारत नहीं है और उसका नक्शा तथा एक इस्टीमेट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को दिसम्बर, 1980 में ग्राम प्रधान ने दाखिल कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्कूल के लिए धन की व्यवस्था अलग से करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशाला पिंडरा की इमारत है किन्तु क्षतिग्रस्त हो गयी है। इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु ग्राम प्रधान ने एक नक्शा एवं इस्टीमेट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है। इस विद्यालय के भवन निर्माण को अलग से व्यवस्था कराये जाने का प्रश्न नहीं है। जो इमारत विद्यमान है उसकी दीवारें खड़ी हैं किन्तु खपरैल की छत गिर गयी है। वर्ष 1980-81 में विद्यालय की मरम्मत हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से इस विद्यालय के छत के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

नेशनल इन्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी को पुस्तकालय अनुदान दिये जाने की मांग

47--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री नेशनल इन्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी को एक लाइब्रेरी के लिये पुस्तकें खरीदने तथा लाइब्रेरी इमारत एवं एक हाल बनाने हेतु अनुदान देने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

एक माता-पिता के दो बच्चों की शिक्षा हेतु दी जाने वाली राजकीय सुविधा सम्बन्धी कथित कानून

48--श्री धनीराम वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा कोई ऐसा कानून पारित किया गया है जिसके तहत एक माता-पिता के केवल दो बच्चों को ही शिक्षा प्राप्त करने हेतु राजकीय सुविधायें प्रदान की जावेंगी ? यदि हां, तो यह कानून कब के लागू किया गया है ? क्या यह कानून सन् 1976 के पूर्व जन्मे बच्चों पर भी लागू किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

शिक्षा विभाग में पिछड़ी जाति के महिला अधिकारी को पदोन्नति

49--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग में पिछड़ी जाति के आरक्षण के आधार पर महिला शाखा में वर्ष 1979-80 में किसी पात्र महिला अधिकारी को क्लास वन में प्रोन्नति दी गई है? यदि हां, तो किसे और यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

50--श्री मुख्तार अनीस--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

इटावा जिले के ग्राम पढ़ीन के जूनियर हाई स्कूल का भवन

51--श्री धनीराम वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा की तहसील औरैया एवं ब्लाक औरैया के ग्राम पढ़ान में वर्ष 1978-79 में उत्तर प्रदेश शासन ने एक जूनियर हाई स्कूल खोला था और मार्च, 1979 में उक्त जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु 66,200 रुपये शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्माण अभी तक क्यों नहीं कराया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर वन प्रभाग में पालीथीन बैगों की आपूर्ति की जांच

52--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर वन प्रभाग में पालीथीन बैगों की आपूर्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच दिसम्बर, 1980 के प्रथम पखवारे में अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सीतापुर वन प्रभाग में पालीथीन बैगों की आपूर्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच दिसम्बर 1980 में क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की गई । पालीथीन बैग सब स्टैण्डर्ड पाए गए इन सब स्टैण्डर्ड थैलियों की कीमत मालूम की जा रही है । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है ।

थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के थानाध्यक्ष श्री दुर्ग विजय मिश्र का स्थानान्तरण

53--श्री किरनपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के थानाध्यक्ष (श्री बी० डी० मिश्र) का स्थानान्तरण पिछले तीन महीने में दो बार लखनऊ रेंज में किया गया तथा दोनों बार रोक दिया गया ? यदि हां, तो स्थानान्तरण किये जाने का क्या आधार था और स्थानान्तरण रोके जाने के क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उप निरीक्षक श्री दुर्ग विजय मिश्र (बी० डी० मिश्रा नहीं) थानाध्यक्ष औरंगाबाद का स्थानान्तरण दिनांक 25-10-1980 को जनपद बुलन्दशहर से लखनऊ परिक्षेत्र प्रशासनिक आधार पर किया गया था, जो अनुकम्पा के आधार पर अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है ।

थाना बनकटा, जिला देवरिया के अन्तर्गत डकैती हत्या आदि की घटनाएं एवं थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

54--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के थाना बनकटा में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 के बीच कितनी डकैतियां, चोरियां, बल्वे, हत्यायें तथा इनकाउन्टर हुए ? कितने में चार्जशीट लगी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई के फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में बनकटा थाने में 5 डकैतियां, 16 चोरियां, 3 बल्वे, 2 हत्या तथा 2 मुठभेड़ की घटनायें हुईं । 3 डकैती, 6 चोरी, 3 बल्वे एवं एक एक हत्या के अभियोगों में चार्जशीट लगी तथा 10 चोरी,

एक हत्या व एक मुठभेड़ के अभियोगों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई । फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण पर्याप्त सक्ष्य का आभाव रहा है ।

55—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में थानाध्यक्ष, बनकटा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1980 डी0 आई0 जी0, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । शिकायतों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न है । समस्त आरोपों की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का वेतनमान

56—श्री सईदुल हसन—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1,500–2,500 रु0 के वेतनमान में कितने प्रोफेसर कार्यरत हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

गढ़वाल विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पांच प्रोफेसर वेतनमान 1,500–2,500 रु0 में कार्यरत हैं ।

रायबरेली जिले के शिवगढ़ मार्ग की मरम्मत सम्बन्धी शिकायती-पत्र तथा बिल में की गयी कटौती

57—श्री जोराज सिंह मौर्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में बछरावां-भवानीगढ़ व शिवगढ़ मार्ग के कि0 मी0 12, 13, 14, में कंकड़ कुटाई की शिकायत वर्ष 1977 में कार्य समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हुयी थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी को कार्य फाइनल से पूर्व इसको देख-रेख और जांच सौंपी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

रायबरेली जनपद में बछरावां, शिवगढ़ रोड की मरम्मत के सम्बन्ध में सितम्बर, 1977 में एक शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सार्वजनिक निर्माण विभाग से दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 को जांच करने के आदेश दिये गये थे ।

कार्य सितम्बर, 1977 में ही समाप्त हो चुका था । अतः कार्य समाप्ति से पूर्व जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

58—श्री जोराज सिंह मौर्य—

क्या यह सही है कि अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा जो कटौती बिल से करने की संस्तुति की गयी थी उसे प्राविधिक परीक्षक ने कम बताया

†नोट—छापा नहीं गया ।

है ? यदि हां, तो कितने रुपये बिल से कटे हैं और प्राविधिक परीक्षक ने यह कटौती क्यों नहीं बढ़ाई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । अन्तिम भुगतान बिल से माइनर डिप्रेशन के लिए विभाग द्वारा 100 रु0 की कटौती को मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने कम बताया था और उन्होंने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति की थी। अत मुख्य प्राविधिक परीक्षक की संस्तुति को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा पहले की गयी 100 रु0 की कटौती के अतिरिक्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को चेतावनी दी गयी तथा दो अवर अभियन्ताओं की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी ।

उद्योग विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

59--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग के ऐसे कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं जिनके बारे में 31-12-80 को सतर्कता अधिष्ठान जांच कर रहा है ?

श्री नियाज हसन खां--

सम्बन्धित विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है ।

उद्योग विभाग के अधिकारियों की पेंशन तथा दक्षतारोक

60--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग के ऐसे कितने सेवा निवृत्त अधिकारी हैं (नाम व पद तथा सेवा निवृत्ति की तिथि सहित) जिनके नियुक्ति प्राधिकारी गवर्नर हैं और जो 1 दिसम्बर, 1980 से पहले रिटायर हो चुके हैं किन्तु उन्हें अंतिम पेंशन की स्वीकृति शासन से अभी नहीं मिली है ?

श्री नियाज हसन खां--

1-12-1980 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को अभी अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है :--

1--श्री आर0 के0 अग्रवाल, संयुक्त उद्योग निदेशक 31-10-79 ;

2--श्री एस0 पी0 ढौन्डियाल, जोनल उद्योग अधिकारी 31-1-80 ;

3--श्री ए0 आर0 कपूर, अतिरिक्त उद्योग निदेशक 31-7-80 ।

61--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग में ऐसे कितने राजपत्रित अधिकारी हैं जिनके मामले उद्योग निदेशालय अथवा उनके द्वारा शासन में पूरी औपचारिकताओं के साथ 1 दिसम्बर, 1980 तक दक्षतारोक पार किये जाने की अनुमति हेतु प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु अभी तक उन पर आदेश नहीं हुए हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

1 दिसम्बर, 1980 तक शासन स्तर पर प्राप्त 2 राजपत्रित अधिकारियों के दक्षतारोक पार कराये जाने सम्बन्धी मामले लम्बित हैं। 4 अन्य मामलों में जो 1-12-1980 तक शासन को प्राप्त हो चुके हैं, उनमें कतिपय औपचारिकतायें पूरी होनी बाकी हैं।

उद्योग निदेशक के स्तर पर दक्षतारोक के आदेश वाले मामलों के बारे में निदेशालय से सूचना एकत्र की जा रही है।

सुल्तानपुर जिले के रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इन्टर कालेज का अनुदान एवं अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का चयन

62--श्री सुरेश दत्त पालीपाल--

क्या यह सत्य है कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर में रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इन्टर कालेज बियरा के नाम से कोई शिक्षा संस्था चालू है जिसे शासन से आवर्ती अनुदान लगभग 17/18 वर्षों से प्राप्त होता रहा है। क्या यह सही है कि यह संस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत निबंधित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

63--श्री सुरेश दत्त पालीवाल--

क्या यह भी सत्य है कि इस शिक्षा संस्था के प्रबन्ध समिति के व्यवस्थापक ने गत 3-4 माह पहले की अवधि में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का चयन-चयन समिति में स्वयं सम्मिलित होकर और एक प्रत्याशी को 50 अंक कर उन्हें नियुक्त कराने में योगदान दिया है ? यदि हां, तो क्या वह प्रत्याशी आरक्षित कोटे में था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

रतनसेन डिग्री कालेज, जिला बस्ती के सम्बन्ध में की जा रही जांच

64--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जिला बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की कोई जांच आज कल हो रही है ? यदि हां, तो आरोप क्या है ? जांच कौन कर रहे हैं ? रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

कालेज के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धी आरोप हैं जिनकी जांच सहायक लेखाधिकारी मंडलीय, उप शिक्षा निदेशक कार्यालय, गोरखपुर कर रहे हैं।

जांच पूरी होने पर ही अन्तिम प्राप्त होना सम्भव होगा । इसके अतिरिक्त सी0आई0डी0 द्वारा भी जांच की जा रही है ।

65--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जिला बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की कोई जांच वर्ष 1977 में भी कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती के वर्ष 1974-75 से 12-10-78 तक के लेखों का स्पेशल आडिट दिनांक 13-10-78 से 27-10-78 तक विभागीय लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था । इसके अतिरिक्त स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा भी वर्ष 1976-77 तक का आडिट किया गया था । स्पेशल आडिट के आधार पर इस कालेज के प्रबन्धतन्त्र को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी थी । सम्प्रति विधिक कारणों से प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है ।

फतेहपुर में पुलिस की गोली से छात्र की मृत्यु

66--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर में हाल में ही छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली वर्षा की गई जिसमें कई छात्र मर गये तथा कुछ घायल हुये ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 27-12-80 को हुसेनगंज, जिला फतेहपुर डाकघर में बहुगुणा इन्टर कालेज के दो लड़कों ने अपने कालेज के प्रधानाचार्य के लिए विदड्राल फार्म मांगा और उसके न मिल पाने के कारण उसी दिन बाद में प्रधानाचार्य ने डाकघर के कर्मचारियों को डांटा और धमकाया । 28-12-80 तथा 29-12-80 को अवकाश के बाद 30-12-80 को बहुगुणा इन्टर कालेज के खुलने पर वहां के छात्र तथा अध्यापक बाहर निकल आए और उन्होंने निकटवर्ती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में घंटा बजा दिया और दोनों कालेज के छात्रों ने पोस्ट आफिस में पथराव करके क्षतिग्रस्त किया, कैश लूटा और वहां के पोस्टल क्लर्क श्री प्रेम शंकर पान्डे को डंडों से मारना शुरू कर दिया जिससे वह घायल हो गये । तदुपरान्त मौका पाकर श्री पान्डे भाग कर थानाध्यक्ष के क्वार्टर में घुस गये । उपद्रवकारी भीड़ थाने की ओर दौड़ी और पथराव करने लगी तथा फायर भी किया छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए व थाने की सम्पत्ति व आवासीय क्वार्टरों में लूट व पोस्टल क्लर्क श्री प्रेम शंकर पान्डे की जान बचाने के लिए तथा अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा फायर किया गया जिससे तीन छात्र घायल हुये जिनमें से एक छात्र की बाद में मृत्यु हो गई ।

जिलाधिकारी द्वारा मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं । मृतक छात्र की माता को शासन द्वारा 5000 रु0 की आर्थिक सहायता तथा 2 घायल छात्रों को 250 रु0 प्रत्येक को आर्थिक सहायता दी गई है ।

बी० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रार्थना-पत्र

67--श्री मोतीलाल वेहलवी--

क्या शिक्षा मंन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बी० के० हायर से० स्कूल, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सर्वश्री छोटे लाल दिवाकर, आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, चन्द्र कुमार सिंह, राजेश्वर बली व शिव शंकर तथा मुन्शीलाल ने 22 जून, 1978 से 2 दिसम्बर, 1980 तक पृथक्-पृथक् व सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित जिला विद्यालय निरीक्षक को कुल कितनी-कितनी दरख्वास्तें किन-किन विषयों की प्रेषित की हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दो प्रत्यावेदन सामूहिक हस्ताक्षरों से प्रधानाचार्य द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में ।

39 प्रार्थना-पत्र सामूहिक हस्ताक्षरों से विद्यालय में कार्यभार/उपस्थिति के सम्बन्ध में ।

4 प्रत्यावेदन सामूहिक हस्ताक्षरों से वेतन के सम्बन्ध में ।

12 प्रार्थना-पत्र श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव के हस्ताक्षरों से उपस्थिति एवं वेतन भुगतान के सम्बन्ध में ।

एक प्रार्थना-पत्र सामूहिक हस्ताक्षरों से अनशन समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये ।

विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के छः प्रश्नगत कर्मचारियों की सेवा वर्ष 1979 में समाप्त कर दी गई थी । स्थानीय विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त सेवा समाप्ति अवैधानिक एवं अनियमित घोषित की गयी । निरीक्षक के इस आदेश के विरुद्ध संस्थाधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की गई एवं उक्त छ० कर्मचारियों के स्थाई पर 5 नवीन कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई । उच्च न्यायालय द्वारा नवीन नियुक्त पांच कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के आदेश दिये गये हैं । प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय का निर्णय हो जाने पर उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

पिण्डी कस्बा, जिला देवरिया मंत्री के बालिका हाई स्कूल के भवन का निर्माण

68--श्री मोहन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि देवरिया जिले के पिण्डी कस्बे में 1962 से बालिका हाई स्कूल के राजकीय भवन का निर्माण सा०नि० वि० कर रहा है ? यदि हां, तो यह भवन कब तक निर्मित हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह सही नहीं है कि देवरिया जिले के पिण्डी कस्बे में प्रश्नगत भवन का निर्माण 1962 से सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा है । यह कार्य वित्तीय वर्ष 1972-73 में प्रारम्भ हुआ था तथा उसके बाद तीन वर्ष तक उक्त कार्य धनाभाव के कारण स्थगित रहा । अब कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इसे सन 1981 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

कस्बा वर्डपुर जिला बस्ती में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग

69--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में वर्डपुर एक महत्वपूर्ण कस्बा होने के कारण वहां पर एक पुलिस चौकी कायम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

बस्ती जनपद के नौगड़ तहसील में स्थित कस्बा वर्डपुर मे पुलिस चौकी कायम करने का कोई विचार अभी नहीं है ।

70--श्री भीखालाल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

गोरखपुर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति-सम्बन्धी शिकायती-पत्र

71--श्री हरिवंश सहाय, श्री कुबेर भंडारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के कितने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में माह जुलाई, 1980 से अब तक विज्ञापन द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को विधायकों के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई हैं ? क्या इनमें इन्टर कालेज, बरही, सोनवरसा का भी नाम है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय जिले को पर्यावरण हेतु विश्वबैंक से प्राप्त कथित धनराशि

72--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य के 8 पर्वतीय जिलों को विश्व बैंक से पर्यावरण हेतु 30-6-80 तक कितना धन प्राप्त हुआ है ? किन-किन कार्यों पर यह धन व्यय किया गया है और प्रत्येक कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

आठ पर्वतीय जिलों को पर्यावरण हेतु विश्व बैंक से कोई धनराशि निर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री एल० बी० पाण्डेय, परगनाधिकारी सीतापुर का जिला परिषद् के निरीक्षण भवन में निवास एवं बीच का प्रयोग

73--श्री सतीश अजमानी--

क्या यह सही है कि श्री एल० बी० पाण्डेय, परगना अधिकारी, सिधौली, जिला सीतापुर सिधौली में स्थायी रूप से जिला परिषद, सीतापुर के सम्पूर्ण निरीक्षण भवन में निवास करते हैं ? यदि हां, तो वह कितने रुपये प्रतिमाह

निरीक्षण भवन का किराया जिला परिषद्, सीतापुर को देते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । उनके द्वारा उनके मूल वेतन की 10 प्रतिशत धनराशि उक्त निरीक्षण भवन के मासिक किराये के रूप में जिला परिषद्, सीतापुर में जमा की जाती है ।

74--श्री सतीश आजमानी--

परगना अधिकारी, सिधौली, जिला सीतापुर का सिधौली में स्थायी रूप से निवास करने का तथा सरकारी जीप निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का औचित्य क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

परगनाधिकारियों को तहसील मुख्यालय पर रहने के विषय में शासन के आदेशों के अनुपालन में परगनाधिकारी, सिधौली तहसील मुख्यालय पर स्थायी रूप से निवास करते हैं तथा उनके द्वारा सरकारी जीप निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने की कोई शिकायत शासन में प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्राम हरिपुर, जलालाबाद, जिला फैजाबाद की भूमि का अर्जन

75--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उद्योग विभाग के विशेष सचिव ने अपने पत्र संख्या 7582 भा0 उ0-118-11-492 भा0 उ0-75, दिनांक 9 नवम्बर, 1977 (उद्योग, अनुभाग-11) द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को यह सूचित किया था कि ग्राम हरिपुर, जलालाबाद, जिला फैजाबाद की भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाता है, अतएव उसे सम्बन्धित भूस्वामियों को वापस कर दिया गया ? यदि हां, तो भूमि कब वापस की गई है ?

श्री नियाज हसन खां--

(क) जी हां ।

(ख) उपरोक्त निर्णय को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है ।

रायबरेली जिले के ग्राम अगुरी के श्री दिलीप कुमार मिश्रा द्वारा हरिजनों का उत्पीड़न

76--श्री मोहन लाल--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम अगुरी, थाना शिवरतनगंज, रायबरेली में श्री दिलीप कुमार मिश्रा आदि द्वारा वहां के हरिजनों को त्रस्त करने के विषय में दिसम्बर, 1980 में श्री सुग्रीव सिंह विधायक द्वारा कोई शिकायती पत्र डी0 आई0 जी0 हरिजन सेल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । प्राप्त पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी महाराजगंज द्वारा करायी गयी । जांच से हरिजन उत्पोड़न के आरोप का सत्यापन नहीं हो पाया है ।

एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर में आयल एवं पेन्ट टेक्नालोजी के अध्यक्ष पद पर डा0 ए0 के0 वशिष्ट की नियुक्ति

77--श्री छेदीलाल--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर में आयल एवं पेन्ट टेक्नालोजी के अध्यक्ष पद पर डा0 ए0 के0 वशिष्ट की नियुक्ति विज्ञापन में निकाली न्यूनतम योग्यता के न रहते हुए भी की गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच करवा कर सम्बन्धित दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के समय डा0 ए0 के0 वशिष्ट, केमिकल इंजीनि-नियरिंग में पेन्ट्स एवं आयल के विषय में पी0 एच0 डी0 थे जब कि उक्त पद हेतु न्यूनतम विज्ञापित अर्हतायें प्रथम श्रेणी में बेचलर डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेन्ट टेक्नालोजी और आयल टेक्नालोजी और एप्रोप्रिएट डिग्री इन पेन्ट और आयल टेक्नालोजी थी । अतः डा0 वशिष्ट की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष पद पर कर ली गयी थी ।

कानपुर विश्वविद्यालय के डा0 एस0 डी0 शुक्ला के विरुद्ध जांच आयोग का गठन

78--श्री छेदी लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय ने डा0 एस0 डी0 शुक्ला के विरुद्ध श्री0 ए0 सी0 चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया है ? क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त जांच आयोग के गठित होने के बाद जांच आयोग अध्यक्ष, श्री ए0 सी0 चतुर्वेदी को उपाध्यक्ष बोर्ड आफ गवर्नर, एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर के पद से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय ने डा0 एस0 डी0 शुक्ला के विरुद्ध शिकायतों की जाँच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति दिनांक 23 दिसम्बर, 1980 को गठित की थी जिसमें श्री ए0 सी0 चतुर्वेदी भी एक सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं । श्री चतुर्वेदी को एच0 बी0 टी0 आई0 के बोर्ड आफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष के पद पर उस समय नियुक्त किया गया था जब वे प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव थे । उनके स्थान पर प्राविधिक शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव को 25 अक्तूबर, 1980 को नियुक्त किया गया है । अतः यह नियुक्ति उक्त जांच समिति के गठित किए जाने के पूर्व ही की गई थी ।

बुन्देल खंड विश्वविद्यालय, झांसी की आवासीय विश्वविद्यालय की नीति

79—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के आवासीय विश्वविद्यालय की नीति को स्वीकार किया है ? यदि हां, तो कितने समय में प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

जालौन जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की अनुपस्थिति

80—श्री शंकर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में बेसिक शिक्षाधिकारी को गत 6 महीनों से किस-किस विद्यालय के सम्बन्ध में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वहां महीनों से अध्यापक और प्रधानाचार्य शिक्षण हेतु गये ही नहीं हैं ? तथा उन अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन को निम्नलिखित विद्यालयों के सहायक अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई :—

विद्यालय का नाम	अध्यापक
1—जूनियर हाई स्कूल, कुरहना आलमगीर	श्री गोपीनाथ द्विवेदी, प्रधानाध्यापक
2—प्राइमरी पाठशाला, सइपुरा	श्री ब्रजभूषण, प्रधानाध्यापक ।
3—प्राइमरी पाठशाला, माधोगढ़	श्री बुद्ध सिंह, प्रधानाध्यापक ।
4—प्राइमरी पाठशाला, आटा	श्री रामदत्त, सहायक अध्यापक ।

प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच के पश्चात् जो आरोप सही पाये गये उनके आधार पर सम्बन्धित अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और तीन अध्यापकों को निलम्बित कर दिया गया है ।

जालौन जिले में गुण्डा ऐक्ट के अधीन चलाया गया मुकदमा

81—श्री शंकर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष में जालौन जनपद के किस-किस थाने के कितने व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट के मुकदमें जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेजे गये और कितने मुकदमें किस वर्ष निर्णित किए गये तथा कितने गुण्डे जिला बाहर किये गये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वर्ष 1980 में जालौन जनपद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अधीन कुल 31 मुकदमें जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भेजे गये जिनकी थानेवार संख्या निम्नवत् है :

कौंच–7, माधोगढ़–1, उरई–5, जालौन–1, एटा–3, आटा–6, चुर्खा–1, कालपी–5 तथा रामपुरा–2 ।

वर्ष 1980 में पांच मुकदमे निर्णीत हुए और तीन गुण्डे व्यक्ति जिला बदर किए गये ।

कतिपय मंत्रियों के टेलीफोन के बिल का भुगतान

82—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री तथा वित्त मंत्री ने जून, 1980 से दिसम्बर, 1980 के बीच कितने रुपये के बिल अपने आवास और दफ्तर के टेलीफोन के जमा किए ? क्या यह सम्पूर्ण राशि सरकारी खजाने में जमा की गई या कुछ अंश इन लोगों ने अपने पास से भी जमा किया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रदेश मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री तथा वित्त मंत्री के दफ्तर तथा आवास के टेलीफोन का जून, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक के बिलों का भुगतान सरकारी खजाने से तथा उनके प्राइवेट कालस का भुगतान उनके द्वारा निम्न प्रकार से किया गया—

मंत्री का पदनाम	सरकारी खजाने से व्यय		निजी कालस की जमा की गयी राशि
	कार्यालय	आवास	
1—मुख्य मंत्री	20,602.20	28,611.05	15.00
2—स्वास्थ्य मंत्री	10,808.60	13,663.50	864.00
3—परिवहन मंत्री	16,051.00	7,079.00	..
4—ग्राम्य विकास मंत्री	15,939.85	6,077.85	953.00
5—वित्त मंत्री	5,382.20	13,425.80	..

फैजाबाद जिले में लघु उद्योगों की स्थापना का सर्वेक्षण

83—श्री मित्रसेन—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में सर्वेक्षण के आधार पर किन–किन उद्योगों को लगान के लिए शासन ने अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सर्वेक्षण के आधार पर जनपद फैजाबाद में संलग्न तालिका में उल्लिखित लघु उद्योगो के स्थापना का सम्भावनायें हैं । इच्छुक उद्यमियों को शासन विभिन्न सुविधाएं, सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उक्त उद्योगों के स्थापनार्थ उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आग पृष्ठ 1363 पर)

मैनपुरी जिले में खाद के कारखाने की स्थापना का निरीक्षण

84—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद का बड़ा कारखाना मैनपुरी में खोले जाने हेतु किसी एक्सपर्ट्स टीम ने मैनपुरी में स्थान चयन के लिए 1680 मे दौरा किया था ? विशेषज्ञों की इस टीम ने शासन को क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री नियाज हसन खां—

भारत सरकार द्वारा गठित साइट सिलेक्शन कमेटी ने खाद के कारखाने के लिए प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों के अतिरिक्त नौनेर, जिला मैनपुरी का निरीक्षण दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 को किया था चयन का विषय उस समिति के विचाराधीन है और उस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय भारत सरकार ही लेगी ।

मैनपुरी जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक एवं छात्र

85—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1:40 के मापक से जनपद मैनपुरी के प्राइमरी पाठशालाओं मे कितने अध्यापक होने चाहिए ? इस जनपद के प्राइमरी स्कूलों की छात्र संख्या क्या है ? कितने अध्यापक प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैनपुरी जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की सेवा-समाप्ति

86—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या यह सत्य है कि 9 अगस्त, 1980 को मैनपुरी जनपद के 570 बी० टी० सी० शिक्षक सेवाच्युत किए गए थे और नियुक्ति के समय से निरस्तीकरण के समय तक का देय वेतन अब तक बकाया है ? यदि हां, तो शासन इस बकाया वेतन धनराशि की तत्काल अदायगी के लिए क्या प्रक्रिया अपनाने जा रही है ? यदि अब तक कोई ठोस सकारात्मक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में अनियमित रूप से नियुक्त 570 बी० टी० सी० प्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाच्युत करने के आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा 2 अगस्त 1980 को दिया गया । उक्त सेवाच्युत किए गए अध्यापकों की सेवा अवधि का वेतन भुगतान करने हेतु 14,79,522 रु० का अनुदान बेसिक शिक्षा परिषद् को शासन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है ।

अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगे में मृतकों की संख्या एवं नुकसान

87—श्री मन्जूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 अगस्त, 1980 से 2 अक्तूबर, 1980 तक अलीगढ़ के कम्युनल रायट में कितने व्यक्ति मारे गये और

किन-किन का कितना-कितना नुकसान हुआ और किन-किन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ किस-किस ने लूट मार आदि के मुकदमें कायम कराये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14 अगस्त, 1980 से 2 अक्तूबर, 1980 तक अलीगढ़ साम्प्रदायिक दंगे में 15 व्यक्ति मारे गये और 75 व्यक्तियों का नुकसान हुआ । नुकसान की व्यक्तिवार सूची † संलग्न है ।

23 व्यक्तियों ने पुलिस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराये । सूची संलग्न† है ।

मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दंगे में अधिकारियों के विरुद्ध कायम किये गये कथित मुकदमें

88—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद के कैम्युनल राईट में किस-किस अधिकारी के खिलाफ लूटमार के मुकदमें कायम कराये और उन मुकदमों में सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

दिनांक 13 अगस्त, 1980 को मुराद बाद के कम्युनल राईट में किसी अधिकारी के विरुद्ध लूटमार का कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ ।

मंत्रियों के दिल्ली के दौरे पर व्यय की गई धनराशि

89—श्री मित्रसेन तथा श्री राम नारायन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान शासन के माह जून, 1980 से माह जनवरी, 1981 तक कौन-कौन से मंत्री दिल्ली दौरे पर गये और उन पर शासन की कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माह जून, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि में राज्य मंत्री, सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री दिल्ली दौरे पर गये और उनपर शासन की 4,78,248·25 रु0 की धनराशि व्यय हुई ।

बाराबंकी जिले की सहादतगंज-सफदरगंज सड़क का निर्माण

90—श्री राम आसरे पासवान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात की जानकारी जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रामनगर से सआदतगंज होती सफदरगंज तक जाने वाली सड़क का निर्माण अधूरे निर्माण के उपरान्त बन्द कर दिये जाने के कारण उक्त क्षेत्र के निवासियों के आवागमन में घोर संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य बन्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं ? तथा क्या सरकार उस क्षेत्र के निवासियों की कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए सड़क का पूर्ण निर्माण किये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री जगदीश प्रसाद--

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रश्नगत मार्ग के शेष 8 कि0मी0 भाग (रामनगर से रामपुर) में से 1·5 कि0 मी0 मार्ग हेतु खाद्यान्न उपलब्ध न होने के कारण उस पर मिट्टी का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को समाप्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्य को पूरा किया जाना सम्भव न होगा।

आजमगढ़ में चोरी की कार एवं स्कूटरों की बरामदगी

91--श्री पंचानन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1980 एवं जनवरी, 1981 में आजमगढ़ जनपद में चोरी की अनेक कारें एवं स्कूटर बरामद किये गये हैं और इसके कारण मोटर चोरों के एक बड़े गिरोह का पता चला है ? यदि हां, तो कुल कितनी कारें एवं स्कूटर इस अवधि में पकड़े गये हैं ? उनके मालिक कौन-कौन हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस की एक पार्टी ने माह जनवरी, 1981 में चार कारें तथा दो स्कूटर बरामद करके कोतवाली आजमगढ़ में दाखिल किये हैं। स्थानीय पुलिस को मालिकान तथा किसी गिरोह की जानकारी नहीं मिली है।

बांदा जिले के थाना बबौस व कमासिन के विरुद्ध हरिजन महिला के साथ दुराचार की कथित शिकायत

92--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बांदा के पुलिस थाना बबौस व कमासिन के विरुद्ध क्रमशः हरिजन व केवट महिलाओं के साथ दुराचार किये जाने की शिकायतें जनवरी, 81 के प्रथम सप्ताह में पुलिस अधीक्षक, बांदा के कार्यालय में प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो अलग-अलग दोनों घटनाओं के शिकायत-पत्रों में अंकित आरोप क्या हैं और 20 जनवरी, 81 तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 81 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नगत शिकायतें पुलिस अधीक्षक, बांदा के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुईं।

लखनऊ की बंगला बाजार-बिजनौर सड़क का निर्माण

93--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिला में स्थित बंगला बाजार-बिजनौर सड़क के निर्माण का कार्य अधूरा ही पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? इस कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जिला लखनऊ में बंगला बाजार से बिजनौर तक जाने वाला सम्पूर्ण मार्ग इण्टरकोट तक पूरा कर दिया गया है। कि0 मी0 1, 5, व 7 में 850 मीटर लम्बाई में प्रथम सतह लेपन कार्य भी पूरा कर दिया गया है। मार्ग के शेष भाग को बिटूमन की कमी के कारण लेपित नहीं किया जा सका है। बिटूमन उपलब्ध होते ही शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

94, 95, 96--श्री पंचानन--

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित]

अहिरौला ब्लाक, जिला आजमगढ़ के जूनियर हाई स्कूल के सेवा-निवृत्त प्रधानाध्यापक की प्राविधायी निधि

97--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अहिरौला ब्लाक में जूनियर हाई स्कूल के कौन-कौन से प्रधानाध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने 30 जून, 1979 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं किन्तु उन्हें प्राविधायी निधि का भुगतान आज तक (15-1-81) नहीं किया गया है? यदि हां, तो भुगतान न होने के क्या प्रमुख कारण हैं तथा इसके लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं? क्या सरकार इसके लिए प्रभावी कार्यवाही करायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला आजमगढ़ के अहिरौला ब्लाक में 30 जून, 1979 को निम्नलिखित प्रधानाध्यापक सेवा निवृत्त हुए थे--

(1) श्री विद्याधर उपाध्याय, जूनियर हाई स्कूल, बिलारी,

(2) श्री राम प्रसाद सिंह, जूनियर हाई स्कूल, असलाई, तथा

(3) श्री सैयद आले हसन, जूनियर हाई स्कूल, माहुल श्री उपाध्याय द्वारा आवेदन-पत्र तथा अन्य आवश्यक पत्रजात प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप प्राविधायी निधि का भुगतान अक्तूबर, 1980 में कर दिया गया है। श्री राम प्रसाद सिंह ने अपना आवेदन-पत्र तथा अन्य पत्रजात 7-2-81 को प्रस्तुत किया और उनकी प्राविधायी निधि की धनराशि के भुगतान हेतु दिनांक 26-3-81 को चेक काटी गई और उन्हें सूचित कर दिया गया है। सैयद आले हसन ने अपना आवेदन-पत्र और अन्य आवश्यक पत्रजात 27-2-81 को प्रस्तुत किया और उनके प्राविधायी निधि की धनराशि के भुगतान हेतु 28-3-81 को चेक काट दिया गया है और चेक प्राप्त करने के लिए उन्हें सूचित कर दिया गया है। क्योंकि सम्बन्धित दो सेवा निवृत्त अध्यापकों ने अपना आवेदन-पत्र तथा अन्य पत्रजात 15-1-81 के पूर्व नहीं प्रस्तुत किया था, अतः विलम्ब के लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं हैं।

लखनऊ नगर में हिंसा के शिकार हुए अधिकारी एवं कर्मचारी

98--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पहली जनवरी सन् 80, और 31 दिसम्बर, सन् 80 के दरमियान लखनऊ नगर महापालिका के क्षेत्र में अराजक तत्वों द्वारा कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी थाना व ओहदा सहित हिंसा के शिकार हुए और इनके अलग-अलग संक्षिप्त विवरण क्या हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में कोई अधिकारी/कर्मचारी अराजक तत्वों द्वारा हिंसा का शिकार नहीं हुआ ।

लखनऊ नगर में कत्ल एवं राहजनी आदि की घटनायें

99—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के क्षेत्र अलग-अलग थानों में औरतों की जंजीर छीनने, शराफा लूटने, राहजनी और कत्ल (धारा 302 और 304 ता0 हि0 मिलाकर) कितनी घटना में पहली जनवरी, सन् 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1364 पर ।)

100—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[3-2-81 को अतारांकित प्रश्न सं0 6 द्वारा उत्तरित ।]

वाइन लाज, लखनऊ की दावत में सम्मिलित हुये मंत्री

101—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि क्या उनके मंत्रिमंडल ने वर्ष 1980-81 में निर्णय किया था कि उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य किसी उद्योगपति या व्यापारी आदि के यहां दावत नहीं खायेगा ? क्या यह सही है कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने जनवरी, 1981 में भारत सरकार के गृह मंत्री के साथ प्रमुख शराब निर्माता के यहां वाइन लाज, लखनऊ में दावत खाई ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वर्तमान मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात् मंत्रियों के लिये "आचरण कोड" स्वीकार किया गया जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी निर्देश दिये गये कि "मंत्री अति व्ययी पार्टियों तथा जहां मद्यपान हो ऐसी पार्टियों में सम्मिलित न हों और उन्हें अस्वीकार करें ।"

दिनांक 9 जनवरी, 1981 को सायं 6·30 बजे केन्द्रीय गृह मंत्री ने श्री कपिल मोहन द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में विभिन्न श्रम एवं व्यवसायिक संगठनों के मालिकों तथा पदाधिकारियों को सम्बोधित किया । केन्द्रीय गृह मन्त्री के स्वागतार्थ इस आयोजन में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी । अन्य गण्यमान व्यक्तियों के अतिरिक्त इस समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के कृषि मन्त्री, श्रम राज्य मन्त्री, उद्योग राज्य मन्त्री तथा कृषि उप मन्त्री सम्मिलित हुये थे । इस सम्बन्ध में उक्त मंत्रियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जिले के रामपुर–गोपालपुर मार्ग का निर्माण

102––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर से गोपालपुर मार्ग जौनपुर 7 किलोमीटर के करीब पक्का कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त रोड में बसुही नदी पर पुल न बनाने का कारण क्या है ? क्या पुल बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक बन जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद––

जी हां ।

यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल, भठौली, जिला वाराणसी के अध्यापक, श्री भोला राम की पदोन्नति

103––श्री ऊदल––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में सन् 65 की की गयी नियुक्तियों में से पदोन्नति नहीं दी गयी है और सन् 66 वालों को पदोन्नतियां दी गयीं ? क्या श्री भोला राम अनुसूचित जाति (धरकार), स0 अ0, जू0 हाई स्कूल, भठौली, विकास क्षेत्र, हरहुआं, वाराणसी ने 3–1–81 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को प्रार्थना पत्र दिया है कि 15–7–65 की उसकी नियुक्ति है, उसे प्रमोशन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां ।

1965 के एक अध्यापक द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण उस अध्यापक को पदोन्नति नहीं दी गयी ।

जी हां ।

श्री भोला राम, सहायक अध्यापक द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र तहसीलदार, वाराणसी से दिनांक 2–1–81 को प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने पर चयन समिति की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हें प्रोन्नत कर दिया गया है । इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू किये जाने पर विचार

104––श्री मोहन सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आवासीय विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू किये जाने का सम्पूर्ण प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

गोरखपुर जिले के नौतनवा थाने के थानाध्यक्ष द्वारा मुकदमा पंजीकृत न करने के सम्बन्ध में निलम्बन एवं चोरी व डकैती की घटना

105--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद गोरखपुर के अतिरिक्त पुलिस कप्तान ने विगत 11 जनवरी, 1981 को कुछ असामाजिक तत्वों को नौतनवां थाने की हवालात में अपहरण व मारपीट सम्बन्धी मामले में बन्द किया था ? क्या यह सही है कि अतिरिक्त पुलिस कप्तान के थाने से प्रस्थान करने के उपरान्त नौतनवां थाने की पुलिस न हवालात में बन्द उपरोक्त लोगों को छोड़ दिया ? यदि हां, तो नौतनवां थाने की पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ व्यक्ति दिनांक 10-1-81 को थाने पर लाये गये थे । उनमें से तीन व्यक्तियों को बाद में छोड़ दिये जाने तथा सम्बन्धित मुकदमा पंजीकृत न करने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं ।

थाना नौतनवां, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत चोरी एवं डकैती

106--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना नौतनवां, जनपद गोरखपुर के क्षेत्र में 1 दिसम्बर, 1980 से 26 जनवरी, 1981 तक कुल कितने घरों में डकैतियां व चोरियां हुईं तथा डकैतियों व चोरियों में कितने-कितने जन-धन की हानि हुई और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में थाना नौतनवां में 24 घरों में डकैतियां एवं 5 घरों में चोरियां हुई । डकैती में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा लगभग 85,029 की सम्पत्ति लूटी गई । चोरी में लगभग 63,090 रु० की सम्पत्ति चुराई गई । उक्त डकैतियों में 5 अभियोग पंजीकृत किये गये थे जिनमें से एक में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा शेष 4 विवेचनाधीन हैं । इनमें अब तक 9 डकैत गिरफ्तार कर जेल भेजे गये, 4 हाजिर अदालत हुये तथा 15 की कुर्की की जा चुकी है । चोरी के पंजीकृत 5 अभियोग में से 4 में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई तथा एक विवेचनाधीन है । 5 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गये ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध दर्ज विद्युत् चोरी की रिपोर्ट एवं शिकायती-पत्र

107--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् विभाग से सम्बन्धित सतर्कता निरीक्षक (विजिलेंस इन्सपेक्टर), गोरखपुर ने विद्युत् चोरी एवं अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाकर अधीक्षण अभियन्ता, स0 नि0 विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध धारा 379 एवं विद्युत् ऐक्ट की धारा 39 के अन्तर्गत गत 12-1-81 को थाना कैन्ट में कोई मुकदमादर्ज कराया है ? यदि हां, तो आरोप क्या है एवं तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के निरीक्षण गृह के प्रांगण में एक अनधिकृत विद्युत् कनेक्शन के सम्बन्ध में दिनांक 6 जनवरी, 1981 को विद्युत् विभाग के सतर्कता सब-इन्सपेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भा0 द0 विधान की धारा 379 तथा विद्युत् ऐक्ट की धारा 39 के अन्तर्गत दर्ज करायी थी । पुलिस द्वारा मुकदमें की विवेचना की जा रही है ।

108--जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सच है कि गोरखपुर जिले के घुघली शिकारपुर मार्ग का कार्य जानबूझकर रोकने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने माह नवम्बर, 1980 को स0 नि0 विभाग के अधीक्षण अभियन्ता (गोरखपुर) के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र शासन को दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई ? क्या स0 नि0 मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद--

माननीय सदस्य का दिनांक 5 नवम्बर, 1980 का अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें घुघली-शिकारपुर मार्ग के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । उक्त शिकायती-पत्र में लगाये गये अन्य आरोपों के सम्बन्ध में जांच आख्या मांगी गयी है ।

राजकीय इन्टर कालेज, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ के प्रवक्ता श्री चन्द्र मोहन पाण्डेय का बकाया वेतन

109--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र मोहन पाण्डे, प्रवक्ता, जीव विज्ञान, राजकीय इन्टर कालेज, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ ने वर्ष 1978 में सेवाकालीन एल0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया था ? क्या उनको उक्त प्रशिक्षण अवधि का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

110—श्री मेंहदी असगर—

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न सं0 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फैजाबाद में कुमारी करुणा वर्मा का प्रवक्ता के पद पर चयन

111—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) कृपया बतायेंगे कि आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टांडा, जिला फैजाबाद में अंग्रेजी प्रवक्ता पद के लिये माह नवम्बर, 1979 में जिनको (कु0 करुणा वर्मा) चयनित किया गया तथा मैनेजर द्वारा दिनांक 10-11-79 को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया उसके बाद अभी तक विद्यालय में ज्वाइन नहीं करने दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें तत्काल ज्वाइन कराने तथा गत वेतन तथा वरिष्ठता प्रदान कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

चयनित अभ्यर्थिनी ने आवेदन-पत्र उचित माध्यम के द्वारा नहीं भेजा था जिस पर शिकायत प्राप्त होने पर जांच एवं कार्यवाही सम्पन्न की गई ।

चयनित अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु, प्रबंधक द्वारा निर्देशित किया जा चुका है । वेतन भुगतान एवं वरिष्ठता नियमानुसार देय होंगे ।

आस्तिक मुनि इण्टर कालेज, कानपुर में सहायक अध्यापकों का साक्षात्कार एवं अनुसूचित जाति का आरक्षण

112—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आस्तिक मुनि इण्टर कालेज, कानपुर के सहायक अध्यापक पद के लिए जो साक्षात्कार दिनांक 4-1-81 को कानपुर में आयोजित किया गया था वह केवल अनुसूचित जाति के लिये था ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी होते हुए भी उसे साक्षात्कार तक में न बुलाकर वह पद गैर अनुसूचित जाति से भर लिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने के कारण पद पर सामान्य अभ्यर्थी का चयन किया गया ।

औद्योगिक इकाइयों को डीजल जनरेटिंग सेटों हेतु दिया गया अनुदान

113—श्री पंचानन—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1973 से वर्ष 1976 तक राज्य की औद्योगिक इकाइयों को डीजल/जेनरेटिंग सेटों के क्रय के लिए भुगतान किये गये अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में 23·45 लाख रुपये का अनियमित अथवा अधिक भुगतान किया गया पाया गया है ? यदि हां, तो, इसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नियाज हसन खां--

वर्ष 1973 से 1976 तक की अवधि में राज्य की औद्योगिक इकाइयों को डीजल जेनेरेटिंग सेटों के क्रय के लिए भुगतान की गई अनुदान की धनराशि के अनियमित अथवा अधिक भुगतान के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा जांच व वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

114--श्री पंचानन--

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

115--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

गोरखपुर जिले में डकैती, कत्ल आदि की घटनायें

116--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में माह जुलाई, 1980 ई० से माह दिसम्बर, 1980 तक कितनी डकैती, कत्ल, चोरी, बमकांड, व्यभिचार (बलात्कार) की रपट दर्ज हुई ? इसमें से क्रमशः कौन सी घटनायें थाना महाराजगंज, श्यामदेउरवा, चौरीचौरा, झंगहा एवं गगहा में कितनी मात्रा में एवं किनके द्वारा दर्ज कराई गईं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वांछित प्राप्त सूचना संलग्न विवरणों में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1365 पर ।)

गोरखपुर जिले के गौरीघाट, मठियारघाट व गजपुर में पुल निर्माण की मांग

117--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ अभियंता, इकाई प्रथम, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि०, गोरखपुर के पत्रांक 701/1 एम० जी०, दिनांक 29-1-79 द्वारा तत्कालीन सांसद के द्वारा प्रस्तुत पुलों की सूची को प्रान्तीय खंड, सा० नि० विभाग के अधिशासी अभियंता को भेजा गया था ? यदि हां, तो इसमें किन-किन स्थानों के पुलों के निर्माण कराये जाने की बात है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

उक्त पत्र में गौरीघाट, मठियाराघाट तथा गजपुर के पास सेतु निर्माण कराये जाने की बात है ।

उक्त पुल अभी स्वीकृत नहीं हैं ।

राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य के पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़ी जाति की पदोन्नति

118--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा संचालित राजकीय महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के कुल कितने पद ह और इन पदों पर दिनांक 13-1-78 से अब तक कितनी नियुक्तियां प्रोन्नति देकर की गई हैं और उनमें अनुसूचित एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों को प्रोन्नति दी गई ? क्या उपर्युक्त वर्गों के लिये प्रोन्नतियों में आरक्षण के अन्तर्गत प्रदेश में कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कुल 38 पद हैं । दिनांक 13 जनवरी, 1978 के बाद इन पदों पर 26 नियुक्तियां तदर्थ प्रोन्नति देकर की गई हैं । इनमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति और पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति सम्मिलित हैं ।

इन वर्गों के लिये प्रोन्नतियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो पाया ह क्योंकि पात्रता क्षेत्र में इन वर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न थे ।

निर्वाचन क्षेत्र, महाराजगंज, गोरखपुर में कतिपय सड़कों का निर्माण

119--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में महाराजगंज से चौक, पकड़ी से सराय खुटहां होते भटहट मार्ग, सिंदुरिया से पिपरा कल्याण-बागापार होते फरेंदा, शिकारपुर से मोहनापुर होते सिंदुरिया, चौक बाजार से सेखुई होते निचलौल, बेलवा टीकर से हरखपुरा-गोपाला-लक्ष्मीपुर एकडंगा होते सिसवाबाजार मार्ग को पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा निर्माण में लिया गया है ? यदि हां, तो इन सड़कों का निर्माण कब कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

महाराजगंज से चौक तथा पकड़ी से सराय खुटहा होते हुए भटहट मार्ग का 10 कि0 मी0 भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण में ले लिया गया है । सिन्दुरिया से बागापार-पिपरा कल्याण बागापार होते हुए फरेन्दा मार्ग पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है । सिकारपुर से मोहनपुर होते सिन्दुरिया चौक बाजार से सेखुई होते हुए निचलौल तथा बेलवा टीकर से हरखपुरा-गोपाला-लक्ष्मीपुर-एकडंगा होते हुए सिसवा बाजार मार्ग अभी स्वीकृत नहीं है ।

महाराजगंज से चौक तथा पकड़ी सराय खुटहा होते भटहट मार्ग प्रगति पर हैं । अन्य मार्ग का पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान के निदेशक, श्री एस0 डी0 शुक्ल के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

120--श्री झिलमिट राम--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान के निदेशक श्री एस0 डी0 शुक्ल के अनियमित कार्य-कलापों के विरुद्ध सन् 1978 ई0 तक के लिये जांच समिति

बठाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या गठित समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी और साथ ही यह भी बतायेंगे कि गलत पाई गई अनियमितताओं पर निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सन् 1978 तक के लिये कोई जांच समिति नहीं बैठाई गई थी बल्कि 30 जून, 1978 तक जो शिकायतें संस्था के निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं अथवा बाद में शासन द्वारा जो उसको संदर्भित की गई हैं उनमें उल्लिखित तथाकथित अनियमितताओं की जांच के लिये एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अभी चल रही है। अतः जांच रिपोर्ट के सदन के पटल पर रखने अथवा उसके आधार पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उरई, जालौन में कृषि विभाग के कर्मचारी के बच्चों की कथित गिरफ्तारी

121—श्री शंकर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1980 में उरई (जालौन) में क्या किसी कृषि कर्मचारी के 8 और 11 वर्षीय दो बच्चों को अर्द्धरात्रि में घर से गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो यह गिरफ्तारी किस-किस अधिकारी ने किसकी आज्ञा से किस अपराध में की थी और अब उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1980 में उरई (जालौन) में किसी कृषि कर्मचारी के 8 वर्षीय और 11 वर्षीय दो बच्चों को अर्द्धरात्रि में घर से गिरफ्तार नहीं किया गया। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

122—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री देवी शंकर यादव, गांव अमिलाह, जिला उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली में लिखायी गयी रिपोर्ट

123—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मुख्य मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री देवी शंकर यादव, निवासी गांव अमिलाह, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ने दिनांक 16-9-79 को थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव में अपनी एक लिखित रिपोर्ट बाबत अपने भाई श्री अलोपी शंकर यादव व राम प्रसाद पासी के जान से मारे जाने सम्बन्धी शीतला यादव व गोवर्धन आदि तीन अन्य लोगों के विरुद्ध दी थी, जो थाना कोतवाली से विवेचनार्थ स्थानान्तरित होकर स्थानीय थाना अचलगंज में दिनांक 26-9-79 को प्राप्त की गई। क्या उस पर स्थानीय थाने में मु० नं० 394/79, धारा 364 आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करने के बाद उसकी तफतीस सी० बी० आई०/सी० आई० डी० को सौप दी गई ? यदि हां, तो जांच किस स्थिति में है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां।

विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा द्वारा जारी है।

रामगंगा नदी, बरेली के पुल पर पथ-कर की वसूली

124—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा नदी पर बरेली जनपद से बदायूं जनपद को जाने वाली रोड पर सरकार द्वारा ब्रिज का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कब और उसमें सरकार का कितना व्यय हुआ है और अब तक कितनी आय हुई है ? क्या सरकार ने इस पुल से गुजरने वाले वाहनों से पथ-कर समाप्त करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो पथ-कर कब समाप्त होने की आशा है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां । इस पुल को वर्ष 1962 में 59,06,922.00 रु0 की लागत पर बनाया गया और दिनांक 18 अगस्त, 1962 से 31 जनवरी, 1981 तक पथ-कर से 22,02,835.00 रु0 की शुद्ध आय हुई ।

जी नहीं ।

नियमानुसार इस पुल को अभी पथ-कर से मुक्त करना सम्भव नहीं है ।

बांदा जिले के अतर्रा चौसड-ओरन मार्ग का निर्माण

125—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में अतर्रा चौसड-ओरन मार्ग कई वर्षों से अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो इस बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग वर्ष 1977-78 से 2 भागों में निर्माणाधीन है । उपलब्ध साधन एवं परिस्थितियों के अनुसार इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जा रहा है ।

बांदा जिले में एल्यूमिनियम उद्योग एवं ग्लास फैक्ट्री की स्थापना की मांग

126—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बांदा जनपद में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री नियाज हसन खां—

जी नहीं ।

127--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बांदा जनपद में ग्लास फैक्टरी की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री नियाज हसन खां--

जी नहीं ।

झांसी जिले की सुखई नदी पर मऊरानीपुर के पुल निर्माण की मांग

128---श्री भागीरथ तथा श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी जनपद के मऊ रानीपुर नगर के समीप सुखनई नदी पर पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला रुदौली, बाराबंकी की अध्यापिका, श्रीमती सरोजनी देवी का बकाया वेतन

129--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सरोजनी देवी, सहायक अध्यापिका जो इस समय कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशाला रुदौली, जिला बाराबंकी में कार्यरत है, का दिनांक 26-8-75 से मार्च सन् 1977 एवं अक्तूबर, 1977 ई0 तक का वेतन अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसके भुगतान न करने का क्या कारण है और उक्त 20 माह के बकाए वेतन का भुगतान सरकार कब तक करा देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले की मौन्सर-मुलनापुर सड़क को पक्की किये जाने एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की मांग

130--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में तहसील खलीलाबाद मौन्सर मुलनापुर की सड़क है उसे पक्की कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मांग की केवल 7 कि0 मी0 लम्बई में खडंजा लगाने की ही स्वीकृति है ।

खडंजा से आगे स्तर की स्वीकृत धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

131--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौन्सर मुलनापुर का 3 फर्लांग सड़क जो जिला परिषद् सार्वजनिक निर्माण विभाग को हैन्ड ओवर कर दिया है उस पर आज अपनी संस्तुति दिये अथवा नहीं दिये, भविष्य में रिपोर्ट तत्काल मंगा कर देंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मार्ग अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग में हस्तांतरित नहीं हुआ है । मार्ग के पुनर्निर्माण आदि के सम्बन्ध में मार्ग का सार्वजनिक विभाग में हस्तान्तरण हो जाने के उपरान्त ही, कोई अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

बस्ती जिले की विश्वनाथपुर महुली सड़क को पक्का किये जाने की मांग

132--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में जो खलीलाबाद विश्वनाथपुर से महुली तक सड़क गई है उसे शीघ्र ही पक्की कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मार्ग को पक्का कराना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गम्भीरपुर-मार्टिनगंज मार्ग, जिला आजमगढ़ का निर्माण

133--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में गम्भीरपुर से मार्टिनगंज मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1954 से ही निर्माणाधीन है और अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण कार्य को पुरा न होने का क्या कारण है और अब तक व्यय की गयी धनराशि की लागत क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । जनपद आजमगढ़ में गम्भीरपुर-मार्टिनगंज मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1976 से किया जा रहा है । 21.7 कि0 मी0 लम्बाई में यह मार्ग अभी निर्माणाधीन है । अतः मार्ग निर्माण हेतु भूमि मिलने में अधिक समय लगा । इस पूरे मार्ग पर अब तक 14,54,868-80 रु0 व्यय हुये हैं ।

पुलिस अधीक्षक, जिला बहराइच के विरुद्ध थाना कोतवाली में लिखी गयी जनरल डायरी

134--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-1-81 बहराइच जिले के कोतवाली थाना के एक सब इन्सपेक्टर ने जनरल डायरी पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध गम्भीर आरोप दर्ज किये हैं ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं ? और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह-

जी हां ।

आरोप मुख्यतः जातिवाद को बढ़ावा देने, निलम्बन विषयक शासन के आदेश की अवहेलना करने, अपराध स्थिति को घटाने का प्रयास करने तथा आरोप दर्ज करने वाले सब-इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी देने के संबध में हैं । आरोपों की जांच की जा रही है ।

देवरिया जिले के सलेमपुर में थाना निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

135--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत सलेमपुर में थाना बनवाये जाने हेतु, जो भूमि एक्वायर की गई है, उसमें मौके पर पक्का मकान व झोपड़ियां मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त भूमि पर थाने का निर्माण रोक देने का आदेश देकर अन्यत्र बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

प्रश्नगत भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अस्थायी निर्माण कर लिया है जिसे खाली कराये जाने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है । भूमि की उपयुक्तता को देखते हुए थाना भवन का निर्माण अन्यत्र कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

थाना कसया जिला देवरिया के सम्बन्ध में श्री रामधारी शास्त्री का पत्र

137--श्री हर गोविन्द वर्मा तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें भूतपूर्व सांसद श्री रामधारी शास्त्री का पत्र दिनांक 7-12-80, थाना कसया जिला देवरिया के सम्बन्ध में पुलिस महा-निरीक्षक तथा मुख्य मंत्री को मिला था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

बाराबंकी जिले के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन का निर्माण का अनुदान

138—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन द्वारा वर्ष 1979-80 में बाराबंकी जनपद के वास्ते कुछ प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्कूल हैं और किन स्कूलों के अलग-अलग भवन बनाये जाने में कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1979-80 में ग्रामीण क्षेत्र के 18 प्राइमरी स्कूल और 3 जूनियर हाई स्कूल और नगर क्षेत्र के 1 प्राइमरी स्कूल के निर्माण हेतु क्रमशः रुपया 37,600 रुपया 82,000 तथा रुपया 82,000 प्रतिविद्यालय की दर से भवन निर्माण हेतु अनुदान शासन द्वारा दिया गया जिससे निम्नलिखित विद्यालयों के भवन निर्माण का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति, बाराबंकी ने लिया है :

1—प्राइमरी पाठशाला ग्रामीण क्षेत्र के गांव का नाम :—

(1) मनेरा
(2) वाजिदपुर
(3) मुश्कीनगर
(4) धरौरी
(5) सिरसईपुर
(6) खिझना
(7) पीरिमऊ
(8) साहई
(9) छेदा
(10) सआदतगंज
(11) सोइना
(12) लिल्हौरा
(13) कुमरावां
(14) दुर्गागंज
(15) सन्दूपुर
(16) मिर्जापुर
(17) जमुवासी
(18) सिपाहिया कोटवा

2--जूनियर हाई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के गांव का नाम--

(1) मोथरी

(2) बेहटा

(3) पूरे पाठक

3--प्राइमरी विद्यालय नगरक्षेत्र का नाम--

(1) लाजपत नगर (बाराबंकी)

इन भवनों के निर्माण का कार्य मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तर प्रदेश को सौंपा गया है। निर्माण कार्य पर हुए खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं है और मुख्य अभियन्ता से प्राप्त किया जायेगा।

पुलिस चौकी, लाटूस रोड, कानपुर के थानेदार के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

139--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या दिनांक 30 नवम्बर, 1980 को नगर कानपुर के थाना अनवरगंज में कानपुर की किसी विधायिका ने पुलिस चौकी लाटूस रोड के थानेदार के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज करायी है ? यदि हां, तो उसका कारण एवं विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। इस लिखित रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30 नवम्बर, 1980 को श्रीमती कमला दरियाबादी, विधायिका कानपुर ने अपने पुत्र को स्थानीय लाटूश रोड पर दो भाइयों के बीच हो रहे झगड़े को शान्त कराने के लिए भेजा। उस समय चौकी लाटूस रोड के अमुक उप निरीक्षक उन दोनों व्यक्तियों को लाठी से मार रहे थे। उक्त लड़के द्वारा मना करने पर उप निरीक्षक ने उसे अपशब्द कहे और मारने दौड़े। इसकी सूचना पुत्र ने श्रीमती कमला दरियाबादी को दी जिस पर वे भी घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने भी उप निरीक्षक को मारने से मना किया। इस पर उपनिरीक्षक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें मारने की धमकी दी। इस रिपोर्ट पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 354/504/506/323/352 भा0 दं0 वि0 अंकित कराया गया। वर्तमान में मामले की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

वी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री छोटेलाल दिवाकर एवं श्री मुंशी लाल का बकाया वेतन

140--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि वी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल (कुर्सी खेड़ा), कानपुर के चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारी सर्वश्री छोटे लाल दिवाकर व मुंशी लाल आदि का वेतन मार्च सन् 1980 से आज 5 दिसम्बर, 1980 तक उनके अनेकों प्रार्थना-पत्रों के बावजूद नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है तथा उनका यह बकाया वेतन कब तक मिल जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

141-142--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विधायक निवास के लिए बल्बों की खरीद

143--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में विधायक निवासों में प्रयुक्त होने वाले बल्ब कहां से किस कम्पनी के खरीदे गए तथा वर्ष 1978-79 से 25 अगस्त, 1980 तक ये बल्ब क्या किसी अन्य कम्पनी से खरीदे गये ? यदि हां, तो किस कम्पनी द्वारा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

विधायक निवासों में प्रयुक्त होने वाले बल्ब वर्ष 1975-76 में जी० ई० सी०, क्राम्पटन तथा बजाज कम्पनियों से सीधे अथवा उनके अधिकृत डीलरों से क्रय किये गये थे । वर्ष 1978-79 से 25 अगस्त, 1980 तक की अवधि में उपरोक्त कम्पनियों के अतिरिक्त ई० सी० ई० व मैसूर लैम्प कम्पनी के बल्ब क्रय किए गए।

बी० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री छोटे लाल दिवाकर, श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव आदि की सेवा समाप्ति

144--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बी० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सर्वश्री छोटे लाल दिवाकर व आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव व चन्द्र कुमार सिंह व राजेश्वर बली व शिव शंकर तथा मुंशी लाल स्वीपर की उक्त स्कूल से उनकी सेवायें समाप्त कर अपनी सहमति जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ने दे दी है ? यदि हां, तो कब व किस आधार पर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना ककवन, जिला कानपुर की पुलिस द्वारा की गयी हत्या

145--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि थाना ककवन, जनपद कानपुर की पुलिस ने विगत 20 फरवरी, 1977 को खरपतपुर झील पर 7 निरपराध लोगों की नृशंस हत्या झूठा इनकाउन्टर दिखाकर की थी और उसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने की सिद्ध प्रमाणिकता के आधार पर सम्बन्धित पुलिस जनों के विरुद्ध उसी थाना में धारा 302/342/217/

218/120 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दिनांक 1-10-77 को अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा मुकदमा कायम होने के उपरान्त तत्कालीन गृह मंत्री ने अपने अ० शा० प० सं० 507-टी० बी०/आठ-11--257-एम-77, गृह(पुलिस)अनुभाग-11, दिनांकित 29 अगस्त, 1978 द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचना दी थी ? यदि हां, तो अपराधी पुलिस जनों को अभी तक जेल न भेजने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर जिले के कुण्डोल-कबीस तथा कलाल खेड़िया-तनौरानूरपुर मार्ग का निर्माण

146--श्री विजय सिंह राना--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के विकास खंड बरौली अहीर खंड के अन्तर्गत ग्राम कुन्डोल से कबीस तथा कलाल-खेड़िया से तनौरानूरपुर तक के कृषि मण्डी समिति द्वारा बनाये गये मार्ग को सा० नि० विभाग ने अधिग्रहण किया है ? यदि हां, तो कोलातार लेपन का कार्य सा० नि० विभाग द्वारा कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो सा० नि० विभाग उसे कब तक अधिग्रहण कर लेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नगत मार्गों के अधिग्रहण किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

थाना इब्राहिमपुर, टांडा, जिला फैजाबाद के भवन निर्माण की मांग

147--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि थाना इब्राहिमपुर, टांडा, जनपद फैजाबाद का भवन निर्माण हेतु चकबन्दी के दौरान भूमि सन् 1972-73-74 में एलाट हुयी थी ? यदि हां, तो भवन निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । प्रश्नगत थाने के भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्राविधान वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक में नई मांगों के माध्यम से सम्मिलित किया गया है ? लगभग 2 वर्ष में थाने का निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है ।

थाना चारबाग लखनऊ में सेना के कारतूस की चोरी की लिखायी गयी [redacted]

148--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 16 जनवरी, 1981 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन लखनऊ स्थित जी० आर० पी० के थाना चारबाग में यह जानकारी मिली की सेना के कुछ कारतूस चोरी चले गये हैं ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। दो अभियोग पंजीकृत किये गये हैं जिनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1368 पर।)

थाना स्याना, बुलन्दशहर में श्री सुभाष चन्द्र रस्तोगी द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

149--श्री छत्तर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को थाना स्याना, जनपद बुलन्दशहर में सुभाष चन्द्र रस्तोगी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट जो धारा 377 अपराध संख्या 252 पर दर्ज करायी गयी थी उसमें पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की तथा पुलिस की इस निष्क्रियता के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री सुभाष चन्द्र रस्तोगी ने थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर पर, श्री त्रिलोक चन्द के विरुद्ध दिनांक 7 अगस्त, 1980 को वादी के पुत्र के साथ बदफैली करने के सम्बन्ध में दिनांक 13 नवम्बर, 1980 को रिपोर्ट अंकित कराई। इस पर अपराध संख्या 252 अन्तर्गत धारा 377 भा० दं० वि० पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। अभियोग विवेचनाधीन है। साक्ष्य के अभाव में अभी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

देवरिया जिले में प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति

150--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल इस सत्र में खोले जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रारूप क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जनपद देवरिया में सत्र 1980-81 में ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्राइमरी तथा 3 जूनियर हाई स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन खोले जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गई है।

बुलन्दशहर जिले के मुहमदिया इसलामिया उर्दू मकतब की ग्रान्ट

151--श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनूपशहर नगर, जिला बुलन्दशहर के मुहमदिया इसलामिया उर्दू मकतब को जो ग्रान्ट 600 रु० वर्ष मिलती थी वह पिछले कई वर्षों से क्यों नहीं मिली है ? तथा वह कब तक मिलेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना अब भी एकत्र की जा रही है।

टाउन इन्टर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण के सम्बन्ध में शिकायत

152--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन इन्टर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण और प्रधानाचार्य की अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को 1 जुलाई, 1979 से 20 जुलाई, 1980 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किससे करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले के राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के अध्यापकों के रिक्त पद

153--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल व इन्टर कालेजों में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं एवं शासन द्वारा अभी तक रिक्त स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं की गई है ? क्या शासन ने हिल कंडर के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षित व योग्य युवक व युवतियों को उन स्थानों पर नियुक्त करने का सरकार ने विचार किया है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का सरकारी आवासों में अनधिकृत कब्जा

154--श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के कितने लोग लखनऊ के सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि ऐसे लोग भी इन आवासों में रह रहे हैं जो या तो सेवा निवृत्त हैं या स्थानान्तरित हो गये हैं ? क्या ऐसे लोग भी इनमें रहते हैं जिनका नगर में अपना निजी मकान है ? इन निवासियों को खाली कराने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, भोजपुर, रायबरेली का बकाया वेतन

155--श्री मित्रसेन--

क्या यह यही है कि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, भोजपुर, रायबरेली का मई, जून, 1974 तथा जनवरी, मार्च,

अप्रैल, 1980 का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यह वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायगा ? क्या इस अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका दिनांक 11-8-73 से एल0 टी0 प्रशिक्षण हेतु अवैतनिक अवकाश पर रही जो विभागीय आदेशानुसार एक सत्र (अर्थात् जुलाई, 73 से जून, 74) का होता है जिसके कारण मई, जून, 1974 का वेतन भुगतान नहीं किया गया । जहां तक जनवरी, मार्च, अप्रैल, 1980 के वेतन का प्रश्न है इस अवधि में श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव विद्यालय से अधिकांशतः अनुपस्थित रहीं या छुट्टी पर जिसके फलस्वरूप जनवरी, मार्च व अप्रैल का वेतन भुगतान नहीं किया गया । अवकाश प्रकरण पर निर्णय के उपरान्त वेतन का भुगतान किया जायेगा । इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इटावा जिले की सहायक विद्यालय निरीक्षिकाओं (बालिका) का यात्रा भत्ता

156--श्री मुख्तार अनीस--

क्या शासन को ज्ञात है कि जनपद इटावा की सहायक बालिका विद्यालय की निरीक्षिकाओं का विगत कई वर्षों का (वर्ष 73 से 78) तक यात्रा भत्ता का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान न होने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इटावा जिले के इन्टर कालेज, हैदरपुर के अध्यापक की डकैती के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

157--श्री जटा शंकर सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के चौथे मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र की प्राप्ति 16 जून, 1980 से 6 सितम्बर, 1980 तक की अवधि अर्थात् ढाई मास से भी अधिक समय तक इतने लोक महत्व की जांच एवं कार्यवाही को लम्बित रखे जाने के क्या कारण है तथा अनुपस्थित पाये गये अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माह जुलाई, 1980 में अत्यधिक वृष्टि होने तथा सम्बन्धित विद्यालय बाढ़ क्षेत्र में स्थित होने के फलस्वरूप रास्ता अवरुद्ध था । फलतः जांच माह अगस्त, 1980 में की गयी ।

विद्यालयों में जांच के समय अनुपस्थित पाये गये अध्यापकों का वेतन अनुपस्थित अवधि का रोक दिया गया है । भविष्य के लिए उन्हें सचेत किया जा चुका है ।

प्रदेश में जे0 टी0 सी0 अध्यापक

158--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रान्तीय जे0 टी0 सी0 अध्यापकों की संख्या 1-12-80 तक कितनी है क्या उन्हें सी0 टी0 ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय हाई स्कूल, पाटा जिला चमोली के अध्यापक स्वर्गीय श्री मुकुन्द सिंह रावत की ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि

159--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल पाटा, जिला चमोली से 30-6-77 के सेवा मुक्त हुए अध्यापक स्वर्गीय श्री मुकुन्द सिंह रावत के परिवार वालों को उनकी ग्रेच्यूटी तथा भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब तथा किस तिथि को उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन स्वीकार की गई है ? जो अत्यधिक देरी इनके भुगतान में हुई है उसके लिए किस अधिकारी की जिम्मेदारी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

160--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कष्ट करेंगे कि वी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल (कुर्सी खेड़ा) कानपुर में माह नवम्बर, 1979 से फरवरी सन् 1980 तक कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत थे और मार्च सन् 1980 से 5 दिसम्बर, 1980 तक वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई है ? नियमतः उक्त स्कूल में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखने का प्राविधान है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माह नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक कुल 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत थे ।

मार्च 80 से 5 दिसम्बर, 80 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 7 रह गई ।

इस विद्यालय में 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने का प्राविधान है ।

प्राइमरी पाठशाला गोरेडीह, जिला गोरखपुर के अध्यापक स्वर्गीय श्री रामाश्रय शुक्ल को ग्रेच्युटी

161--श्री रामधनी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला गोरेडीह विकास क्षेत्र सहजनवां जिला गोरखपुर के सहायक अध्यापक श्री रामाश्रय शुक्ल सन् 1964 में स्वर्गीय हुए किन्तु उनसे सम्बन्धित ग्रेच्युटी आदि धनराशि अभी तक उनके परिवार वालों को भुगतान नहीं की गई ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, श्री रामाश्रय शुक्ल की चरित्र पंजी एवं सेवा पंजिका उपलब्ध न होने के कारण अब तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

बरुणा नदी वाराणसी पर कालिका धाम का पुल

162--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरुणा नदी वाराणसी में कालिकाधाम स्थान में सेतु निगम उत्तर प्रदेश एक पुल का निर्माण अर्सा 10 वर्ष से कर रहा है जो सन् 1978 के जल स्तर से नीचा है ? क्या इसकी जांच टेक्नीकल स्तर पर करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त बरुणा नदी में सन् 1943 की बाढ़ से जल स्तर बहुत ऊंचा था और 1978 की बाढ़ से जल स्तर से बहुत ज्यादा था ? क्या यह सही है कि उसके डेटा को क्यों बिला देखे नीचा पुल का निर्माण कराया गया ? क्या सरकार उक्त पुल में उत्तर तरफ बो ताखा पुल से जोड़ कर बनाने पर विचार कर रही है और उत्तर तरफ नदी को गहरा करायेगी और डिजाइन एवं नक्शा जो सन् 43 की बाढ़ के अधार पर न बनाने वालों को दंडित करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्रश्नगत पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा नवम्बर, 1973 को प्रारम्भ किया गया था जिसका फारमेशन तथा बीम की तली के लैवल दोनों ही 1978 की बाढ़ के जल स्तर से ऊंचे थे। पुल को भविष्य की बाढ़ों से बचाने के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति गठित की गई थी जिसकी संस्तुति के अनुसार पुल के सुदृढ़ीकरण हेतु आगणन बनाया जा चुका है। सन् 1942-43 की बाढ़ का जल स्तर सेतु के फारमेशन लैवल से लगभग 1 मीटर तथा 1978 की बाढ़ से लगभग 3·3 मीटर ऊंचा था। इस तथ्य की जांच करके कि उक्त डेटा को बिना ध्यान में रखे पुल का निर्माण किन परिस्थितियों में किया गया, उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। पुल के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित की गयी समिति ने सेतु में उत्तर की ओर कोई अतिरिक्त वाटर-वे बढ़ाने तथा नदी को गहरा कराने की न तो संस्तुति दी है और न ही इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी एवं ज्ञानपुर द्वारा सड़कों का निर्माण एवं फावड़ा, गैंता आदि की खरीद

163--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में सार्वजनिक निर्माण प्रान्तीय खंड, वाराणसी व टेम्पोरेरी डिवीजन पी० डब्लू० डी०, ज्ञानपुर वाराणसी में एक वर्ष से किन-किन सड़कों का निर्माण किया गया और इन्हे सन् 78-79 एवं 79-80 में कितना कितना रुपया मरम्मत हेतु तथा कितना नये निर्माण हेतु दिया गया था ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वाराणसी में सार्वजनिक निर्णाण विभाग, प्रान्तीय खंड, वाराणसी एवं अस्थायी खंड, ज्ञानपुर, वाराणसी से सम्बन्धित सूचना* संलग्न परिशिष्ट "क" और "ख" में क्रमशः दी हुई है ।

164--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेम्पोरेरी डिवीजन, ज्ञानपुर वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता ने कितने रु० का आदेश 79 मे तथा 15 नवम्बर, 1980 तक टी० एन० पी० के लिये दिये हैं ? टी० एन० पी० में कितने फावड़ा, गैंता, घड़ा, तिरपाल, तारकोल, ब्वायलर, ठेला आदि मंगाये गये हैं ? उनके अलग-अलग दाम क्या-क्या हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वित्तीय वर्ष 1979-80 (दिनांक 1 अक्तूबर, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक) में अस्थायी खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा कुल 1,94,637.70 रुपये के आपूर्ति आदेश उपकरण एवं संयंत्र मद में निर्गत किय गये थे जिसके विरुद्ध 1,02,765.82 रु० व्यय हुए तथा वित्तीय वर्ष 1980-81 (1 अप्रैल, 1980 से 15 नवम्बर, 1980 तक) में उपकरण एवं संयंत्र मद में 77,112 रुपये के आपूर्ति आदेश किये गये तथा इस अवधि में 1,65,010.67 रुपये व्यय हुए ।

उपरोक्त व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट (ग) में दिया, हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1369 पर)

विधान सभा क्षेत्र, रानीखेत के हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण

165--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, रानीखेत में प्रान्तीयकृत हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में कितने ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप सेवा से पृथक किये गये जो प्रान्तीयकरण के पूर्व उसी संस्था में कार्यरत थे ? क्या सरकार उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*छापी नहीं गई ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(समय 12 बजकर 13 मिनट)

मऊरानीपुर में राज्य हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों का कपड़ा क्रय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व की सूचना सदन के पटल पर रखना चाहता हूं । मऊरानीपुर में राज्य हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों का कपड़ा क्रय नहीं किया जा रहा है जिससे हजारों गरीब बुनकरों में भयंकर असन्तोष फैल गया है यदि यह स्थिति कुछ दिन और चलती रही तो लोगों के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी । ज्ञात रहे कि इस केन्द्र पर शासन द्वारा कपड़ा क्रय किए जाने से आश्वासन पर ही गरीब बुनकरों द्वारा कपड़ा बुना जाता है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित किए जाने की सूचना देता हूं और मांग करता हूं कि इस उद्योग केन्द्र पर अविलम्ब कपड़ा क्रय करने की व्यवस्था की जाय ।

टाण्डा के वाष्प विद्युत् प्रतिष्ठान में कोल हैण्डलिंग उपक्रम बनाने हेतु लिये गये टेन्डर में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत—

मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान टाण्डा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वाष्प विद्युत् प्रतिष्ठान जो उ० प्र० बिजली बोर्ड के अधीन आता है जिसमें कोल हैन्डलिंग उपक्रम को बनाने के लिये सरकारी प्रतिष्ठानों की उपेक्षा करके कम कीमत के टेण्डरों की अपेक्षा कर निजी संस्थान को 13 करोड़ रुपये का ठेका देकर सम्बन्धित विद्युत् प्रतिष्ठान को करोड़ों रुपये के हानि की ओर आकर्षित कर टाण्डा वाष्प विद्युत् प्रतिष्ठान को घाटे की ओर घसीटने का कुचक्र रचा जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

दिनांक 19/20 फरवरी को टाण्डा वाष्प विद्युत् प्रतिष्ठान कोल हैन्डलिंग उपक्रम को बनाने के लिय सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक कम्पनियों जिनमें से एम० ए० एस० सी०, दुर्गापुर ; एच० इ० सी० रांची जो, भारत सरकार का प्रतिष्ठान हैं की उपेक्षा करके अधिक मूल्य पर मेसर्स टाण्डा राविन्स फ्रेजर, जिसे संक्षिप्त में टी० आर० एफ० कहते हैं, जो एक बहुउद्देशीय कई देशों की मिलाकर निजी कम्पनी है, को अधिक मूल्य पर 13 करोड़ रुपये का आर्डर प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 लाख रुपये रिश्वत लेकर ठेका दिया गया है ।

इस घटना के कारण उक्त सरकारी भारत सरकार की इकाइयों, जोकि रिश्वत दे पाने में असमर्थ हैं, को इस आर्डर से वंचित रहना पड़ा है । जिसके कारण टान्डा वाष्प विद्युत प्रतिष्ठान पर करोड़ों रुपये के अतिरिक्त भार बढ़ गया है । जिसका प्रभाव नागरिकों पर भी पड़ेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टाण्डा के वाष्प विद्युत प्रतिष्ठान में कोल हैंन्डलिंग उपक्रम बनाने हेतु लिये 1289 गये टेन्डर में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से मांग करता हूं कि सम्बन्धित प्रतिष्ठान से समस्त टेन्डरों को मंगाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करें, ताकि प्रतिष्ठान को भारी क्षति से बचाया जा सके ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली में मद्य-निषेध के बावजूद संजीवनी सुरा व टिंचर जिंजर विक्रय के लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जनपद पौड़ी एवं चमोली में मद्य निषेध के बावजूद भी हाल ही में संजीवनी सुरा, टिंचर जिंजर आदि मादक द्रव्यों की सैकड़ों दूकानें राजनैतिक प्रश्रय एवं भ्रष्ट तरीकों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये गये लाइसेन्सों से खुल गयी हैं । इन मादक द्रव्यों का उपयोग खुले आम शराब की तरह नशे के लिये किया जा रहा है जो कि जन स्वास्थ्य के लिये प्राणघातक हैं । इनके उपयोग हेतु लोगों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा रहा है और इनकी बिक्री अत्याधिक ऊंचे दामों पर करके लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और इसके अलावा इन जनपदों में इन दूकानों के खुलने से असामाजिक तत्वों का बोल बाला हो गया है । जिससे यहां अशान्ति, असुरक्षा, भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया । झगड़ा फसाद एवं अन्य अपराधों में भारी वृद्धि हो गयी है और लोगों की इज्जत-आबरू को सख्त खतरा पैदा हो गया है । इनकी वजह से सामान्य जनता में भयंकर आक्रोष व्याप्त हो गया है ।

अतएव मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में ला कर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि जन आक्रोष को देखते हुए जनहित में इन मादक द्रव्यों की दूकानों को अविलम्ब बन्द कराया जाय तथा इन लाइसेन्सों के पीछे व्याप्त भ्रष्टाचार एवं राजनैतिक प्रश्रय की जांच करवाने की कृपा करें ।

ग्राम सकतपुरा जिला मुरादाबाद निवासी श्री लल्लू सिंह द्वारा सिंघाडिया जाति के लोगों के साथ अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, ग्राम सकतपुरा, थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद में अधिकतर ऊंची जाति के लोगों की आबादी है, इसमें थोड़ी संख्या में सिंघाड़िया पिछड़ी जाति के लोग भी रहते हैं । जो गरीब मजदूरी करते हैं केवल इनमें कुछ एक दो घर ही कुछ खाते पीते हैं गांव के प्रधान श्री लल्लू सिंह ने जो पिछले दिनांक तक इन सिंघाडियों से बंधुआ मजदूरी कराते थे जिन्होंने ग्राम समाज की जमीन के ऊपर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और भूमि हीन होने के कारण इन सिंघाडियों ने जिला अधिकारियों को दरखवस्त दी कि यह अनधिकृत कब्जा समाप्त करके इस भूमि पर भूमिहीनों को कब्जा दे दिया जाये । जिस पर श्री लल्लू सिंह का नाम इस जमीन से खारिज कर दिया और अब इस भूमि का आवंटन होने वाला है इस गुस्से में श्री लल्लू सिंह ने पिछले महीने में उन सिंघाडियों के यहां थाना भगतपुर के एस0 ओ0 से मिल कर डकैती डलवायी और जब उन सिंघाडियों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अकबर हुसैन-]

उकैती की रिपोर्ट दर्ज करायी थी तब श्री लल्लू सिंह ने अपने साथ 15 आदमियों को ले कर इन सिंघाडियों के मकानों पर सुबह के 7 बजे धावा बोल दिया उनकी औरतों और उन लोगों को उन लोगों ने बुरी तरह से मारा उन लोगों ने हमलावर में से एक को श्री भारत सिंह, को पकड़ लिया जिस को पकड़ कर वह लोग मुरादाबाद एस0 एस0 पी0 साहब के सामने ले गये और उनकी रिपोर्ट 26-2-81 को थाना सिविल लाइन मुरादाबाद में धारा 147, 148, 149, 307, 452 के अन्तर्गत मुकदमा नं0 157 लिखा गया परन्तु एस0 ओ0 भगतपुर से साजिश कर के और 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मुलल्जिमानों गिरफ्तारी में नही आये एस0 ओ0 भगतपुर पूरी तौर से श्री लल्लू सिंह और उनके साथियों की मदद कर रहे हैं। इस घटना के कारण उस क्षेत्र में विशेष रूप से गरीब जनता में व्यापक रूप से असंतोष और अविश्वास एवं भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

गोरखपुर वन प्रभाग के मजदूर प्रतिनिधियों द्वारा विधान भवन के सामने अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विधान भवन के सामने गत 5 मार्च, 1981 से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर गोरखपुर वन प्रभाग के करीब दस हजार मजदूर प्रतिनिधियों द्वारा किये जा रहे अनशन को आदरणीय सदन के संज्ञान में ला कर सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान देकर इनकी समस्याओं को सुलझाने, इनकी सेवा शर्तों को सुनिश्चित कर के तथा इन्हें शोषण एवं बंधुआ मजदूर प्रथा से मुक्त कराने हेतु कदम उठायें जिससे सम्पूर्ण प्रदेश के वन प्रभाग के विभिन्न श्रेणी के मजदूरों में व्याप्त असंतोष एवं तनाव की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके तथा इन लोगों को यह आश्वासन मिल सके कि इनका आगे अब शोषण बन्द होगा। ये बन्धुआ मजदूर नहीं रहने पायेंगे तथा इनकी सेवा शर्तों का प्रदेश के प्रथा कानून के सन्दर्भ में नियमितीकरण किया जायेगा।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को कैम्पजेल चुनार की जेल यातना से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैम्प जेल चुनार की जेल यातना से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बा दीन पुत्र श्री माधो प्रसाद, ग्राम नवाब, पोस्ट चमियानी, जिला उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि राज्य मंत्री श्री शिवराज सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री हुकम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 3 मार्च, 1981 को माननीय राज्य मंत्री श्री शिवराज सिंह के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। उनका कहना है कि 27 फरवरी, 1981 को उक्त राज्य मंत्री ने राज्य की नयी कृषि नीति की घोषणा करते हुए बाराबंकी में कहा कि नयी नीति के अनुसार कृषकों को 25 से 33 प्रतिशत उर्वरकों पर सबसिडी दी जायेगी एवं हरिजनों को 75 प्रतिशत तक की सबसिडी दी जायेगी और इसके लिए कृषकों को लेखपाल से प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

मैंने माननीय राज्य मंत्री, कृषि से इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय राज्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 6 मार्च, 1981 द्वारा मुझे सूचित किया है कि लघु सीमान्त एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान दिये जाने की शासन की नीति पहले से चल रही है और दिनांक 27 फरवरी, 1981 को बाराबंकी में उन्होंने राज्य शासन की पूर्व निर्धारित नीति को ही दोहराया था। उक्त राज्य मंत्री ने शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये विभिन्न आदेशों की प्रतियां भी अपने पत्र के साथ संलग्न* की हैं। जोत बही सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में उनका कहना है कि यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें नीति सम्बन्धी कोई प्रश्न निहित नहीं है।

इस प्रकार प्रश्नगत मामले में राज्य मंत्री माननीय शिवराज सिंह ने शासन की पूर्व निर्धारित नीति को ही दोहराया है तथा किसी नई नीति की घोषणा नहीं की है। उक्त कारणों से मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।"

उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल उत्तर प्रदेश, प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं रुड़की विश्वविद्यालय सिनेट हेतु चुने गये सदस्यों की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना माननीय सदस्यों के समकक्ष प्रस्तुत है। 9 मार्च, 1981 को हुए निर्वाचन के फलस्वरूप--

1--उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में--

(1) कुमारी अलमेलु अम्माल (बस्ती)
(2) श्री ओम प्रकाश जिन्दल (आगरा)

2--उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में--

(1) श्री महेश चन्द्र शर्मा (मेरठ)
(2) श्री विशन लाल (बिजनौर)
(3) श्री सन्त बख्श रावत (लखनऊ)
(4) श्री हरिद्वार पाण्डेय (गोरखपुर) तथा

*छापी नहीं गयी।

[श्री अध्यक्ष--]

3--रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में--

(1) श्री अनवार खां (अलीगढ़)
(2) श्री दीपक कुमार (मुजफ्फरनगर)
(3) श्री नन्द किशोर सिंह (देवरिया)
(4) श्री सुरेन्द्र कपिल (सहारनपुर)

विधान सभा के सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित घोषित किये गये हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

श्री अध्यक्ष--

इस औचित्य के प्रश्न के पहले भी आपकी एक सूचना आई है ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, औचित्य का नहीं व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना इस प्रकार है--

"प्रश्न प्रहर के तत्काल बाद प्रश्नों सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न उठाने हेतु सचिव महोदय, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

मैं प्रश्न प्रहर के तत्काल बाद प्रश्नों सम्बन्धी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने का आकांक्षी हूं । कृपया अवसर सुलभ कराने का कष्ट करें । धन्यवाद ।"

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष--

आप किस तरह का प्रश्न उठाना चाहते हैं ? मेरा मतलब है कि यह कोई हमारे और आपके बीच में कोई इम्तहान नहीं । जो प्रश्न उठाना चाहते हों, दे दें ताकि क्या व्यवस्था देनी है, हम भी समझें ? आप क्या उठाना चाहते हैं, लिखकर दे दें तो पत्रावली देखकर उत्तर दे दूंगा ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, व्यवस्था तो कभी भी उठायी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन जो घटना घट रही हो, उस पर दे सकते हैं, उसी सन्दर्भ में दे सकते हैं, लेकिन जो घटना आपके मन में है, उसमें मैं क्या व्यवस्था दूंगा ? उसको आप लिखकर देंगे, तो मैं समय दूंगा । अतः पहले आप लिखकर दें कि क्या प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

गोरखपुर एवं लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण के सभी पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों की अनिश्चित-कालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

जागरण, गोरखपुर में लगभग 100 पत्रकार एवं गैर पत्रकार श्रेणी के कर्मचारी नियोजित हैं। इन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दैनिक जागरण कर्मचारी संघ, गोरखपुर द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रतिष्ठान में जनवरी, 1981 से दो कर्मचारियों की, जो उप सम्पादक के रूप में नियोजित थे, सेवायें समाप्त किये जाने के फलस्वरूप आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। बाद में सेवायोजकों ने इन दोनों कर्मचारियों को काम पर रख लिया। इसके बाद दिनांक 4 फरवरी, 1981, 6 फरवरी, 1981 व 7 फरवरी, 1981 को पालेकर एवार्ड की सिफारिशों को लागू किये जाने की मांगों को लेकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी आदि हुई। कर्मचारियों की मांगों में पालेकर एवार्ड के पूर्ण रूप से लागू किये जाने, अन्तरिम राहत का दिनांक 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि का रुका हुआ भुगतान किये जाने, कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने, कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी देने और काम के अनुसार कर्मचारियों के पदनाम व वेतनमान निर्धारित करने की मांगे प्रमुख थी। इस औद्योगिक विवाद का संज्ञान दिनांक 9 फरवरी, 1981 की नोटिस द्वारा नियम 4 के अन्तर्गत लिया गया था और दिनांक 10 फरवरी, 1981, 17 फरवरी, 1981 और 23 फरवरी, 1981 को पक्षों के बीच संराधन कार्यवाही के दौरान विभिन्न मांगों पर वार्ता कराई गई थी। दिनांक 23 फरवरी, 1981 की वार्ता में दोनों पक्षों की सहमति से अगली वार्ता दिनांक 3 मार्च, 1981 को लगाई गई थी। इसी बीच 25 फरवरी, 1981 को सेवायोजकों ने कुछ सुरक्षा गार्डों को उनकी ड्यूटी से हटा कर उन्हें वैकल्पिक कार्य दिये जाने की नोटिस लगाई और सम्पादकीय विभाग के 4 अंशकालिक उप सम्पादकों को नये ड्यूटी चार्ट में कोई कार्य नहीं दिया, जिसका अर्थ यह होता था कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई थी। सेवायोजकों का यह कार्य उनके उस आश्वासन के विपरीत था, जो उन्होंने दिनांक 23 फरवरी, 1981 की संराधन कार्यवाही में यथास्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में दिया था। सेवायोजकों के इस कार्य के विरोध में जागरण प्रेस के कर्मचारियों ने 24 घंटे की नोटिस देकर उपयुक्त मांगों को मनवाने के लिए दिनांक 27 फरवरी, 1981 की दोपहर में 12 बजे से हड़ताल प्रारम्भ कर दी।

उप श्रमायुक्त, गोरखपुर ने स्थिति विस्फोटक देखकर उभय पक्षों के बीच तुरन्त वार्ता कराई। कर्मचारियों ने अन्तरिम राहत की धनराशि के मिले बिना हड़ताल वापस लेने से मना कर दिया और फलतः संराधन वार्ता सफल न हो सकी। उल्लेखनीय है कि पालेकर एवार्ड के विरुद्ध जागरण के सेवायोजकों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक याचिका दायर की है और उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इस शर्त के साथ स्थगन आदेश दिये हैं कि सेवायोजक एवार्ड के अन्तर्गत दिनांक 26 दिसम्बर, 1980 से देय वेतन दरों और मौजूदा वेतन दरों के अन्तर का 50% भुगतान करें और उक्त शर्त के पूरी होने पर इससे पूर्व की बकाया धनराशि का भुगतान स्थगित रखा जाय। अन्तरिम राहत का

[श्री लोकपति]

भुगतान सेवायोजक 1 जनवरी, 1980 से पूरी दर पर कर चुके हैं, लेकिन 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि की अन्तरिम राहत का भुगतान उन्होंने इस आधार पर नहीं किया है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अन्तरिम राहत के उक्त भुगतान का एक दावा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत यूनियन की ओर से दायर किया गया है, जिस पर सुनवाई चल रही है।

कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान दिनांक 27 फरवरी, 1981 को रात में साढ़े बारह बजे श्री नरेन्द्र मोहन ने जागरण, कानपुर के 5 कर्मचारियों द्वारा काम चलाने तथा अखबार निकलवाने का प्रयास किया, किन्तु गेट पर कर्मचारियों के भारी जमाव के कारण तथा जिला प्रशासन द्वारा स्थिति को नियन्त्रण में रखने की दृष्टि से उक्त व्यक्तियों को प्रेस में न जाने की सलाह मानकर वे कर्मचारी प्रेस में नहीं गये। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 1981 से उपर्युक्त आन्दोलन प्रारम्भ होते ही एक निजी प्रतिष्ठान से सुरक्षा व्यवस्था के लिये 10 सिक्योरिटी गार्ड्स भी बुलाये गये हैं, जो जागरण प्रतिष्ठान, गोरखपुर में मौजूद रहते हैं। सेवायोजकों से मिली सूचना के अनुसार दिनांक 28 फरवरी, 1981 को गोरखपुर प्रतिष्ठान के एक अधिकारी, श्री कमलेश नारायण अवस्थी को हड़तालो कर्मचारियों के एक वर्ग ने चोटें पहुंचाई और कानपुर से लाये गये उपर्युक्त कर्मचारियों में से चार टेक्नीशियन कर्मचारियों को मारा-पीटा, जिसकी रिपोर्ट थाना कैण्ट, गोरखपुर में दर्ज कराई गई है। सेवायोजकों द्वारा इस हड़ताल के कारण किसी कर्मचारी के विरुद्ध अभी तक कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री शिव प्रताप सिंह, अतिरिक्त श्रमायुक्त, औद्योगिक सम्बन्ध, उत्तर प्रदेश, कानपुर की मध्यस्थता में दिनांक 4 और 5 मार्च, 1981 को इस मामले में पक्षों के बीच गोरखपुर में समझौता वार्ता कराई गई। यूनियन की ओर से यह कहा गया कि वे निम्नलिखित तीन शर्तों के पूरा होने पर ही अपनी हड़ताल वापस ले सकते हैं—

(1) सेवायोजक दिनांक 10 फरवरी, 1981 से पूर्व की यथास्थिति बनाये रखें और जब तक विवाद का अन्तिम निपटारा नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन न कर।

(2) हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान किया जाय।

(3) दिनांक 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के लिए देय अन्तरिम राहत की अवशेष धनराशि का भुगतान किया जाये। अन्य मांगें पंच निर्णय के लिए दे दी जायं।

सेवायोजकों की ओर से उपर्युक्त प्रथम शर्त को स्वीकार कर लिया गया और वे मांगों को पंच-निर्णय द्वारा तय कराने के लिए भी तैयार थे, किन्तु वे अन्तरिम राहत की अवशेष धनराशि के भुगतान को हड़ताल वापस लेने की शर्त के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। श्रमिक प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हड़ताल की अवधि के वेतन भुगतान की मांग पर श्रम विभाग कोई मध्यस्थता नहीं करेगा और यह मामला उभय पक्षों की आपसी सद्भावना के आधार पर स्वेच्छापूर्वक ही तय किया जा सकता है। श्रमिक पक्ष अन्तरिम राहत की अवशेष धनराशि के भुगतान के आश्वासन के बिना हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ।

विवाद को सुलझाने के प्रयास जारी हैं ।

जहां तक दैनिक जागरण, लखनऊ का प्रश्न है, इसमें कुल 118 पत्रकार एवं गैर-पत्रकार कर्मचारी नियोजित हैं । इन सभी कर्मचारियों ने दिनांक 2 मार्च, 1981 को दैनिक जागरण, गोरखपुर के कर्मचारियों की सहानुभूति में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी, जिसके कारण दिनांक 3 मार्च, 1981 को लखनऊ से दैनिक जागरण का अंक नहीं निकला । दिनांक 3 मार्च, 1981 से जागरण, लखनऊ के सभी कर्मचारी कार्य पर आ रहे है और वहां श्रमस्थिति सामान्य है ।

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी के वक्तव्य से केवल एक बात साफ हो रही है कि दैनिक जागरण के मालिक पालेकर एवार्ड को किसी कीमत पर लागू करने को राजी नहीं है और अनुचित ढंग से न्यायालय में जा रहे हैं । मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि पत्रकार और गैर पत्रकार दैनिक जागरण, गोरखपुर में कर्मचारी नियोजित हैं । मेरी जानकारी के अनुसार 5 वर्ष में जब से जागरण चालू हुआ गोरखपुर में एक हजार लोग भर्ती हुए होंगे लेकिन सब को मालिक ने निकाल दिया होगा । मैं मंत्री जी से एक बात की सफाई चाहता हूं कि 100 पत्रकारों की संख्या जो वह बता रहे हैं तो उनमें से कितने नियमित हैं, कितने अनियमित हैं, कितने दैनिक वेतन पर हैं और कितने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कर्मचारी हैं ? मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को जो दोनों पक्षों के बीच में मीटिंग हुई थी उसमें मान लिया गया था कि 10 फरवरी तक की पूर्व की स्थिति जो है उस पर उभय पक्ष कायम रहेंगे । लेकिन मालिक ने उस सहमति को जो शासन की मौजूदगी में हुई थी उसका उल्लंघन करके गैर पत्रकार कर्मचारियों को निकालने की कोशिश किया । ऐसी स्थिति में उस मालिक के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही किया ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

श्रीमन्, विगत 5 वर्षों में क्या स्थिति रही इसकी जानकारी तो इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि जो प्रश्न पेश किया गया था उसमें इसका उल्लेख नहीं था । दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि सहमति जो हुई थी उसका जिस तरह से अनुपालन होना चाहिए था वह नहीं हुआ और इसलिए असन्तोष हुआ । हम तो कठिनाइयों को दूर करने का कार्य कर सकते हैं इसलिए वक्तव्य से स्पष्ट है कि जो चीजें थीं उसकी वस्तुस्थिति बता रहा हूं । तो 4 मार्च को बातचीत हुई और उसके बाद जो अतिरिक्त श्रमयुक्त के साथ बात हुई उसमें तय हुआ कि लखनऊ में 2 बजे चलकर बात हो, श्रम मंत्री के सामने । श्रम मंत्री 2 से 5 बजे तक बैठे रहे लेकिन जो उन्होंने आने का मार्ग चुना बस तो वह समय पर नही आयो । वह ट्रेन से भी चल सकते थे ।

श्री मोहन सिंह—

ट्रेन 12 घंटे लेट आती है ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, 5 बजे के बाद में कक्ष छोड़कर चला गया था और तब वह लोग आए । लेकिन आपकी सूचना के लिए आप स्वयं 6 बजे मेरे कक्ष में इन्हीं प्रश्नों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---]

मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता है और आप लोग आमंत्रित हैं मेरी सहायता के लिए ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इन्होंने अपने वक्तव्य के अन्त में लिखा है कि जनवरी 1981 से उपयुर्क्त आन्दोलन प्रारम्भ होते ही एक निजी प्रतिष्ठान से सुरक्षा व्यवस्था के लिए 10 सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए गए हैं, जो जागरण प्रतिष्ठान, गोरखपुर में मौजूद रहते हैं । तो यह निजी प्रतिष्ठान कौन से हैं जहां से सिक्योरिती गार्ड्स बुलाए गए हैं ? मान्यवर, इनके सिक्योरिटी गर्ड्स के बारे में अनेकों किंवदन्तियां हैं गोरखपुर में, इसको लेकर वहां काफी असन्तोष व्याप्त है । क्या इनके पूर्व के इतिहास के बारे में शासन ने छान-बीन की है कि ये कौन से निजी प्रतिष्ठान से बुलाए गए हैं ? वहां पर जो हड़ताली कर्मचारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया है कि ये किसी प्रतिष्ठान के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हैं, कोई भी इनमें सिक्योरिटी स्टाफ नहीं हैं, ये सब किसी खास स्थान के हिस्ट्रीशीटर हैं, इस बात की सच्चाई क्या है, क्या यह मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

हर औद्योगिक प्रतिष्ठान अपनी सुरक्षा के लिए कर्मचारी रखता है और चाहे वह हमारी पसन्द का हो या न हो, सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स रखने का उन्हें अधिकार रहता है । जिस पर माननीय मोहन सिंह ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, उसके सम्बन्ध में पुलिस ने क्या इनीशियेटिव लिया, इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, 23 फरवरी और इसके पहले 10 फरवरी को उभय पक्ष की वार्ता हो गयी, यह सही है । जैसा कि जागरण वहां से प्रकाशित होता है, वहां के जो कर्मचारी हैं, उनको रोज निकाल दिया जाता है, उनकी कोई सेवा शर्तें नहीं हैं, कोई ग्रेडेशन नहीं है, वहां पर कर्मचारियों में अनिश्चितता की स्थिति बराबर बनी रहती है । पालेकर एवार्ड तो इसका एक अंक ही हो सकता है, यह एक बड़ी प्रासप्रेक्टिव बात है । तो वहां जो यह स्थिति पैदा हुई, उसकी जिम्मेदारी किस पर है कि 23 तारीख को सब तय हो गया था, उभय पक्ष की वार्ता हो गयी थी और अगली तारीख वार्ता के लिए 3 मार्च लग गयी थी । अभी 3 मार्च हुई ही नहीं और 25 फरवरी को ही सेवायोजकों ने कानपुर से, जिनके सम्बन्ध में अभी बताया गया है कि जो अवांछनीय तत्व हैं, ले जाकर भर्ती कर दिया सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में, जिसका अर्थ स्पष्ट है कि उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

जब 3 मार्च के लिए तय था कि उभय पक्ष बैठ कर डी0 एल0 सी0 के समक्ष बैठकर वार्ता होगी तो फिर इस बीच में 25 फरवरी को ही जो वहां पर

सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी जगह पर दूसरे लोगों को भर्ती करना उनको सेवा से हटा देना यह कौन सा सेवायोजकों का आचरण रहा और सके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने तत्काल क्या कार्यवाही की ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, जहां तक मैंने कहा कि जो गार्ड्स रखे गए हैं, उसके सम्बन्ध में जो आश्वासन देना था, दे दिया कि जांच करवा लेंगे । कहना यह है कि सामनीति की प्रक्रिया और दन्डनीति की प्रक्रिया भारतवर्ष में कोई एक साथ नहीं चल पाई है । जब साम विधि के ढंग से चल रहे हैं तो जो उस प्रक्रिया में आता है, उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं संराधन को । जब तक वह समाप्त नहीं होती है, किसी ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने से संराधन का कार्य पूरा नहीं हो सकता है और हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद आजम खां--

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने भी मालिकान हैं, जो इस तरह से शोषण करते हैं, हमारी नीति ऐसी रही है कि जो समाज विरोधी, देश विरोधी काम करेगा उसको नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया जायेगा । लिहाजा हमारी सरकार यह तो करती है कि जो राजनैतिक कार्यकर्ता है, अगर वे उनके नियम को मानकर न चलें तो उनको तो उस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है । क्या आप इस पर ध्यान देंगे कि ऐसे मालिकान नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किए जा सकते हैं या नहीं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन् संराधन में जब तक मालिक आ रहे हैं, उसका वह बायकाट नहीं कर रहे हैं । जब तक संराधन की प्रक्रिया सफल न हो जाय या जब तक हम अपने को असफल न समझें तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी । अगर ऐसे मालिक हैं जो बराबर श्रमिकों का शोषण करते हैं, मजदूर कानूनों की जानबूझ कर अवहेलना करते हैं, शासन निःसंदेह उनके बारे में विचार करेगा और जो आपका सुझाव है, उसके बारे में भी विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित और जो बड़ा लम्बा वक्तव्य अभी आया उसमें पूरी हिस्ट्री दी हुई है और बार-बार वार्ता के कारण वहां और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल वार्ता से जब सफलता नहीं मिल रही है तो क्या कोई ऐसा तरीका अपनायेंगे जिससे कि मामला सुलझकर एक सामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाय ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, यह कहना कि वार्ता से सफलता मिल नहीं रही है, ठीक नहीं है । मालिकों और लोगों की सहमति से ही यह तरीका अपनाया गया है । हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वार्ता असफल है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—•

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि गोरखपुर के जागरण के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है वह किस सिद्धान्त के आधार पर दिया जा रहा है और क्या माननीय मन्त्री जी ने पालेकर एवार्ड और वर्तमान वेतन का एसेस करके यह फर्क निकाला है कि उनको अधिक वेतन पालेकर एवार्ड से मिलेगा या जो वर्तमान वेतन मिल रहा है उससे अधिक मिल रहा है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्रीमन्, जिस विषय पर विचार हो रहा था, यह उससे अलग है लेकिन फिर भी मुझे एक ही निवेदन करना है और वह यह है कि पालेकर एवार्ड में ही यह बात कही है कि 9 महीने के भीतर मालिक उसे लागू कर सकते हैं। यह तो अपनी जगह पर है। इस बीच में मालिक सुप्रीम कोर्ट चले गए, यह दूसरी बात है। सही बात यह है कि समाज, सदन या कानून तब तक किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि कोई विवाद न उत्पन्न हो। पालेकर एवार्ड आया और पालेकर एवार्ड के मातहत तभी काम शुरू नहीं होगा जब विवाद उत्पन्न हो उन विवादों को समाप्त करने के लिए संराधन यन्त्र बन गया है और संराधन की कार्यवाही कहीं-कहीं प्रारम्भ भी हो गयी, उस पर अधिक से अधिक काम हो रहा है ।

श्री कुबेर मण्डारी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें एक्सेप्ट किया है कि कुछ कर्मचारी सुरक्षा के लिए आए हैं। मालिकों द्वारा गुण्डों को बुला कर मजदूरों का दमन कराया गया है। इस सम्बन्ध में जागरण के मालिक के खिलाफ और गुण्डों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कोई विचार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पूछा जा चुका है ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मन्त्री जी की इतनी बात तो समझ में आई कि संराधन में कोई पार्टी आये उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन यहां स्थिति भिन्न है। संराधन में आप की मध्यस्थता में कोई चीज तय हो जाती है और तय होने के बाद एक पार्टी उस का निरंतर उल्लंघन करती है और न केवल उल्लंघन करती है बल्कि 27 फरवरी को स्वयं मालिक कानपुर और लखनऊ से गोरखपुर जाते हैं कुछ कर्मचारी लेकर और जबरन प्रवेश करते हैं वहां प्रेस को चलाने की कोशिश करते हैं। जो समझौता 10 फरवरी को हुआ वही समझौता अतिरिक्त श्रमायुक्त की मध्यस्थता में 4 तारीख को हुआ। 4 तारीख के भी समझौते में 10 फरवरी की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए तैयार हैं। अन्तरिम राहत देने के लिए तैयार नहीं है। मूल बात यह है कि जो 10 फरवरी की यथास्थिति की बात मान कर उसे ठुकराया, इस बात की शासन के पास कोई गारन्टी है, कोई निश्चितता है कि जिस तरीके से 10 तारीख की बात को अस्वीकृत कर दिया गया यह 4 तारीख को

आपकी मध्यस्थता में जो मांग स्वीकृत हुई उस को चालू रखेंगे ? यदि अस्वीकृत करते हैं तो शासन के पास और हथकंडे हैं जैसे उनको विज्ञापन बन्द करना या और प्रकार के दबाव का बहाना देकर शासन कर्मचारियों के प्रति नरम रवैया अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है, क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, निसंदेह माननीय मोहन सिंह जी की इस बात का ख्याल रखा जायगा । मैं केवल एक ही अनुरोध करूंगा माननीय सदस्यों से कि धैर्य रखा जाय जिससे आज शाम की कार्यवाही पूरी हो जाय और उसके द्वारा कुछ हो जाय । आप की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

आज शाम की कार्यवाही में माननीय मन्त्री जी स्वयं भाग ले रहे हैं तो कल खुद घोषणा यहां पर कर दें कि मामला निपटा दिया गया है ।

श्री खैरुल बशर--

मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि हर तरह के निर्णय के उल्लंघन करने के बावजूद, चूंकि दैनिक जागरण के जो मालिक हैं वे निहित स्वार्थ वर्ग के हैं और चूंकि इस सरकार का भी वर्ग चरित्र वही है इसलिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है उन को बचाने का, मजदूरों का विरोध करने का । यह प्रयास कहां तक चलेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री बलबीर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मालिक और मजदूरों के बीच में समझौते का कोई समय भी निश्चित है जैसा कि रामपुर की हड़ताल साढ़े तीन महीने से चली आ रही है । समझौता वार्ता दस बार हो चुकी है और विफल हुई है । उसका अन्त कहां होगा । कब तक मजदूर भूखों मरते रहेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

*श्री रियासत हुसैन--

आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । ब्रीच आफ कान्टेक्ट आप के बीच में हुआ फिर भी माननीय मन्त्री जी आश्वासन दे रहे हैं । क्या इस बात की घोषणा करेंगे कि दुबारा अगर फिर मालिकान की तरफ से ब्रीच आफ कान्टेक्ट हुआ तो उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट में चलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक उत्तर चाहता हूं। यह जो जागरण के कर्मचारियों की हड़ताल है उसकी नोटिस में लिखा हुआ है कि 1967 में जो दूसरा वेज बोर्ड एवार्ड है उसकी मांग के लिए भी वे लड़ रहे हैं। मालिक अपनी जगह पर हैं। 1967 का भी मामला है। जो मालिक अब तक 1967 की रिकमन्डेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके क्या शासन उसको भी लागू करने के लिए उन पर कोई अपना प्रयास या दबाव अपनी तरफ से इतने दिनों में किया या करेगा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि यदि उनके प्रयास और प्रभाव से कर्मचारियों के हित में कोई काम हो जाय तो उसका अनुपालन करने का प्रयास आवश्यक होगा। सूचना के लिए मैं बता रहा हूं। यह आप लोगों के प्रयास का ही फल है कि 16 जनवरी के त्रिदलीय सम्मेलन में और प्रश्नों पर सहमति के साथ एक सहमति यह भी थी कि 1967 से फिटमेंट के जो केस पेंडिंग हैं उनको देखने के लिये एक कमेटी बनी है। इसके विषय में आप लोगों ने ही प्रश्न उठाया था तभी वह कमेटी बनी थी। मेरा अनुरोध यह है कि जब वह कमेटी बनी है तो कर्मचारियों से कहिये कि वे वहां जांय। इसमें मुझे सारका सहयोग चाहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि आज वार्ता जारी होगी। मैं इस सम्बन्ध में दो प्रश्न माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा। पहला तो यह है कि क्या मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे कि कल से दैनिक जागरण प्रकाशित होगा या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात का भी आश्वासन देंगे कि कर्मचारियों का जो ग्रेडेशन का सवाल है और कहा जाता है कि जागरण प्रदेश का सर्वाधिक बिक्री का पत्र है लेकिन जब उनके वेतन आदि का सवाल आता है तो उस समय क्लासीफिकेशन किया जाता है और इस वजह से कर्मचारियों का उद्वेलन हो जाता है तो क्या मन्त्री जी जो यह 'ए' श्रेणी का अखबार है उसके कर्मचारियों के वेतनमान आदि निश्चित करेंगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर वक्तव्य देना है उस विषय से यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, जो प्रश्न किया गया था, वह आपने सुन लिया ? यदि हां, तो मैंने उसी का उत्तर आपसे चाहा है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मैंने उत्तर दिया था कि उन्होंने जो प्रश्न उठाया वह इस विषय से सीधे न होकर एक सामान्य बात का था।

श्री अध्यक्ष---

आप इसका उत्तर देने में समर्थ हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

आप प्रश्न को फिर से दुहरा दें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि आप इस जागरण को सर्वाधिक बिक्री वाला पत्र कहते हैं और गोरखपुर के इस जागरण पत्र के कर्मचारियों के वेतन आदि की जब बात आती है तो कहते हैं कि 5वीं श्रेणी का वह अखबार है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वार्ता जो अभी होने वाली है उसमें इस बात को भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति होगी कि चूंकि जागरण ए श्रेणी का अखबार है इसलिये उसके कर्मचारियों को उसी हिसाब से वेतन आदि दिया जाय । दूसरा मैंने प्रश्न किया था कि क्या मंत्री जी यह भी आश्वासन देंगे कि कल से इस समाचार-पत्र का प्रकाशन होना शुरू हो जायेगा जो कि सरकार का दायित्व है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

श्रीमन्, पहला प्रश्न यह है कि आज की वार्ता में जागरण ए श्रेणी का अखबार है या नहीं, यह विचार करने की बात है । आपकी आज्ञा से मैं यह सूचना देना चाहूंगा कि 24 जनवरी के स्पष्ट आदेश हैं कि इस चीज को देखने के लिये हर क्षेत्र में एक सरकारी कमेटी बनी हुई है जो इसका निर्णय करेगी । इसके लिये इनको वहां जाना चाहिए । दूसरे जहां मजदूरों का मौलिक अधिकार हड़ताल करना है और वहां मालिकों का मौलिक अधिकार अपने अखबारों को चलाना या न चलाना है, उसके सम्बन्ध में न वार्ता में वे ही लोग तय करें तो अच्छा होगा उसके बाद ही कुछ परिणाम निकलेंगे । हमारा प्रयास यह होगा कि दोनों बातें आपसी वार्ता द्वारा तय हो जांय ।

(समय 12 बजकर 59 मिनट)

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष ---

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री जटाशंकर सिंह की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सप्ताह आगरा में सेना के खतरनाक एवं दुर्लभ शस्त्रों का विशाल जखीरा पकड़े जाने के फलस्वरूप जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति पूर्ण अविश्वास तथा आशंका उत्पन्न हो गई है ।

माननीय हरिवंश सहाय एवं माननीय नन्द किशोर सिंह का देवरिया के उत्तरांचल में डाकुओं का आतंक तथा पुलिस के निष्क्रिय हो जाने से जनजीवन में व्याप्त असुरक्षा के सम्बन्ध में तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा एवं श्रीमती गौरी देवी का दिनांक 8-3-81 को जनपद गोरखपुर के खोराबार में बाढ़ पीड़ितों को वितरित होने वाले गेहूं में भारी मिलावट एवं पुलिस द्वारा श्री रामकृपाल के

[श्री अध्यक्ष--]

मकान से 28 बोरी मिलावटी गेहूं बरामद होने से जन सामान्य में व्याप्त क्षोभ एवं रोष के सम्बन्ध में हैं । इनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र तथा श्री जटाशंकर सिंह वाले को मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । कार्य-स्थगन के रूप में तीनों को मैंने अस्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, गोरखपुर वाले मामले में बहुत गड़बड़ हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

मैं सुन नहीं पा रहा हूं कि आप लोग क्या कह रहे हैं ? पहले बैठ जांय ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन्, मंत्री लोग वक्तव्य जैसा देते हैं वह सब जानते हैं उसमें कई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं । इस मामले में वहां पर दबाव पड़ रहा है जो व्यक्ति इसमें पकड़े गये हैं वह वहां के जो माननीय संसद सदस्य हैं उनके रिश्तेदार हैं जिनको आज मीसा में बन्द किया गया है । अस्पताल में गलत दिल का दौरा दिखा कर उनको छुड़ाने का प्रयास हो रहा है । इसमें ऐसे-ऐसे सामान बरामद हुए हैं । पिछले सप्ताह आगरा में जो घटनायें घटी हैं वह साधारण अस्त्र-शस्त्र नहीं हैं वह ऐसे हैं जो सेना के पास होते हैं । जो कि इस कारखाने की तलाशी के बाद प्राप्त हुए हैं । इन सारी बातों को देखते हुए निश्चित रूप से इस घटना में विदेशी षड़यंत्र है । तो इतनी बड़ी सामग्री और इतनी कीमती सामग्री इस कारखाने में कैसे प्राप्त हो गयी । लगता है इसमें बहुत बड़ा सुनियोजित योजना है । आज सम्पूर्ण प्रदेश आग के अन्दर लिपटा हुआ है । मामले की गंभीरता को देखते हुए छोटे से वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा । चूंकि सम्पूर्ण प्रदेश का यह मामला है इसलिए इस पर चर्चा करा दें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो बात माननीय अग्निहोत्री जी ने कही उसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं । मान्यवर, यह घटना अत्यन्त गम्भीर है क्योंकि जिलाधिकारी आगरा ने संवाददाता सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया है कि इस मामले को दबाने के लिए उन पर राजनीतिक दबाव पड़ रहा है । उसमें सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्य हैं जिसे जिलाधिकारी ने स्वीकार किया है । इसलिए इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है । आपसे प्रार्थना है कि इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा करा दें अन्यथा सम्पूर्ण प्रदेश में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है कि सरकार जनता की सुरक्षा करने में असमर्थ है ।

*श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष ––

आप बैठ जायं । आपका प्रस्ताव में नाम तो है नहीं ।

श्री दलगंजन सिंह––

मान्यवर, मुझे कुछ जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष––

इस पर बहस नहीं हो रही है । ग्राह्यता पर बात हो रही है । बोलना था तो कार्यस्थगन के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये था लेकिन वह आपने किया नहीं है ।

श्री दलगंजन सिंह––

मान्यवर, इसमें 9 सौ बोरे बम बरामद हुए हैं, जो कि मिलेट्री के हैं जो झांसी छावनी के, कुछ बबीना छावनी के और कुछ अम्बाला छावनी के है तो इस तरह से यह एक बड़ा षड़यंत्र है । इसमें केवल प्रदेश का सम्बन्ध नहीं है बल्कि राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिससे देश की आजादी और अखंडता को खतरा है । इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करना आवश्यक है ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मान्यवर, मैंने एक कार्य–स्थगन प्रस्ताव दिया था । देखने में यह घटना बड़ी असमान्य लगती है, क्योंकि यह आज प्रदेश भर का रूटीन है । लेकिन जो सील करके लाया गया है और सील किया गया है वह बहुत ही भयंकर स्थिति को बताता है । बाढ़पीड़ितों को यह गल्ला बट रहा था । बाढ़ कब आई थी और गल्ला अब बट रहा है, यह तो अलग बात है ? लेकिन इसमें 20 फीसदी भी गेहूं नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है । इसमें धान की भूसी, बालू, कंकड़–पत्थर बड़ी मात्रा में मिला हुआ है, न जाने क्या–क्या मिल हुआ है ? मैंने इसकी एक पोटली नमूने के रूप में आपके यहां भी आकर दी है । गोरखपुर में जो खाद्य बंट रहा है वह सब अखाद्य है । यह घटना इतनी गम्भीर है, जब माननीय विधायिक वहां गई और कांग्रेस (आई) के भी एक गये तो सारे कर्मचारी वहां से भाग गये । 28 बोरा यह अनाज आज भी वहां थाने में पड़ा हुआ है, जिसमें पत्थर का चूरा पड़ा हुआ है । इसलिए आप आदेश दें और सरकार को निर्देश दें कि गोरखपुर के सारे गोदामों को सील कर दिया जाए और उसकी खुली जांच होनी चाहिए । मेरा स्पष्ट आरोप है कि गोरखपुर का प्रशासन लाखों रुपया बांटने में खा गया है . .

(व्यवधान)

आप शासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने के लिए निदेश दें ।

(व्यवधान)

श्री हरिवंश सहाय––

मान्यवर, वहां पर पांच डाकुओं को ग्रामीणों ने मारा है, लेकिन उनको इस बहादुरी का इनाम न देकर पुलिस ने ले लिया है . .

(व्यवधान)

इसके कारण बिहार में एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई है . .

श्री अध्यक्ष––

यह तो आप कह चुके हैं । अब बैठें ।

*श्री ओम प्रकाश जिंदल--

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो आज उक्त घटना के बारे में जिक्र किया, उसकी गम्भीरता के बारे में दो राय नहीं हो सकती है और मैं चाहूंगा कि उस पर चर्चा अवश्य हो। लेकिन उन्होंने जिस राजनीतिक दबाव का उस घटनाक्रम में जिक्र किया, मै उसका घोर विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण में न किसी संसद सदस्य का और न किसी विधायक का किंचितमात्र भी राजनैतिक दबाव है। पूरी निष्पक्षता के साथ उसमें जांच हो रही है, लेकिन चूंकि यह बड़ा गहम मसला है, दो आदमी मर चुके हैं, अनेक घायल हो चुके हैं और उसमें सेना के बम भी पकड़े गये हैं, इसमें सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स की भी इसमें जांच हुई, इन सब कारणों से इस पर चर्चा अवश्य हो जानी चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अब दो प्रकार के तथ्य घटना के सम्बन्ध में सामने आ गये हैं और वे विवादास्पद हैं, इसलिए भी इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरिवंश सहाय का डकैती के सम्बन्ध में और जनार्दन प्रसाद ओझा जी की जो सूचना है उसके बारे में जो ओझा जी ने कहा उससे विदित है कि कुछ लोग पकड़े गये हैं और सील हुआ है और आपने जो पोटली दिखाई है, वह सब है, लेकिन इसको आपने केवल नियम 56 में दिया है यह इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि कार्य-स्थगन के रूप में हम इसको देखकर स्वीकार कर सकें। इस तरह से आपका और श्री हरिवंश सहाय का अस्वीकार हुआ नियम 56 में। मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि के सूचना के विषय को, जिसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, निश्चित रूप से वह महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग ही नहीं मैं भी समझता हूं। आपने इसके महत्व के बारे में बताया और साथ ही साथ कुछ आरोपात्मक बातें कहकर इधर से उसका विरोध किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस पर क्या कहना चाहती है। सरकार का वक्तव्य आ जाए, फिर जरूरी होगा तो चर्चा करा दी जाएगी।

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग, पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

[मध्य 1 बज कर 10 मिनट]

*कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या 52-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,49,31,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,69,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31, मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,89,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,06,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,54,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 99-पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 100-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 122-

[श्री बलराम सिंह यादव—]

कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,29,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 124—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे कृषि, पशुधन और दुग्धशालायें विभागों का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया । हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और जनसंख्या तथा भौगोलिक आकार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है । हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता खेती के काम पर निर्भर रहती है । आज आवश्यकता इस बात की है कि इस 80 प्रतिशत जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये । जब तक हम इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करते तब तक किसान के साथ न्याय नहीं कर सकते । जब से हमारी यह वर्तमान सरकार बनी है उसने इस बात का प्रयास किया है कि कृषि का उत्पादन बढ़े और इस सरकार ने इसके लिए क्रान्तिकारी कदम भी उठाये हैं । उसमें हमें भारी सफलतायें भी प्राप्त हुई हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खाली कृषि उत्पादन बढ़ाने से ही किसान की हालत को सुधारा नहीं जा सकता । किसान की पैदावार बढ़ाने के साथ—साथ यह भी जरूरी है कि उसकी पैदावार का उसे उचित मूल्य भी मिले । इस ओर भी हमारी सरकार ने कदम उठाया है । चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, चाहे आलू की फसल हो, सरकार का यह प्रयास रहा है कि किसान को अच्छे से अच्छा मूल्य मिले । आपको यह बताते हुये मुझे हर्ष है कि हमारे प्रदेश के अन्दर इस वर्ष धान का रेकार्ड उत्पादन हुआ है, आलू का भी रेकार्ड उत्पादन हुआ है, और यह भी हर्ष की बात है कि इस वर्ष रबी का उत्पादन भी बम्पर होने जा रहा है । शायद जितना उत्पादन इस वर्ष होगा उतना उत्पादन पहले किसी भी वर्ष में नहीं हुआ होगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, 1979—80 में जब आपकी (विरोध पक्ष) सरकार थी उस समय प्रदेश के अन्दर धान का उत्पादन 25.33 लाख क्विन्टल हुआ था जब कि हमारी सरकार आने पर 1980—81 में 56 लाख क्विन्टल का रेकार्ड उत्पादन हुआ है । हमारी सरकार ने यद्यपि धान का समर्थन मूल्य 105 रुपये रखा है । इसका तात्पर्य यह है कि किसान को कम से कम यह मूल्य मिले लेकिन हमें यह सूचना देते हुए भी हर्ष है कि हमारे प्रदेश के अन्दर किसानों को धान की कीमत 105 रुपये से लेकर 140 रुपये तक मिली है । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है । मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमने यह रेट

(व्यवधान)

कैसे दिलवाया । इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया कि हम इसकी खरीद सीधे किसानों से करेंगे । प्रदेश में जहां जहां धान की मंडियां थीं और जहां धान आता था, सरकार ने वहां पर धान की खरीद सीधे किसानों से की । और आपको

बताते हुए मुझे हर्ष है कि अभी तक हमारे प्रदेश के अन्दर धान की 6 लाख कुंटल खरीफ हो चुकी है और श्रीमन् जब आपकी हूकूमत थी गत वर्ष पौने सात हजार कुंटल किसान के धान की खरीद हुई। तो हमारा जो यह कदम रहा धान की फसल का यह इतना क्रांतिकारी और प्रभावशाली कदम रहा कि जिसकी वजह से किसान को धान का उचित मूल्य दिला सके। प्रदेश में इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि हम दलहन का उत्पादन बढ़ायें। आज हम महसूस करते हैं कि जो गांव में हमारे गरीब आदमी रहते हैं, उन्हें सब्जी पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं हो पाती है और दालों के भाव लगातार आसमान को छू रहे हैं। तो इसी दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी विशाल योजना बनाई गई है और हमें उम्मीद है, यदि भगवान की कृपा हमारे ऊपर रही जैसी कि अभी तक रही है, तो आने वाले अगले वर्ष में हम निश्चित रूप से दलहन का उत्पादन इतना कर लेंगे, जो इसके रेट्स हैं वह निश्चित रूप से नीचे गिरेंगे।

मान्यवर, गत वर्ष हमारे प्रदेश में सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में मूंग, उर्द, दलहन की खरीफ होती थी, इसको बढ़ा कर हमारा लक्ष्य है कि हम 8 लाख हेक्टियर में तेलहन की खेती करेंगे। हमारे प्रदेश के अन्दर कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उर्वरक की कीमतें बढ़ी हैं और डर इस बात का रहा कि उर्वरक की कीमतें बढ़ने से शायद किसान उर्वरक की खरीद कम करेगा। लेकिन श्रीमन् इतनी सारी कीमतें बढ़ने के बावजूद भी उर्वरक का प्रयोग कम नहीं हुआ बल्कि गत वर्ष से ज्यादा प्रयोग किसान ने किया। सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि जो सीमांत किसान हैं उनको हम 33, 33 प्रतिशत छूट देंगे जो छोटे किसान हैं, उनको हम 25 प्रतिशत छूट देंगे और जो अनुसूचित जनजाति के किसान हैं, उनको उर्वरक के ऊपर 50 प्रतिशत छूट देने का हमारा फैसला है और पूरे प्रदेश के अन्दर इस तरह के पात्र लोग जो हैं वह अनुदान पा रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने इस बात को महसूस किया कि हमें आपके किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। खाद की कीमतें जब बढ़ी थीं तो मान्यवर, सरकार ने यह फैसला लिया है कि फास्फेटिक और उर्वरक पर तमाम जो कृषक हैं, उनके ऊपर 10 प्रतिशत की छूट दी जाय। कभी-कभी ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि अनुदान अधिकारी गड़बड़ी करते हैं उससे सरकार जागरूक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को सब्सीडी के लिए परिचय-पत्र दिये जाने का मामला जो है, हमारे विचाराधीन है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र ही सरकार इस पर अमल करेगी। आप खाद के बारे में कह रहे थे मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गत वर्ष 79-80 में 10, 10 लाख मीट्रिक टन हमारे प्रदेश के अन्दर उर्वरकों का प्रयोग हुआ था। लेकिन इस वर्ष जो हमारे पास जनवरी के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 11.51 लाख मीट्रिक टन उर्वरक किसानों के लिए उत्पादन किया गया है। यह मान्य बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इसके बावजूद कि इस वर्ष उर्वरक की कीमतें भी बढ़ी किसानों ने उर्वरक का प्रयोग काफी किया है। उसका एक कारण मान्यवर यह भी है कि सरकार की ओर से छोटे और मध्यम किसानों में सब्सीडी उपलब्ध करायी गयी और 10 प्रतिशत फासफैटिक उर्वरक पर किसानों को छूट दी गयी जिससे किसानों को काफी राहत मिली ह, जिससे किसानों ने उर्वरक का प्रयोग बंद नहीं किया।

[श्री बलराम सिंह यादव---]

दूसरा मान्यवर, हमारे प्रदेश में गोबर गैस संयन्त्र लगाये जाने की योजना भी चल रही है और हम समझते हैं कि इससे किसानों को दोहरा लाभ है। जहां एक ओर किसानों को गैस से रोशनी आदि मिलती है और खाना पकाने के लिए ईधन मिलता है वहीं दूसरी ओर उन्हें कम्पोज्ड खाद भी मिलेगी। इस सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सन् 80-81 में अभी तक 4345 गोबर गैस संयन्त्र लगाये जा चुके हैं और आगे उम्मीद की जाती है कि प्रदेश के अन्दर लगभग 6 हजार गोबर गैस संयन्त्र लगाये जायेंगे। दूसरे मान्यवर, इसमें अनुदान भी है जो लघु और सीमान्त कृषक हैं उन्हें श्रीमन् 825 रु0 से लेकर 1455 रु0 और 550 रु0 से लेकर एक हजार रु0 तक अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग में एक नील हरिज शैवाल नामक फर्टिलाईजर का अविष्कार किया गया है और मान्यवर, यह नहीं इसके जादू जैसे चमत्कार हैं। धान के खेतों में यह बहुत बड़ा काम करता है कि वायुमन्डल में नाईट्रोजन की अधिक मात्रा को लेकर धान के खेतों में भर देता है और उसके जो अभी तक प्रयोग हुए हैं उसके अनुसार बहुत क्रान्तिकारी नतीजे सामने आये है। मान्यवर, अभी तक 320 टन नील हरिज शैवाल किसानों को वितरित की जो चुकी हैं और सन् 80-81 में उम्मीद है कि 15 सौ टन किसानों के बीच वितरित करायेंगे।

दूसरे मान्यवर, हमारे प्रदेश में भूमि कई प्रकार की है। विभाग की ओर से मृदा परीक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। प्रदेश में मृदा परीक्षण की कई प्रयोगशालाएं चालू की गयी हैं। इन प्रयोगशालाओं के जरिये खेतों की मिट्टी किसान लाता है और वहां पर प्रयोग करके उस किसान को यह बताया जाता है कि अमुक मिट्टी में अमुक-2 चीजों की डिफिशियेन्सी है, जिसमें इस प्रकार की इतनी उर्वरक डाल कर उस जमीन को ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार मृदा परीक्षण के जरिये प्रदेश के किसानों में एक अच्छा कार्य किया जा रहा है।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

अभी जनवरी 1980-81 तक 11·5 लाख मिट्टी के नमूने कितनों से लिए गये और उनके नतीजे से किसानों को अवगत कराया गया। कृषि के लिए सबसे आवश्यक बात यह होती है कि हम कृषकों को अच्छा बीज गुणात्मक बीज उपलब्ध करायें। किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध होता है तो उससे उत्पादन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। कभी-कभी नकली बीज बेचने की शिकायत आती है इसके ऊपर नजर रखी जा रही है और आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने सीड सर्टिफिकेट एजेन्सी का प्रदेश के अन्दर कायम किया है। सीड सर्टिफिकेट एजेन्सी किसानों द्वारा पैदा किये हुए बीज को, कृषि फार्मों पर पैदा किए हुए बीज की और एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी द्वारा पैदा किये हुए बीज का परीक्षण करती है और जो बीज अच्छा नहीं होता है उसको रिजेक्ट कर देती है और जो बीज अच्छा होता है उसको पास करती है। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर 12 विधायी संयंत्र शीत प्रसोसिंग प्लान्ट हमारे प्रदेश के अन्दर लग चुके हैं और 2 शीत प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने का प्रस्ताव है। 1980-81 में हमने खरीफ में इसी तरीके से सर्टिफाइड प्लान्ट से 6 लाख 5 हजार 959 कुन्तल बीज प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराया है और बोने के लिए हमने 4 लाख एक हजार 648 कुन्तल प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराया है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है और मैं तो यह कहूंगा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है आज भी अजादी के इतने वर्षों बाद तेल विदेशों से मंगान,

पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने काफी लम्बा चौड़ा कार्यक्रम बनाया है और हमें उम्मीद है कम से कम हम अपने प्रदेश के लिए अपने पैरों पर खड़े होंगे। लाही की पैदावार, सरसों की पैदावार बढ़ाने का सरकार का पक्का इरादा है। मान्यवर, 79-80 में 3 लाख हेक्टेयर में सरसों लाही की खेती हुई थी 80-81 में 4 लाख हेक्टेयर लगाई गई है। मान्यवर, हमारे यहां प्रदेश में 3 एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी हैं उनसे सम्पर्क किया जा रहा है और आदेश दिया जा रहा है कि प्रदेश के अन्दर दलहन और तिलहन के ऐसे किस्म के बीजों का अविकार करें जिसमें कम से कम रोग लगने की सम्भावना हो ओर अधिक के अधिक पैदावार हो। मान्यवर, सरकार का ध्यान इस तरफ पूरी तरह से है। दलहन के पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को राहत देने के लिए मान्यवर, सरकार ने काफी कदम उठाये हैं। आपकी इजाजत से मैं सदन को बताना चाहता हूं। दलहन फसलों की कीट नाशक रोगों से बचाने के लिए कीट नाशक दवाओं पर 25 प्रतिशत अधिक से अधिक 30 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायगा। कृषकों को कृषि रक्षा उपचार व्यय के लिए 15 रुपये प्रति हेक्टेयेर की दर से कृषि रक्षा रसायन के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। मान्यवर, दलहन का प्रदर्शन भी विभाग की तरफ से करने का फैसला सरकार ने किया है। जिन किसानों के लिए दलहन फसलों का प्रदर्शन किया जायगा उनको इनपुट्स के रूप में 275 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सरकार अनुदान देगी। ये कदम सरकार ने दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हैं जो कि बहुत ही क्रान्तिकारी कदम हैं और हमको उम्मीद है कि दलहन का उत्पादन आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से बढ़ेगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में अधिकतर छोटे और सीमान्त किसान हैं जो कि कीमती कृषि यंत्रों को नहीं खरीद सकते। इस दृष्टिकोण से हमारे प्रदेश में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। अभी तक ये कृषि सेवा केन्द्र 13 जिलों खोले गए हैं और 13 जिलों में 32 जगहों ये सेवा केन्द्र कार्यरत हैं।

इसके साथ मैं एक यह सूचना और देना चाहता हूं। आज ट्रैक्टर की कीमत बहुत अधिक हो गई है। फिर उनके इम्पलिमेंट्स भी नहीं मिल पाते हैं। हमारे यहां दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं था कि हम सस्ते मूल्य पर किसानों को यंत्र उपलब्ध करा पाते। अभी मैं और हमारे सिंचाई मंत्री जो बंगलौर गए थे जहां एक कान्फ्रेन्स थी। वहां एक फर्म है जापानी कालोबरेशन से जो ट्रैक्टर बनाता है साढ़े 9 हार्स पावर का। जो कृषि मंत्री गए थे उन सभी को उन्होंने आमंत्रित किया और उन्होंने डिमान्सट्रेशन दिया। हम लोगों को वह ट्रैक्टर अच्छा लगा। उसकी कीमत 22, 23 हजार है। उन्होंने हमको बतलाया कि जो छोटे तथा सीमान्त किसान हैं उनको केन्द्र सरकार की ओर से एक जी० ओ० है उसके अनुसार सबसिडी मिलती है। उन्होंने उस जी० ओ० की कापी भी हमको दे दी। हमने यहां आ कर अधिकारियों से बात-चीत की, कुछ अधिकारी वहां भेजे गए, जा कर उन्होंने उसे देखा और आकर बताया कि यह यंत्र बहुत उपयोगी है और यंत्र पर परीक्षण हुआ तो वह भी बहुत अच्छा साबित हुआ हमने उस पर छोटे किसानों को 25 फीसदी और 33 फीसदी सीमान्त किसानों की छूट देने का फैसला ले लिया है। तो यह छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम प्रदेश में उठाया गया है।

[श्री बलरःम सिह यादव--]

मान्यवर, हमारे प्रदेश में कहीं नदियां हैं, कहीं नाले और उससे भूमि का बहुत कटाव होता है। एक बहुत बड़ा प्रदेश का भाग जिसमें खेती हो सकती है उस कटाव से ग्रस्त रहता है और उसके किए हमारा भूमि संरक्षण विभाग कार्यरत है तथा काफी सुचारुरूप से अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

22-23 जिले ऐसे हैं जहां ऊसर की समस्या बहुत भयानक है। इस तरफ भी हमारा ध्यान है। भूमि संरक्षण विभाग के जरिये से, कृषि विभाग के जरिये से भूमि सुधार की योजनायें चलायी जा रही हैं लेकिन इसके साथ-साथ आपको बताना चाहता हूं कि एक ऊसर सुधार निगम की भी स्थापना कर दी गई है और उसके अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है, सम्भवतः आप जानते होंगे, प्रोफेसर के0 एन0 कौल, जो बहुत बड़े विद्वान हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी रहनुमायी में इसमें क्रान्तिकारी कदम उठाया जायेगा।

श्री धरमपाल--

वह तो बहुत नेकनामी लोगों में से हैं, वह ऊसर को भी निगल जायेंगे।

श्री मोहन सिंह--

माननीय शीला कौल आने वाली हैं इसीलिए....

श्री उपाध्यक्ष--

क्या इसकी चर्चा आप लोगों के बीच भी चल रही है?

(हंसी)

श्री बलराम सिंह यादव--

मोहन सिंह जी हमारे मित्र हैं माननीय, यह जो कुछ भी कहें उनको आप कहने दें।

श्री मोहन सिंह--

इनकी तो माननीय, मैं तरक्की चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मोहन और बलराम में कोई फर्क नहीं है।

(हंसी)

श्री बलराम सिंह यादव--

गन्ने के बारे में भी कुछ जिक्र कर देना मैं समझता हूं अनुपयुक्त नहीं होगा। प्रदेश के अन्दर इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई और अंदाज इस बात का था कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गन्ना किसान की हालत में सुधार नहीं होगा लेकिन हमारी सरकार ने माननीय, बहुत कुछ किया और आपको अच्छी तरह से मालूम है, आप पूर्वी अंचल के रहने वाले हैं, आपके जनपद में भी शुगर मिलें हैं, उनके अड़ोस-पड़ोस में भी शुगर मिलें हैं। 79-80 में जब भाई मोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय गन्ना का भाव क्या था। चौदह-साढ़े चौदह रुपये समर्थन मूल्य तय किया था और उस समय मुझे पश्चिमी जिलों में जाने का मौका मिला था। मैंने उनसे, एक किसान से पूछा कि क्या रेट है गन्ने का, तो माननीय

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग, पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 123--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

अतिश्योक्ति क्या, सही बात बता रहा हूं, एक साहब बोले चरण सिंह की जय, गन्ना बिक गया पौने छः। वह स्थिति थी प्रदेश के अन्दर। लेकिन आज इतना बम्पर प्रोडक्शन गन्ने का होने के बावजूद भी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गन्ने का 23 रुपये समर्थन मूल्य तय किया है और यह जान कर खुशी होगी कि 23 रुपये हीं नही हमारे प्रदेश में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को 28 रुपये क्विंटल तक मूल्य मिला है। यह सब ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी उपलब्धियां हमारी सरकार की है।

(कई सदस्यों के आपस में बाते करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप गन्ना और चीन में ऐसे न फसें कि मुझे ही भूल जायें।

श्री बलराम सिंह यादव--

किसान जो खाद्यान्नों को पैदा करता है उसके विपणन की भी ठीक व्यवस्था होना आवश्यक है। अगर किसान की बाजार में लूट होती है, नाना प्रकार की उससे कटौतियां होती हैं, नाना प्रकार से शोषण होता है, तो यह किसानों के साथ अन्याय की बात है। प्रदेश के अन्दर हमारी जो मंडी परिषद् है और जो मंडी समितियां हैं उनके माध्यम से जब से हमारी सरकार आयी है तब से प्रयास किया गया है कि किसानों की लूट नहीं होनी चाहिए। किसान के साथ इंसाफ होना चाहिए और किसान को, मंडी समिति बनने का जो उद्देश्य है, सम्पूर्ण सुख-सुविधायें मिलनी चाहिए। इस दिशा में हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं आपके निवेदनार्थ बताना चाहता हूं कि दिसम्बर, 79-80 की तुलना में दिसम्बर, 80-81 तक आवक जो है, फूड ग्रेन्स की 12·3 प्रतिशत बढ़ी है। जो एराइवल्स हैं वह 12·3 प्रतिशत मार्केट के अन्दर, मंडी के अन्दर बढ़े और उसके साथ-साथ मान्यवर, जो मंडी शुल्क है, इस अवधि में, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत का बढ़ोत्तरी हुई है। तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मंडी समितियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है और वह बधाई की पात्र हैं।

उद्यान विभाग के बारे में भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के अन्दर फल, सब्जी और मसाले, इसका भी उत्पादन हो रहा है और इस बात का प्रयास हो रहा है कि हम आलू का भी उत्पादन बढ़ायें, सब्जियों को, मसालों को भी बढ़ायें। मसाले तो हमको अपने इस्तेमाल के लिए दूसरे प्रदेशों से मंगाने पड़ते हैं। इस दिशा में पूर्वी अंचल में, बुन्देलखण्ड में और पहाड़ों में बहुत विशेष योजनायें चलायी जा रही हैं ताकि मसालों का उत्पादन हमारे प्रदेश के अन्दर बढ़ सके। जहां तक सब्जी उत्पादन का प्रश्न है, हमारे यहां लगभग 64 लाख मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है और हमारी सब्जी दूसरे प्रदेशों में भी जाती है। बम्बई में और कलकत्ता भी जाती है। विभाग का प्रयास है कि जो हमारे बड़े-बड़े

[श्री बलराम सिंह यादव--]

शहर हैं, हमारे प्रदेश से लगे हुए, हम उनके अड़ोस-पड़ोस के क्षेत्रों में भी सब्जी का उत्पादन बढ़ायें ताकि उनकी खपत उन बड़े-बड़े शहरों में हो सके और जो हमारे छोटे और सीमान्त किसान हैं और उनके उद्यान और फल के काम हैं। मान्यवर, फल और सब्जियों का जो काम है, उसको छोटे किसान ही करते हैं, उनको इस तरह से फायदा होगा।

मान्यवर, आलू के बारे में निवेदन है कि जितना हमारे देश के अन्दर उत्पादन होता है उसका आधा हमारे प्रदेश में होता है। सम्पूर्ण देश में जितना आलू का उत्पादन होता है, उसका लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, कल इसी सदन में माननीय राज्य मंत्री जी ने 40 प्रतिशत कहा और आज आप 50 प्रतिशत कह रहे हैं।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, लगभग कह रहा हूं।

श्री मोहन सिंह--

मैंने सफाई के लिये पूछ लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने निश्चित कहा था और ये लगभग कह रहे हैं।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, लगभग 50 प्रतिशत आलू का उत्पादन हमारे यहां होता है। हमारा प्रयास है कि आलू को पैदा करने वाले किसानों को भी उचित मूल्य मिले। 78-79 में जब हमारे प्रदेश के अंदर 43.00 लाख क्विन्टल आलू का उत्पादन हुआ था तो हमारे भाई साहब की हुकूमत थी; किसानों के मसीहा की हुकूमत थी और उस समय आलू की क्या दुर्दशा हुई, सभी को मालूम है। मान्यवर, मैं फर्रुखाबाद के पास का रहने वाला हूं। हमारे जिले में काफी आलू पैदा होता है। लेकिन उस साल क्या स्थिति रही--जिन किसानों ने खेतों में आलू भरकर बोरे डाल दिये थे, उन्होंने बोरे ले लिये और आलू छोड़ दिया। क्योंकि बोरे की कीमत अधिक और आलू की कीमत कम थी। 8/10 रुपये क्विन्टल तक, मान्यवर, आलू बिका प्रदेश में उस समय।

श्री कुबेर भण्डारी--

खाद ज्यादा डाल दी होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री कुबेर भण्डारी और श्री हरिवंश सहाय आलू के बारे में कहें तो हम मान सकते हैं क्योंकि इनके इलाके में आलू बोया जाता है।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जब 43.00 लाख क्विन्टल आलू पैदा हुआ तो यह दुर्दशा हुई और इस वर्ष 47.00 लाख क्विन्टल आलू का उत्पादन प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के

इतिहास में इतना अधिक प्रोडक्शन आलू का नहीं हुआ । हमें इस बात की शंका थी, मान्यवर, कि पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाय । कहीं ऐसा न हो कि 7/8 रुपये क्विन्टल ही आलू का भाव किसानों को मिले । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से, हालांकि वे यहां नहीं हैं, कि उनके लगातार प्रयास से (केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से, केन्द्रीय रेल मंत्री से तीन-तीन बार उन्होंने मुलाकात की) हमें सफलता मिली । मैंने जब-जब पत्र लिखवाया, उन्होंने तुरन्त भेजा और मैं भी उन लोगों से कई बार मिला और लगातार अधिकारियों को लगा दिया कि किसी भी कीमत पर आलू का भाव कम नहीं करने दिया जायेगा । पी० सी० एफ० ने सहायता किया । सरकार ने फैसला लिया कि चाहे सरकार को कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न हो, 50 रुपये प्रति क्विन्टल से आलू की कीमत नीचे नहीं करने दी जायेगी और आज आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर 55 रुपये क्विन्टल से 80 रुपये क्विन्टल तक आलू का भाव है । तो मान्यवर, इस तरीके से हमने आलू के किसानों को भी राहत दिलाने की कोशिश की है । मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर शीतगृहों की कमी है । सिर्फ 15 लाख मी० टन आलू के भंडारण की शीतगृहों की क्षमता है । हमारा जो खुद का कंजप्शन है, लगभग 21-22 लाख मी० टन आलू की आवश्यकता हमको अपने प्रदेश में खाने और बीज के लिये होती है । तो शीतगृहों के बनाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं । 150 शीतगृह आने वाले कुछ वर्षों में हमारे प्रदेश के अन्दर वर्ल्ड बैंक की सहायता से सहकारिता विभाग की तरफ से हमने बनाने का फैसला लिया है । इससे 4 लाख मी० टन की क्षमता और बढ़ जायगी । इस तरह से 10 लाख मी० टन की क्षमता हम प्रदेश में सृजित कर रहे हैं । इसके साथ-साथ जो प्राइवेट लोग शीतगृह लगाते हैं वह भी लगा रहे हैं। आने वाले 2-3 वर्षों के अन्दर जो हमारी रिक्वायरमेंट शीतगृहों की है वह पूरी हो जायगी ।

मान्यवर, कहने को बहुत कुछ है मगर मैं चाहता हूं कि मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने रखूं और बाकी जो समय बचे वह हमारे माननीय सदस्यों को मिले। इसलिये मैं सिर्फ थोड़ी ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । काफी दिनों से इस प्रदेश में इस बात की चर्चा थी कि फसल बीमा शुरू हो। इस माननीय सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने प्रश्न भी उठाये और उनके बारे में जवाब दिया गया । मान्यवर, आपको यह सूचित करते हुये मुझे हर्ष है कि सरकार ने फसल बीमा लागू करने की योजना स्वीकार कर ली है और जनरल इंश्योरेंस कम्पनी ने 50 लाख रुपये एडवांस करने का भी वायदा कर दिया है ।

मान्यवर, जितनी भी यह उपलब्धियां इस प्रदेश में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो यह सरकार है उसने हासिल की हैं, यह उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। मान्यवर, इनके अनुरूप हमने फैसला लिया है कि यह वर्ष जो है वह किसान वर्ष के रूप में मनाया जायगा ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, इसलिये सरकार ने फैसला लिया है, एक किसान मित्र सेल स्थापित करने का । इसका कार्यालय खोल दिया गया और जितने भी कृषि से सम्बन्धित डिपार्टमेंट्स हैं उनसे यह सेल कोआर्डिनेट करेगी और किसानों को खाद, बीज,

[श्री बलराम सिंह यादव--]

बिजली, सिंचाई इत्यादि तमाम जो इनपुट्स हैं उनके बारे में कोआर्डिनेटेड इफर्ट्स करेगी ताकि किसानों को किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े ।

(समय दो बजे)

मान्यवर, दो शब्द पशुधन विभाग के बारे में भी आपकी सेवा में मैं प्रेषित करना चाहता हूं । हमारा किसान जो खेती के ऊपर निर्भर है, हम सब जानते हैं कि ज्याद से ज्यादा उसके पास 7-8 महीने का काम होता है और उसके बाद 4-5 महीने वह बेकार रहता है । यह पशुधन विकास विभाग जो है इसके जरिये से हम यदि उन्नत किस्म के पशु किसान को उपलब्ध करा सकें तो मैं यह समझता हूं कि वह अपने अतिरिक्त आय का साधन उससे पैदा कर सकता है । तो इस दिशा में विभिन्न योजनायें इस विभाग द्वारा चलाई जा रही है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में पशुओं की बहुत बड़ी संख्या है इसलिये पशु चिकित्सालयों का समुचित प्रबन्ध बहुत ही आवश्यक है । मान्यवर, मैं आपके मतलब की बात कहने जा रहा हूं और आपसे अनुरोध है कि आप उसको सुनें । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर शंकर प्रजनन, जिसको अंग्रेजी में क्रास ब्रीडिंग कहते हैं, उसका काम भी बहुत तेजी और खूबसूरती से चलाया जा रहा है । मान्यवर, शंकर प्रजनन का जो कार्यक्रम है हमारे पूरे प्रदेश में हमारे जो पशु चिकित्सालय हैं उनके जरिये हो रहा है । मान्यवर, इसके साथ ही साथ जो लिक्वेड सीमेन प्रोग्राम है उसको भी हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है और यह 2,711 केन्द्रों और उप केन्द्रों द्वारा तरल वीर्य की ब्रीडिंग का कार्य चलाया जा रहा है । इसके साथ ही साथ अति हिम वीर्य का प्रोग्राम भी चल रहा है इस प्रदेश में जिसके नतीजे अच्छे हैं और इसलिये हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में इसका और विस्तार किया जा सकेगा ताकि हमें अच्छे किस्म के दुधारु गाय और पशु उपलब्ध हो सकें ।

मान्यवर, इस वर्ष इस प्रदेश में 30 अतिरिक्त चिकित्सालय खोले गये हैं और आगे 1981-82 में 15 पशु चिकित्सालय पर्वतीय क्षेत्रों में और 30 पशु सेवा केन्द्र यहां स्थापित करने का सरकार ने फैसला किया है । इस प्रकार 1981-82 में 12 से 14 पशु चिकित्सालय तथा 2251 पशु सेवा केन्द्र प्रदेश में कार्यरत हो जायेंगे ।

मान्यवर, इस वर्ष हमारे प्रदेश में सूखे का प्रकोप तथा बाढ़ में अतिवृष्टि का बड़ा प्रकोप रहा । इससे पशुओं में कहीं-कहीं बीमारियां भी फैली हैं, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने सतर्कता और तत्परता से मान्यवर, तमाम बीमारियों को कन्ट्रोल किया । इस हेतु सरकार ने लगभग 135,175 लाख रुपये उपलब्ध कराये थे जिससे वैक्सीनेशन हुआ पूरे प्रदेश में । यह अतिरिक्त धनराशि थी और इससे पूरे प्रदेश के अन्दर अतिरिक्त दवाइयां उपलब्ध करायी गयीं ।

मान्यवर, एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि हमारे प्रदेश में जो खुरपका की बीमारी होती है इसकी वैक्सीन का जो मूल्य है उस पर लघु और सीमान्त किसानों को देने का फैसला लिया है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में हरित क्रान्ति की शुरुआत हो चुकी है और काफी हद तक मान्यवर, हमने इसमें सफलता भी प्राप्त की है । श्रीमन्, हमारे

संख्या 51--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग,--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्य. 99--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

प्रदेश में हरित क्रान्ति तो हो गयी हैं परन्तु मान्यवर, हमें श्वेतक्रान्ति भी लानी हैं और इस दशा में हमारा दुग्ध विकास केन्द्र कार्यरत हैं। जितने भी काम हुये हैं वह आपरेशन पलड वन में हुये हैं और अब हमारे प्रदेश में आपरेशन पलड टू आ रहा है। इसमें हमने 22 जिलों को छांटा है। यह बात सही है कि जितनी आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और दुग्ध विभाग के कार्यकलापों से मैं भी सन्तुष्ट नहीं हूं। तो जो आपरेशन पलड टू आ रहा हैं उसमें हमें इतना धन उपलब्ध होगा कि जो डेरीज हैं उनको और आगे लाया जाय और उनका और विकास किया जाय, दुग्ध विकास का सुदृढ़ीकरण किया जाय, यह सरकार का फैसला है।

मैं अब इस सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के जो भी सदस्य हैं, मैं चाहूंगा कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव दें और यदि विभाग के अन्दर कोई कमी हैं उसे वे स्पष्ट रूप से, खोल कर बतायें, जहां तक हो सकेगा मैं माननीय सदस्यों के सुझावों को कार्यान्वित करने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा, जयहिन्द।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने के उद्देश्य----विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--]

अनुदान संख्या 100--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विभाग) पूंजीगत परिव्यय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घट कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने क उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री ने जो बजट रखा है विभागीय नीतियों की आलोचना पर कुछ सुदृढ़ सुझाव दूंगा और यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन सुझावों को इस बजट में शामिल करें । कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक है जुताई, बीज, खाद और पानी, जो हमारे प्रदेश में केवल लघु और सीमान्त कृषि जातियां ही कर सकती हैं । इसके अतिरिक्त जो पांच एकड़ के ऊपर के किसान हैं, जिन लोगों ने ट्रैक्टर कर्जे पर बैंकों से लिए हैं उनको डीजल उपलब्ध नहीं है । तो आज इस प्रदेश के राज्य में किसानों को जुताई करने का भी मौका उपलब्ध नहीं है । एक माह में केवल 100 लीटर डीजल ट्रैक्टर को दिया जाता है जिससे कि जुताई होना दुर्लभ है और बात करते हैं, बखान करते हैं कृषि उत्पादन की । इसके बाद बात आती है बीज की । आज हमारे प्रदेश में बीज ऐक्ट का लागू करना असम्भव हो गया है । मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में सीड ऐक्ट को लागू किया जाय । आज प्रमाणित बीज के नाम पर, नकली बीज बाजार में उपलब्ध हैं, जिनकी आज तक कोई जांच नहीं होती । कई जगह लोग पकड़े गये हैं लेकिन वे ले-देकर छोड़ दिये जाते हैं । हमारे प्रदेश में कई कृषि विश्वविद्यालय हैं । वे बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं । परन्तु वहां भी व्यवस्था का इतना अभाव है कि उनके उत्पादन में कमी हुई है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सीड ऐक्ट को लागू करके बीज उत्पादन को बढ़ाया जाय । इसके बाद नम्बर सिंचाई का...

एक सदस्य--

सिंचाई का बजट नहीं है, कृषि का बजट है ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

जो कुछ भी है, सिंचाई का इसमें उल्लेख है । इसलिए मैं कह रहा हूं । मान्यवर, आज यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 33 वर्ष में 30 वर्ष सत्ता पक्ष का राज्य रहा परन्तु प्रदेश में केवल 30 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था हो पाई । आज प्रदेश में हमारे अधिकारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, सिंचाई के लिए मेरे विचार में सौ गुना हो चुकी है परन्तु सिंचाई की कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । कारण उसका यह रहा कि सिंचाई नहरों के माध्यम से जहां पर है वह कुदरती साधन से है और वहीं की जा सकती है जहां पर नदियां और दरिया उपलब्ध है । उनमें भी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं । जो खेत हेड पर होता है वह तो सींच लिया जाता है लेकिन जिसका खेत छोर पर होता है वह अपने खेत की सिंचाई नहीं कर पाता । सिंचाई

का दूसरा साधन किसानों के पास सहकारी राजकीय ट्यूबवेल हैं जो हमारे प्रदेश में लगभग तीन लाख के हैं और कई लाखों की तादाद में निजी ट्यूबवेल बिजली के हैं। बिजली के अभाव में पिछले वर्ष यह पता चला कि हमारा प्रदेश सिंचाई के अभाव में कितना पीछे है क्योंकि हमारे प्रदेश की उपज घट कर 40, 50 प्रतिशत रह गई। आज जो उत्पादन हो रहा है इसके लिए हमारे प्रदेश के ठेकेदार, सत्तापक्ष के लोग, इतरा रहे हैं। मुझे खेद है इस बात का कि यह केवल व्यवस्था के कारण नहीं है। यह केवल एक अच्छी वर्षा होने के कारण है कि फसल की उपज हुई है। इसमें इनका कोई श्रेय नहीं है। खैर, सिंचाई के नाम पर किसानों से रुपया तो वसूला जाता है, पानी देने के नाम पर, बिजली देने के नाम पर शून्य है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल सात घन्टे बिजली उपलब्ध है और उसका भी कोई समय निश्चित नहीं है। सात घन्टे बिजली में अगर यह समझा जाय कि सात बार ट्रिप होता है तो कोई शक नहीं है। सात बार ट्रिप होने पर किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है। वहीं कूदता रहता है कभी इधर, कभी उधर।

मैं सुझाव दूंगा कि उन पूंजीपतियों को बिजली जैसे कि हिन्डालको को 30-6-80 में सस्ती बिजली देने का प्राविधान था, उसको आज भी 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है 65 मेगवाट का इकरारनामा था परन्तु इमरजेन्सी के नाम पर 50 मेगवाट बिजली इन गरीब किसानों के खून से खींचकर बिरला और टाटा को दे दी गई। यह बड़े शर्म की बात है। सोचने की बात है कि कम से कम लगातार बिजली तो किसानों को दी जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कृषि उत्पादन को बढ़ाना है तो 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में दी जानी चाहिए। यह तो सिंचाई के बारे में मैंने कहा। दूसरी बात खाद के बारे में कहना चाहता हूं। जब से हमारे भाई सत्ता में आये तो उन्होंने आते ही एक इनाम किसानों को दिया और 33 प्रतिशत खाद के दाम बढ़ा दिये। किसान चूं नहीं कर सकते क्योंकि खाद के ऊपर सरकार का पूरा कंट्रोल है और उसके बावजूद भी किसानों को मिलावट वाली, हाथ के सिले हुये कट्टों में कम बढ़ती के कट्टों में भीगे हुए कट्टों में तथा बगैर तौल वाले कटटों में खाद दी गई। अगर किसान कहता है कि उनको तौल कर खाद दी जाय तो कुत्ते की तरह दुत्कार दिया जाता है कि लेना हो तो लो नहीं तो घर जाओ। माननीय, इस बात का उल्लेख हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने भी किया है लेकिन आज तक उसके बारे में कोई व्यवस्था की ही नहीं गई है। कृषि मंत्री जी ने उत्पादन की बात कही। किस तरह से उत्पादन बढ़ेगा, मैं चाहूंगा कि अन्त में जब वे अपना भाषण देंगे तो अवश्य इस बात का उल्लेख करेंगे। यह बात आपके द्वारा ही दी गई किताबों में है।

(व्यवधान)

कृषि सुरक्षा के बारे में बात कही गई। ब्लाक स्तर पर कृषि रक्षा केन्द्र खुले हुये हैं परन्तु वहां पर कृषि रक्षा के लिये जो मशीनें उपलब्ध हैं वे 80 प्रतिशत खराब हैं। जब कृषि रक्षा का समय आता है तो वहां न दवाई उपलब्ध होती है और न कोई मशीन ही उपलब्ध होती है और न वहां कोई कर्मचारी ही

[श्री बलवीर सिंह रामर--]

होता है । हमारे मंत्रि-मंडल को अपने ऐशो-आराम से फुरसत ही नहीं होती है वह कृषि की क्या सुरक्षा करे । जहां तक कृषि सुरक्षा के लिये ग्रान्ट और सब्सिडी आदि देने की बात है उसमें जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे उसे भ्रष्टाचार के अड्डा बनाकर उसे खा जाते हैं । उसमें साझेदारी मंत्रि-मंडल की भी हो सकती है । जहां तक कृषि यंत्रों की बात है, सरकार ने 20 प्रतिशत दाम बढ़ा दिये और आज कृषि उपकरणों के दाम पिछले वर्ष से ड्योढ़े हो गये । इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में कृषि यंत्रों पर भी 6 प्रतिशत का सेल्स-टैक्स लिया गया । हालांकि हमारा प्रदेश हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र से बहुत पीछे है फिर भी किसान को पीसा जा रहा है उसका खून चूसा जा रहा है और टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे हैं । यही नहीं मैं आपके दिनों की बात कर रहा हूं अगर इसमें कोई शक हो तो अपने विधायकों के भाषणों का आप अवलोकन कर लें और आपको मालूम हो जायेगा कि आपके विधायक भी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं ।

मान्यवर, यह बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे प्रदेश में ट्रैक्टर की खरीद पर 6 परसेंट सेल्स टैक्स लगता है जबकि हरियाणा और पंजाब में यह टैक्स केवल एक परसेंट है इस कारण से आज चोरी हो रही है और कम्पनी वाले चंडीगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली तथा अन्य राज्यों की बिलिंग करा रहे हैं जिससे हमें सेल्स टैक्स उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए मेरा अनुरोध है कि ट्रैक्टर पर अन्य प्रदेशों की तरह ही एक प्रतिशत सेल्स टैक्स कर दिया जाय । यही नहीं हमारे प्रदेश में जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है उसे 42 रु० प्रति हजार के हिसाब से भूमि गिरवी रखने के लिए स्टाम्प फीस देनी पड़ती है जो लगभग तीन हजार होती है इसके अलावा 5 हजार सेल्स टैक्स, 3 हजार रु० भूमि रहन के लिए, 6 हजार स्टाम्प ड्यूटी और फिर दो हजार से 10 हजार तक सरचार्ज के नाम पर किसान से टैक्स लिया जाता है और फिर उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं । मैं चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब की तरह 80 हजार तक ट्रैक्टर खरीद में स्टाम्प ड्यूटी से एक्जम्ट कर दिया जाय ।

यही नहीं किसान के हाथ पैर और मुंह बांध दिये जाते हैं । उसकी भूमि को रेहन किया जाता है, ट्रैक्टर को हाइपोथिकेट किया जाता है और फिर उससे दो-दो स्योरिटी ली जाती है । क्या कारण है कि किसान को तीन बार बांधा जाता है ? अगर कोई भी इंडस्टिलिस्ट कर्जा लेना चाहता है और उद्योगपति कर्जा लेना चाहता है तो उसकी मशीन केवल हाइपोथिकेट की जाती है और उस पर कोई स्टैम्पड्यूटी नहीं लगती है । इसी प्रकार अगर कोई बस, ट्रक या टैक्सी लेता है तो उसी चीज को हाइपोथिकेट करके उसके चार्ज लगते हैं । तो क्या कारण है कि किसान के हाथ तीन-तीन बार बांधे जाते हैं ? क्यों उस पर विश्वास नहीं करते हैं । मैंने जून में माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में चिट्ठी लिखी थी कि रिजर्वबैंक के डायरेक्सन के आधार पर दो स्पोरिटीज पर ट्रैक्टर दिया जाय । जो जबाब उन्होंने दिया वह बहुत ही शर्मनाक है । उन्होंने उत्तर दिया कि किसान की जमीन रेहन रखना जरूरी है । क्योंकि वह पैसा अदा नहीं करता है । तो इस बात पर विचार करना होगा कि किसान अदा क्यों नहीं करता है । उसका कारण है कि किसान के उत्पादन का मूल्य उसकी लागत के अनुसार आप नहीं देते हैं । आज समर्थन मूल्य की जो सिफारिश हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र को की है वह केवल 127 रु० है जबकि दूसरे प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 90--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

160 रु0 170 रु0 की मांग की है। आप अपनी पंतनगर यूनिवर्सिटी से या दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से तसदीक करा सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में कितनी लागत आती है। कम से कम 156 रु0 खर्च आता है। तो आपने 127 रु0 की सिफारिश कैसे की ? आप इस बात का स्पष्टीकरण अपने भाषण में करें अब मंडी समितियों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, वे अब भ्रष्टाचार का अड्डा है, बनाई गई हैं, जब से प्रदेश बना है और जब से मंडी समितियां बनी हैं।

(व्यवधान)

आप ढाई साल को रोते हैं, 30 साल को रोइये, जब से आप राज्य कर रहे हैं। आपको कहने का कतई अधिकार नहीं है। जगह-जगह बैरियर्स बनाये गये हैं और वहां पर मंडी शुल्क न लेकर घूस का पैसा लेकर ट्रकों को छोड़ दिया जाता है। मंडी समितियों का खर्च आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां जो त्रिपालें या चलनें खरीदे गये हैं या अन्य यन्त्र खरीदे गये हैं, वे सारे के सारे बाजार में आधे दम पर उपलब्ध हो सकते हैं। इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी मंत्री महोदय पर आती है, भले ही वह इंकार करें। पर इसकी जिम्मेदारी पूरे मंत्रिमंडल पर और कृषि मंत्री पर है।

(व्यवधान)

डिमांस्ट्रेशन के नाम पर बड़े-बड़े काश्तकारों के यहां यह डिमांस्ट्रेशन किये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि यह डिमांस्ट्रेशन जितने किये जाएं, केवल निर्बल वर्ग के काश्तकारों के यहां किये जाएं, तथा एक भी डिमांस्ट्रेशन किसी बड़े किसान के यहां न किया जाए। आज गन्ने की बात मंत्री जी ने की है, इसलिए मुझे भी कहना पड़ेगा। यदि यह गन्ने की बात नहीं करते, तो मैं भी उस पर न कहता। 10 सितम्बर को अपने भाषण में मैंने गन्ना मंत्री जी को यह सुझाव दिया था कि हमारे प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना बोने तथा पालने के लिए केवल छः सौ रुपया देने का प्राविधान है। अक्टूबर सोईंग चली गई, फरवरी सोइंग का समय चला गया। आज 6 माह बाद गन्ना सचिव और कमिश्नर जागे और उन्होंने इसके लिए 1 हजार रुपये का प्रविधान किया, लेकिन वह भी अभी तक गन्ना समितियों में पहुंचा नहीं है। जबकि यह डायरेक्टिव एक साल पूर्व से 1050 रुपया देने के हैं। इसके बाद मैंने मुख्य मंत्री जी से आज से दो माह पूर्व पत्र द्वारा यह मांग की थी कि चूंकि गन्ना किसान को गन्ना बोने और पालने में छब्बीस-साढ़े छब्बीस सौ रुपया प्रति एकड़ खर्च आता है, आपके द्वारा 15 सौ रुपया प्रति एकड़ ऋण दिये जाने की व्यवस्था को जानी चाहिए। कारण उसका यह रहा कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने साढ़े सात सौ, गेहूं हेतु और साढ़े सात सौ रुपया धान के लिए देने का प्राविधान किया है। इस कारण भी एक फसल को 15 सौ रुपये देने का प्राविधान अनिवार्य है।

अब गन्ना मूल्य की बात सामने आती है। 10 सितम्बर के भाषण में मैंने 29 रुपया क्वींटल की मांग की थी, वह मांग मैंने कांग्रेस के किदवाई कमीशन के निर्णय के आधार पर की थी कि जितने रुपये मन चीनी उतने आना मन गन्ना। यह फारमूला तोतिगत लागू कर दिया जाना चाहिए। आज माननीय मंत्री जी नें बताया बताया है कि गन्ने का दाम 28 रुपये तक प्रति क्विन्टल किसानों को मिल

[श्री बलवीर सिंह--]

रहे हैं । इसमें आपको श्रेय लेने की कोई बात नहीं है । यदि आपने शेशर चीनी पर लेवी न लगायी होती तो किसानों को अपने गन्ने का मूल्य 35 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता । आज हमारे कृषि मंत्री जी को यह घोषणा करनी चाहिए कि अगले वर्ष गन्ने का समर्थन मूल्य क्या देंगे क्योंकि आजकल उसकी बुआयी हो रही है ? लेकिन हमारा मंत्रिमंडल और हमारे कृषि मंत्री जी जो रहे हैं और इस बात की घोषणा नहीं कर रहे हैं कि अगले वर्ष क्या रेट होगा ? उसका कारण केवल यह है कि ये पूंजीपतियों से सांठ-गांठ करके ही गन्ने का समर्थन मूल्य तय करवायेंगे । तो अभी कैसे घोषणा करें ?

चावल का लक्ष्य वर्ष 1980-81 में 60 लाख टन दिखाया गया है परन्तु अगले वर्ष के बजट में उसका उत्पादन 62.00 लाख टन होने की बात इस प्रगति की पुस्तिका में दिखाया गया है । मेरे विचार में यदि हमारे कृषि मंत्री जी सजग होंगे तो मैं समझूंगा कि यह इस प्रदेश में 90.00 लाख टन पैदा हो सकता है । अगर हमारे कृषि मंत्री जी किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीजल और कम से कम 18 घंटे बिजली दिलाने का प्रबन्ध करा दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश के किसान 90 लाख टन तक चावल पैदा करने की क्षमता रखते हैं । यह केवल विभाग के अधिकारियों ने अपनी खाल बचाने के लिए 62.00 लाख टन का उत्पादन होने का लक्ष्य दिखाया है वरना इसको 90 लाख टन होना चाहिए था ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय सदस्य को प्रासंगिक विषय पर ही बोलना चाहिए ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

जहां तक ज्वार के उत्पादन का प्रश्न है वह वर्ष 1980-81 में 5 लाख टन दिखाया गया है, जबकि 0.10 लाख हेक्टेयर की बुआयी का लक्ष्य था । वर्ष 1981-82 में जब कि इसकी बुआयी 0.40 लाख हेक्टेयर में होगी तब भी इसका उत्पादन लक्ष्य केवल 5.00 लाख टन ही दिखाया गया है। उस हिसाब से तो 80 लाख टन होना चाहिए ।

जहां तक गेहूं की पैदावार का सम्बन्ध है इसका उत्पादन लक्ष्य वर्ष 1980-81 में 106 लाख टन था और अगले आने वाले वर्ष में यह 114.00 लाख टन दिखाया गया है । इसे भी बहुत कम रखा गया है । यह भी विभागीय अधिकारियों ने अपनी खाल बचाने के लिए रखा है ।

जहां तक सूखे राम की लानत है वह आज से 30 वर्षों के बाद भी बना हुई है । यह हमारे प्रदेश में 30 वर्षों के शासन से निकम्मेपन के कारण है ।

मैं यह चहूंगा कि जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में वहां के मुख्य मंत्रियों ने डीजल की व्यवस्था की है उसी प्रकार की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में भी की जाये यानी कि डीजल का एक स्टाक होना चाहिए और हर 10 किलोमीटर पर एक डीजल पम्प लगाया जाना चाहिए । (व्यवधान) दिल पर हाथ रखकर देखिये ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

दिल तो हमने आपके ऊपर लुटा दिया है ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

माननीय मंत्री जो ने आलू को बात कही, पर प्रदेश में कहीं भी आलू खरीद का सेन्टर नहीं खोला गया है । मंत्री जा कृपया बतायें कि अब तक कितना आलू खरीदा गया ह ? जहां तक आलू भन्डारण का प्रश्न है, शीतगृहों के मालिक आज 25 रुपये प्रति क्वीन्टल रेट को मांग कर रहे हैं । इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए ।

आज किसान जो आलू बेचने के लिए मंडी में लाता है उस पर 6 से लेकर 10 प्रतिशत को आढ़त लगायी जाती है । आपने आलू पर मंडी शुल्क तो लगाया है पर उसकी वसूली शून्य है । यह मंडियां भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं । मेरी मांग यह है कि आप आलू तथा अन्य सब्जियों पर से मंडी शुल्क बिलकुल हटा लें, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन आज करोड़ों रुपये के घाटे पर चल रह है और उसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला है । इसकी जांच की जानी चाहिए । जिस तरह की जांच हो रही है, वह शून्य है । यह कारपोरेशन जो कृषि यन्त्र तैयार करता है उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा रखी गयी है । इस कारपोरेशन को जिस मूल्य पर लोहे का कोटा दिया जाता है उसी मूल्य के आधार पर कृषि यंत्रों की कीमत भी फिक्स की जानी चाहिए । यह कारपोरेशन आज फेल हो चुका है और उसी कारण ट्रैक्टर असेम्बिल करने का कारखाना जो आपके यहां लगने वाला था वह हरियाणा चला गया है । आज आपकी सारी इन्डस्ट्री घाटे पर चल रही है ।

आपके प्रदेश में हार्टिकल्चर के नाम पर भी एक संस्था है जिसका नाम यू0 पी0 स्टेट हार्टिकल्चर एन्ड प्रोसेसिंग लि0 कारपोरेशन है । जितनी भी फैक्टरियां इनकी हैं, आज सारी की सारी तो नहीं, 90 प्रतिशत फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं और उसके अधिकारी और कर्मचारी दुरुपयोग करके अपना व्यवसाय करते हैं । मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

परम आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने कृषि बजट के ऊपर मुझे जो बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इस माननीय सदन के समक्ष बहुत ही संक्षिप्त में कुछ अपने विचार प्रकट करने का मैं धृष्टता कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

क्या मुझे बताना पड़ेगा कि धृष्टता कौन कर रहा है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा—]

मान्यवर, हमारे प्रदेश के लिए यह बारम्बार कहा जाता है कि 84 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और ग्रामों में रहती है और साथ ही साथ यह भी सूचना दी जाती है कि 50 प्रतिशत जो सरकार को आय होती है, वह इसी कृषकों के माध्यम से होती है । यह भी हमको बतलाया कि 232 लाख मीट्रिक टन इस वर्ष हमारे कृषि का उत्पादन का लक्ष्य है । लेकिन मान्यवर, कितने-कितने इसमें रास्ते में अड़चने आयेंगी, मैं बहुत मोटी चीज समझा रहा हूं, बारीकी में मैं नहीं जा सकता, जैसा कि मेरे विरोधी पक्ष के भाई जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे, कहीं पर सूखा, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं पर ओला पड़ जाता है, कहीं बिजली की कठिनाई, कहीं चोरी हो जाती है, कहीं खलिहान मे आग लग जाती है, यह सब परेशानियां होते हुए भी हमारी सरकार और हमारे कृषि मंत्री जी और कृषि विभाग इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि जो भी बजट रख रहे हैं और जो भी उन्होंने अनुमानित लक्ष्य के उत्पादन के आंकड़े बताये हैं, उसको पूर्ण करेंगे । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को और कृषि विभाग को बधाई का पात्र समझता हूं । जहां तक कटौती की बात की गयी है, वहां पर मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने और विरोधी पक्ष का एक ही दावा रहा है कि यह कृषकों की सरकार और कृषकों के समर्थक हैं । मान्यवर, कृषि समर्थन, हम मूल्य देख लें पिछली सरकार के समय के और इस समय के जो अभी मंत्री जी ने प्रस्तुत किये और विरोधी पक्ष ने प्रस्तुत किए । उन समर्थन मूल्यों को देखने के बाद और साथ ही साथ अगर दोनों पक्ष इस बात को कह रहे हैं कि हम कृषक समर्थक हैं, हम किसानों के समर्थक हैं । तो यह बात तो समझ में आती है कि कमी करने का बजट विरोधी पक्ष समर्थन करते हैं, अगर विरोधी पक्ष एक रुपया स्वीकृति के लिए कहते हैं, तो यह कहां तक कृषक समर्थक माने जायेंगे, यह मोटी सी बात है, इसको तो आम आदमी समझा दें ।

श्री ऊदल—

आपकी समझ में इस लिए नही आयेगी कि आपको संसदीय परम्परा का ज्ञान नही है । इसलिए आपकी समझ में यह बात नहीं आयेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऊदल जी, बात तो यह आपने ठीक कही, उनको तो ज्ञान नहीं है । आपने अपने ज्ञान का परिचय दिया ।

(शोर)

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मैं आपको दावत देता हूं । आइये हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर हमारा हाथ बटाइये । कृषकों को ऊपर उठाने में हमें सहयोग दीजिए । केवल टीका-टिप्पणी करने से ही किसानों को राहत नहीं मिलेगी । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक कृषि सेल की स्थापना की, जो 31 मार्च तक ही कार्यरत रहेगा । मैं माननीय कृषि मंत्री से एक प्रार्थना करूंगा कि इस सेल को प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाए जो हर जगह सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कार्यरत रहे तो बहुत से किसानों की समस्याएं इससे स्वतः हल हो जायेंगी । आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं । मैंने बहुत समय ले लिया इसके लिए क्षमा चाहता हूं ।

(शोर)

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग, पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास पूंजीगत-परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

हुस्न और इश्क एक साथ होंगे,
हश्र के रोज कहते हैं अनवर,
बात आती नहीं है कुछ समझ में कि
किस तरह से यह दो किनारे मिलेंगे

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अभी जो बात सदन के सामने आयी थी माननीय ऊदल जी ने कुछ संकेत जो किया था, संसदीय परम्परा के बारे में, आपके और से माननीय ऊदल जी के ऊपर एक टिप्पणी की गयी। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी थीं अगर आप अपने ही दल के लोगों के भाषण पहले पढ़ लिए होते तो शायद यह न कहते। वास्तविकता तो यह है कि कटौती प्रस्ताव हमेशा बहस को चलाने के लिए ही पेश किये जाते हैं, यदि इस पर कोई माननीय सदस्य किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करता है, तो वह नियम के विरुद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि चेयर की अनुमति ली जाय।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कृषि का सम्बन्ध तो जन-जीवन से है। कृषि पर हमारे पूरे प्रदेश की किस्मत निर्भर है और किस्मत को उजागर करने वाला देश और प्रदेश का किसान है। माननीय कृषि मंत्री ने अपने बजट भाषण को प्रस्तुत करते हुए यह बात कही कि कृषकों को उ का समर्थन उत्पादन मूल्य दिया जा रहा है। यहां यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सन् 1875 में कृषि विभाग की स्थापना हुयी, 106 साल हो गये। इस 106 सालों में हर साल अगर देखा जाए तो उत्पादन ठीक ही हुआ, उत्पादन में लगातार बढौत्तरी ही हुई है, किसानों को उसका समर्थन उत्पादन मूल्य मिल रहा है। इस तरह की घिसीपिटी बातें की जाती रही हैं हमेशा जनता का शासन हो कांग्रेस का शासन हो कोई शासन रहा हो, किसी शासन ने किसान की बदहाली के ऊपर आंसू नहीं बहाये अगर सोचा होता किसानों के बारे में तो इस पर गौर किया होता कि उत्पादन लागत कितनी लगती है, खाद, बीज पानी तथा किसान का खुद का श्रम लगता है, जिस खेत पर खून और पसीना लगाकर उत्पादन करता है उस खेत की उर्वरा शक्ति कितनी कम होती है। इस सब को जोड़ने से बाद उसके उत्पादन का मूल्य तय किया होता लेकिन किसी भी शासन ने किसानों की दशा को सुधारने का प्रयास नहीं किया। अगर किसी ने किया होता तो वह किसानों के असली हमदर्द कहे जाते। मान्यवर, उद्योगपतियों के यहां मिलों में जो माल तैयार होता है उसमें मशीन की घिसाई और मुनाफा जोड़ दिया जाता है लेकिन किसान के उत्पादन तक का सही मूल्य नहीं दिया जाता है। किसानों के उसके उत्पादन का मूल्य नहीं दिया गया है।

[श्री राम आसरे वर्मा—]

मान्यवर, यह विभाग महत्वपूर्ण विभाग है जैसा मैंने बताया 106 साल हो गये लेकिन इस विभाग की महत्व को नजरअन्दाज किया गया और यही कारण है कि इस विभाग को सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत लाकर रख दिया गया है। सामुदायिक विकास विभाग ऐसा विभाग है जो कई योजनायें चलाता है और सभी योजनाओं का केन्द्र बिन्दु है। इस प्रकार के विभाग के अन्तर्गत कृषि विभाग है। कृषि विभाग को एक ऐसे बहुधन्धी विभाग के अन्तर्गत कर देने के बाद प्रगति का लेखा जोखा पेश कर दिया जाय, यह बात समझ से परे है। हमारे यहां कृषि विभाग का सर्वेसर्वा ए० पी० सी० है। ए० पी० सी० तमाम योजनाओं के लिये तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। ए० पी० सी० को तकनीकी ज्ञान नहीं होता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि कृषि को आगे बढ़ाने के लिये नई-नई योजनायें सामने लायें। इसको कोई तकनीकी व्यक्ति कर सकता है गैर तकनीकी व्यक्ति नहीं कर सकता है। कृषि विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की भी इस पर बहुत बड़ी मांग रही है कि इसकी अनिवार्यता एवं महत्ता को देखते हुये, कृषि विभाग को तकनीकी घोषित किया जाय। शासन आज जो है या पहले भी जो रहा है इसकी अनिवार्यता को देखते हुये तकनीकी घोषित करने का निश्चय किया, विधान सभा के मंच से घोषणायें हो गई, कर्मचारियों ने आन्दोलन किया तो घोषणायें हो गई लेकिन शासनादेश वर्षों बीत जाने के बाद आज तक नहीं हुये। दूसरे प्रदेश है बिहार, महाराष्ट्र ने इसको तकनीकी घोषित कर दिया। केवल हमारे प्रदेश में नहीं घोषित किया जा रहा है। यह बहुत ही बदकिस्मती की बात है। यदि कृषि विभाग का अलग से अस्तित्व नहीं कायम किया जाता तो इसे कृषि विभाग नहीं कहा जा सकता है। हम विधान सभा के अन्दर या बाहर चाहे जितनी डींग हांके।

मान्यवर, मैं इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो मन्डी समिति है। मन्डी समिति पर शासन की तरफ से लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन जो इससे राहत मिलनी चाहिये, मन्डी समिति की तरफ से किसानों का हित सम्बद्ध किया जाता है, हित निहित है, किन्तु इस विभाग की कार्य प्रणाली इस तरह की है कि किसानों का हित नहीं हो पा रहा है और मन्डी समिति के स्थल को बनाने के लिये दिया गया पैसा पड़ा है।

(समय 3 बजे)

लेकिन वह मंडी समितियों का स्थल आज तक नहीं बनाया जा सका। मेरे जिले हरदोई में माधोगंज मंडी है, पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन नींव तक नहीं पड़ी। इस तरह की किसानों के हित की समस्यायें अगर फाइलों में पड़ी रहेंगी तो किसानों के हित भी फाइलों में बन्द रहेंगे और मंत्रीगण भी हमेशा उन फाइलों को खोल कर हितों का बयान करते रहेंगे। कृषि विभाग की योजना है अगर वह गांव से लेकर राजधानी तक एक संगठन के रूप में एक ढांचे के रूप में नहीं खड़ी की जाती है तो किसानों का हित इस संगठन से होने वाला नहीं है। हम लोग चाहे जितनी भी बातें किसानों के हित के लिये करें। मेरा यह सुझाव है कि इस विभाग की सेवा को तकनीकी घोषित किया जाय। इसकी स्वतंत्रत इकाई कायम की जाय। माननीय मंत्री जी ने दलहन तिलहन का अपने बजट में जिक्र किया, दलहन व तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य युनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेल कायम करने से नहीं होगा, बल्कि जिस तरह से सामुदायिक विकास के अन्तर्गत

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 53--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन अनुदान, संख्या 60--दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग, पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्वय, अनदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

ग्राम सेवक कार्य करता है ग्राम लेविल पर उसी तरह से कृषि कार्यकर्ता गांव-गांव में बैठाने होंगे और दलहन व तिलहन की रूपरेखा उनके सामने रखनी होगी। अगर गांव का इकाई मान कर इस दिशा में प्रयत्न किया जायेगा तभी दलहन व तिलहन का उत्पादन बढ़ सकेगा।

एक निवेदन मुझे यह करना होगा कि इस विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ जिस तरह का भेद भाव बरता जाता है वह किसी से छिपा नहीं है। हाल की घटना है: क्लास टू मे 50 प्रतिशत वैधानिक पदोन्नति से अधिकारी आते हैं और 50 प्रतिशत सीधे पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं। जो लोग 20, 22 साल से विभाग में सेवारत हैं और पदोन्नति से क्लास टू में आये उनको क्लास वन में पदोन्नति न दे कर केवल उनको ही दी गयी जो डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीन से आये थे। तो यह भेदभाव की बात है। विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को ज्यादा अनुभव है किसान की समस्या से वे ज्यादा अवगत हैं। मेरा यह सुझाव है कि विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ किसी तरह का भेदभाव न बरता जाय, इस विभाग को तकनीकी घोषित किया जाय, इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया जाय, दलहन व तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक गांव की एक इकाई के रूप में माना जाय। इन सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, यह बात अपनी जगह सही है कि 84 प्रतिशत जनता गांव से सम्बन्धित है 50 प्रतिशत कृषि से ही आय का स्रोत है और 74 प्रतिशत खेती से सम्बन्धित मजदूर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जनता दल के जो हमारे भाई कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं वह ठीक ही रख रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा और बतलाऊंगा कि इस कृषि जगत में किसान के लिये क्या हुआ 1 कृषि में 30 प्रतिशत उत्पादन घटा है। और 30% उत्पादन के घटने से सन् 71.72 से सन् 77 तक जो आर्थिक स्थिति है वह 53.11 करोड़ रुपये से घटकर 43.00 करोड़ रुपये रह गयी।

एक सदस्य--

उत्पादन कैसे घटा? किस चीज का घटा?

श्री सोमांश प्रकाश--

उसको भी बता रहा हूं। गन्ने का उत्पादन 18 प्रतिशत आपने गिराया है। चावल का उत्पादन 35% और गेहूं के उत्पादन में 17% कमी हुयी है आपके समय में। उसका कारण क्या हुआ? केवल यही नहीं कि वर्षा बल्कि आपके समर्थन मूल्य की पालसी गलत थी। इस तरह से गेहूं, चावल, गन्ना और आलू किसी भी चीज का भाव अच्छा नहीं मिला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सोमांश प्रकाश--

अभी एक भाई कह रहे थे कि प्रकृति ने साथ नहीं दिया । तो यह आपके कार्य थे आज प्रकृति साथ दे रही है क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी के फार्म अच्छे हैं । मान्यवर, पहले कहा जाता था कि-यथा राजा तथा प्रजा । अब राजा तो कोई नहीं है, लेकिन जिस शासन के कर्म अच्छे होंगे, वैसी ही प्रकृति साथ देगी । वही बात आज हमारे सामने है । कितना गेहूं, चावल और सारे उत्पादन आपके जमाने में गिरे और कितनी आय घटी, यह आपके सामने रखा । लेकिन आज जो समर्थन मूल्य ज्यादा किसानों को मिल रहा है, उसी के कारण ज्यादा उत्पादन बढ़ रहा है और उसी कारण हमारे मंत्री जी ने 60 लाख टन चावल, 106 लाख टन गेहू का बात रखी है और 47% आलू के बारे में कहा कि उत्पादन बढ़ रहा है । उसका कारण है कि किसानों को समर्थन मूल्य ठीक मिला है ।

खाद के कन्जेपशन की बात कही गयी । खाद का कन्जेम्शन कहां से करते । किसानों की तो कमर ही टूट गयी थी । वे खाद डालते या अपने बच्चों को पालते आप के लिये 28 रुपये की बात कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि गन्ने का भाव 26 रुपया इस समय पश्चिमी क्षेत्रों में मिलें दे रही है और 30 रुपया गन्ने का भाव ऋशर दे रहे हैं-किसान को । तो ये भाव किसानों को आज मिल रहे हैं तो खाद की कीमत अगर बढ़ायी, तो उतना ही हमने फसलों की कीमत बढ़ा दी ।

एक सदस्य ।

आने वाले समय में क्या होगा ?

श्री सोमांश प्रकाश--

जब समय आयेगा, तो आने वाले समय की भी बात करेंगे ।

एक सदस्य--

गन्ने की कीमत से इसका क्या मतलब ?

श्री सोमांश प्रकाश--

क्योंकि आप गन्ने के बारे में बात कर रहे थे । मैंने आंकड़े इसलिये प्रस्तुत किये कि आपने क्या कर्म किये और आज हमने कृषि उत्पादन की बढ़ाने के लिये किस तरह से उत्पादन को बढ़ाया है । यह ध्यान रखने की बात है, मान्यवर, कि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक किसी भी तरह से महगायी नहीं घट सकती है, जब आबादी बढ़ती जा रही है तो मंहगायी घटाने का एक ही तरीका है कि उत्पादन पर जोर दें । इसलिये मैं अपने सभी माननीय साथियों का आवाहन करूंगा कि हम सभी मिलकर इस बात पर जोर लगायें इस तरह से देश और प्रदेश का उत्पादन बढ़ायें । फिर आर्टीफेटकली मंहगायी घट जायेगी ।

एक सदस्य--

डीजल की भी तो समस्या है ?

श्री सोमांश प्रकाश--

डीजल की समस्या है । क्योंकि हम उसको विदेश से मंगाते है । खाद के बारे में भी कहा । मान्यवर, इस वर्ष कृषि विभाग द्वारा खाद का वितरण सही तरीके से हुआ । जितनी खाद थी, पिछले साल के मूकाबिले सही तरीके से

संख्या 52--कृषि, अनुदान संख्या 58--औद्योगिक विकास, अनुदान संख्या 59--पशुधन, अनुदान संख्या 60--दुग्धशाला विभाग, अनुदान संख्या 94--कृषि विकास,-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--दुग्धशाला विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124-पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

वितरित हुयी है और सब्सीडी भी किसानों को मिली है। यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि सब्सीडी नहीं मिली। कृषि विभाग द्वारा सब्सीडी सही तरीके से किसानों को दी गयी है। लघु और सीमांत किसानों को सब्सीडी मिली है। कहने के लिये हो सकता है। मैं अधिकारिओं की बात नहीं करता। उनकी वकालत नहीं करता कहीं गल्ती भी हुयी हो सकती है। लेकिन पहले, के मुकाबिले सब्सीडी सही तरीके से दी गयी है।

एक सदस्य-

बस्ती में गोदाम पकड़ा गया।

श्री सोमांश प्रकाश--

उसके बारे म मंत्रीजी ने कहा। सुझावों के संबंध में में सबसे पहले बीज की बात पर आता हूं। बीज को मैं प्रथम मानता हूं। बीज के बारे मे मेरा निवेदन है कि तीन-चार साल से हमा6 किसानों के पास बीज की ऐसी कोई नयी किस्म नहीं आयी जिसको हम उत्पादन बढ़ाने में सहयोगी समझ सकें। हमारा निवेदन है कि अच्छे से अच्छा, प्रगतिशील बीज हम किसानों को दें जिससे उत्पादन बढ़े। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सीड कारपोपेशन इस समय एक बनिये की दूकान की तरह हो गया है और सीड कारपोरेशन का जो ध्येय है वह केवल लाभ की ओर ध्यान करता है। मेरा सुझाव है कि सीड कारपोरेशन पर अंकुश लगाया जाय ताकि बीज किसानों को मिलसके वरना जो छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं जब तक प्रगतिशील बीज उनके पास नहीं पंहुचेंगे। तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वह विशेष ध्यान रखें और उत्तम बीज किसानों को सही कीमत पर उपलब्ध करायें।

मान्यवर, जहां तक प्लांट प्रोटेक्शन की बात है, इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह ऐसा विभाग है जिससे हम कृषि की रक्षा कर सकते हैं। इस विभाग से अभी तक प्रभावकारी कार्य नहीं हो पा रहा है। मेरा सुझाव है कि हवाई जहाज द्वारा अगर हम फसलों पर स्प्रे करायें तो इससे बहुत लाभ किसानों को होगा। जो छोटे किसान हैं वह इसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाये हैं। चाहे इसको रैवेन्यू विभाग वहन करे या अन्य विभाग लेकिन हवाई जहाज द्वारा स्प्रे कराने की व्यवस्था करायें। मेरे पास सुझाव तो बहुत है लेकिन लाल बस्ती जल रही है, मेरी मजबूरी है, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री जनोदन प्रसाद ओझा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये और कृषि मंत्री जी ने जो प्रस्ताव अपना रखा है बजट का उसका घोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय कृषि मंत्री जी का भाषण, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी नजाकत क्रांतिकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

लगी । लेकिन जब तक यह यह क्रांति खेत तक, गांव तक नहीं पंहुचेगी तब तक इस क्रांति का कुछ मतलब नहीं है मैं समझता हूं कि उनकी क्रांति का उदघोष नौकर शाही प्रति क्रांति में न बदल दे । अब तक इस विभाग का इतिहास रहा है कि सरकार चाहे इधर की हो या उधार की हो, मैं व्यक्तिगत इस राय का हूं कि जो माननीय सदस्य यहां चुनकर आये हैं उनके मन में किसानों के प्रति हमदर्दी है । हमें हमदर्दी होनी चाहिये इस प्रदेश की 85 फीसदी जनता के साथ जिसका सम्बंध खेती से है ।

अभी रोना रोया गया जनता सरकार का, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । इसके लिये मैं चाहूंगा कि बहस हो जाय कि कितने प्रतिशत मूल्य हमने दिलाया, जनता सरकार ने दिलाया और उस समय कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या थी । खाद, डीजन, बिजली और दूसरे इंपली मेंट के क्या भाव थे और आज कितना मूल्य आप दे रहे हैं और जो कास्ट आफ प्रोडक्शन ट्रस है उसमें जो बढ़ोत्तरी हुयी है वह कितनी है । आज कृषि में लगने वाले इंपलीमेंट्स के क्या दाम हैं । खाद, बीज आदि चीजों के क्या दाम हैं । मैं समझता हूं कि अगर इस पर खुली बहस हो जाय तो इधर के लोग जीतेंगे और उधार के लोग हारेंगे ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

पहले 70 रुपये बोरी यूरिया मिलती थी और आज 150 रुपये बोरी यूरिया मिल रही है । दिल्ली में जो बैठे हैं जिनकी प्रेरणा से आप यहां बैठे हैं जब पिछली दफे खाद के दाम बढ़ाये गये तो इस प्रदेश में गोदामों में करोड़ों रुपयों की खाद पड़ी थी । इंदिरा जी की पूंजीपतियों की साजिश से उनकी हिम्मत नहीं हुयी कि पुराना जो स्टाक था उसको पुराने रेट पर बिकवाया जाय । इस संबंध में मैंने कई बार सवाल भी उठाया है लेकिन । कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला जिसका नतीजा है कि इस प्रदेश का 50 करोड़ रुपया चाहे एपेक्स बाडी हों या प्राइवेट डीलर्स हों उनकी सब की जेबों में चला गया और फिर भी आप कहते हैं कि किसानों के हम हमदर्द हैं । 75 रुपये की यूरिया खाद 150 रुपये में बेची जा रही है । इसलिए हमारी मांग है कि प्राइवेट को छोड़ें लेकिन जो एपेक्स बाडी जैसे एग्रो कारपोरेशन या अन्य संस्थायें जो हैं उन्होंने किस रेट पर खाद बेचा है और वह मारजिनल मनी कहां गयी, इसका जवाब मन्त्री जी को देना चाहिये । बेईमानी इधर और उधर के करने वाले बिल्ली में बेईमानी करने वाले लोग बेईमानी करें लेकिन किसानों के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिये, यह आश्वासन मैं सदन में आपसे लेना चाहता हूं ।

मान्यवर, जहां तक आप के विभाग का संबंध है विभाग की जो स्थिति चल रही है कतई इससे सुधार होने वाला नहीं है । आपके सबसे बड़े विभाग का अधिकारी ए0 पी0 सी0 कहने को है जो आई0 ए0 एस0 है । सिद्धान्त की बात है कि आई0 ए0 एस0 अधिकारी सब काम कैसे कर सकता है जैसे खेती में कहां, कब और किस हिसाब से खाद पानी दिया जाना चाहिये और फसल कब बोई जानी चाहिये इसकी जानकारी आई0 ए0 एस0 को कैसे हो सकती है । वह समाज में प्रशासनिक और दूसरे काम तो कर सकता है लेकिन निश्चित रूप से कृषि विभाग जो टेक्निकल विभाग है उसके संबंध में मन्त्री जी से मांग करता हूं, वायदा तो आपने पहले किया था, पहले की सरकार ने भी किया था लेकिन उसका पालन नहीं हुआ, इसलिए जब तक कृषि विभाग को टेक्निकल विभाग आप घोषित नहीं करते हैं जैसे कि हेल्थ विभाग, पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई विभाग हैं

वैसे ही कृषि विभाग को भी जब तक आप टेक्निकल विभाग घोषित नहीं करते हैं तब तक किसानों के जीवन में बुनियादी परिवर्तन आवेगा इसको मैं नहीं मानता हूं । इसलिए मन्त्री जी इस कृषि विभाग को आप टेक्निकल विभाग घोषित करें । समाज में परिवर्तन होते जा रहे हैं, दूसरे देश कहां के कहां पहुंच गये हैं जापान कहां चला गया है । इसलिए इस प्रदेश के किसानों को नई रोशनी यदि आप देना चाहते हैं तो जो टेक्निकल ज्ञान है उसके हिसाब से इस विभाग को टेक्निकल विभाग घोषित करें और ब्लाक में बैठे ग्राम सेवक जो कृषि से हाई स्कूल या इंटर पास लड़के से हमें ज्यादा मदद मिल सकेगी अपेक्षा उन आई० ए० एस० अधिकारियों से । इसलिए जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवेल से ब्लाक लेवेल तक आप नई श्रृंखला नहीं बनायेंगे तब तक इस प्रदेश का कल्याण नहीं होगा । इसके साथ ही साथ सिंगिल एडमिनिस्ट्रेशन सेट अप की जो स्कीम है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और रिजर्व बैंक आफ इंडिया दोनों 75 प्रतिशत कान्ट्रीब्यूट करने को तैयार हैं लेकिन हम वह अनुदान नहीं लेना चाहते हैं, यह क्यों ? नौकरशाही का आई० ए० एस० और पी० सी० एस० का मामला है । 75 फीसदी पैसा जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हमको दे रही है उसको सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप के लिए टी० एन० वी० हम लागू कर देंगे, सारा पैसा वर्ल्ड बैंक देगा, सरकार पर उसका बर्डन नहीं पड़ेगा और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक नया चैनल हम तैयार करेंगे । सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप जो है इसे आप लागू करिये ।

गन्ने के लिए आपने क्या किया दाम बढ़ा दिये और 22 तथा 23 रुपये क्विन्टल कर दिया । यह आपने नहीं किया । यदि आपने क्शर पर लेवी न लगायी होती किसान विरोधी नीति न अपनाई होती यह किसान विरोधी जो आपकी नीति है जब आपने देखा कि किसानों का पैसा बारगैनिंग पावर को मिल गया, जो गन्ना है उससे खांडसारी बनाने जा रहे हैं, तो खांडसारी बन्द कर दी, किसान मजबूर हो गया गन्ना मिल मालिकों को देने के लिये । गन्ना किसान ने अपनी शक्ति के आधार पर यह दाम प्राप्त किये हैं, बारगैनिंग न करता तो यह दाम हरगिज न मिलते । आपने जो 12 रुपये किलो चीनी दिल्ली में बिकवाया है उसी को देख कर उसने गन्ने की कीमत ली है । जनता सरकार के समय 65 रुपये एक्स गो डाउन था जो अब 635 रुपये है । 14 रुपये 25 पैसे के दाम गन्ना बिका जो अब 22 और 23 रुपये के दाम हो गया है ।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता था मन्डी समितियों के संबंध में । मन्डी समितियों की स्कीम बड़ी अच्छी है । मैं चाहता हूं कि इसको मजबूती से लागू किया जाय । मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी किसानों के हमदर्द हैं, वो तो आपके साथ फंस गये हैं । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक प्रिन्सिपल हैं हमारे यहां गोरखपुर में, उन पर चार्जेज लगे, उस पर माननीय मन्त्री जी का जवाब आया कि विभागीय जांच हो रही है । जबकि मामला विजिलेन्स को चला गया । ऐसे ही एक सज्जन के भतीजे का एडमीशन का मामला था, उसके 58 प्रतिशत अंक थे, किसी तरह एडमीशन करवा लिया और वहीं पर पिछड़े वर्ग के एक बच्चे के जिसके अंक 62 प्रतिशत थे उसका एडमीशन नहीं हो पाया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

शिकायत हुई, जांच कराई गयी, बस उसका ट्रान्सफर कर दिया गया। यहां सदन में प्रश्न हुआ तो जवाब आया कि जनहित में ऐसा किया गया और 53 और 66 प्रतिशत की बात पीछे रह गयी। तो यह जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं आपके साथ उनके घेरे में आप फंसे हुए हैं, उनके निर्देश पर आप शासन करेंगे, तब तक कुछ भला नहीं होगा। आप अपना स्वतंत्र निर्णय लें। आप अपना स्वतंत्र निर्णय ले कर ही आप असुविधा को दूर कर सकते हैं।

हर साल पचास करोड़ रुपये का टर्न ओवर होता है। एक हमारे यहां के डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर थे गोरखपुर में, उनके खिलाफ चार्जेज लगे, उनको ट्रान्सफर कर दिया गया, आडिट हुआ, तीन लख की कमी पायी गयी। ऐसे ही आत्मा राम, भूत पूर्व कृषि आफिसर थे। उनके खिलाफ भी शिकायतें आयीं। मंत्री जी ने यहां पर आश्वासन दिया कि विभागीय लोग मामले की जांच कर रहे हैं। विभागीय लोगों से जवाब तलब हुए, उसका जिक्र नहीं बस ट्रान्सफर कर दिया गया, पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई। एक बी0 जी0 आई0, गोरखपुर ने साढ़े 19 लाख रुपये खा गये, उसका क्या किया? बस सस्पेन्ड कर दिया यद्यपि सरकार ने स्वीकार किया कि वे साढ़े 19 लाख रुपये खा गया है। तो हम यह मानते हैं कि इस प्रकार से रुपये का अपव्यय हुआ है।

इस प्रकार के अपव्यय को हमारी जनता कभी बरदाश्त नहीं करेगी इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि जो किसानों के खून और पसीने की कमाई है उसका एक-एक पैसा सही दिशा में खर्च हो, उसके एक भी पैसे का दुरुपयोग न हो। जो यह सदन आपको पैसा देने जा रहा है यदि उसका अपव्यय हुआ, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ तो इस देश की इस प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही विरोधी दल के हमारे भाई ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

माननीय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का मौका दिया। कृषि मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि बजट का मैं समर्थन करता हूं और उधर से रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आज हमारे कृषि मंत्री का बजट भाषण हुआ इससे यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार की नीयत है और मन है किसानों का भला करने का और प्रदेश के किसान निश्चित रूप से इस कार्यकाल में लाभान्वित होंगे। जैसा कि कृषि मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि आलू का दम नीचे न गिरे इसके लिए हमारे मुख्य मन्त्री ने कई बार केन्द्रीय कृषि मन्त्री और रेल मंत्री से सम्बन्ध स्थापित किया जिससे कि आलू की कीमत नीचे न गिर सके। ऐसी ही स्थिति धान के बारे में भी है। किसानों को धान उत्पादन का लागत का अच्छा मूल्य मिल गया। 140 रुपये प्रति क्विंटल तक धान की बिक्री हुई। यही नहीं उर्वरकों में फर्टिलाइजर्स में 33 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की छूट छोटे और सीमान्त किसानों को मिली। एक और सराहनीय कार्य हमारी सरकार ने किया है कि फसल का बीमा किया है जिससे किसानों को राहत मिलेगी। कृषि मंत्री जी ने यह भी बताया कि आटो ट्रैक्टर्स पर 33 प्रतिशत की छूट देंगे। इन सब बातों से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि सरकार का मन है और नियत है और निश्चित रूप से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी सरकार कृत संकल्प है इसके लिए कि किसानों का हित हो, किसानों का उत्थान हो। इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा खासकर अलीगढ जिले के बारे में। इसमें कोई दो राय नहीं कि खेती का काम तकनीकी है खोज का है, विज्ञान का है, अनुसंधान का है, इसमें यदि आप आई० ए० एस० लोगों को बढ़ायेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसका उदाहरण मेरा जनपद स्वयं है। अलीगढ़ में कृषि सघन योजना का कार्य चलाया गया है। वहां पर प्रोजक्ट आफिसर, परियोजना अधिकारी, सी० डी० ओ० आदि नियुक्त हैं। मैंने देखा कि वहां पर कार्य में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। वहां पर लोग यह महसूस कर रहे हैं कि एक चीफ डेवलपमेंट आफिसर वहां पर नियुक्त करने से विभाग के कार्य में बाधायें पड़ रही हैं। अलीगढ़ में कृषि कार्य जिस गति से पहले चल रहा था वैसे नहीं चल रहा है। वहां का वातावरण और दूषित हो गया है। कृषि विभाग में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों का निश्चित रूप से मनोबल गिरा होगा। मैं अपनी सरकार से सबल शब्दों में यह प्रार्थना करता हूं कि आई० ए० एस० आफिसर को अगर अधिक इन्वाल्वमेंट किया गया तो कृषि किसानों का जो उत्थान करना चाहते हैं, नहीं कर पायेंगे। आई० ए० एस० आफिसर कैसे यह बता सकता है कि कब पानी देना है, कब बीज बोना है जब कि उसको इस बात का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। एक बात और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों का मिलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आधुनिक मशीनों को किसानों के बीच में पहुंचायें जिससे कि कम से कम श्रम की आवश्यकता हो। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर की कहीं पर पकड़ होती है तो उसमें शिकायत पाई जाती है। मेरा यह भी अनुरोध है कि लखनऊ डिवीजन में, हर डिवीजन में एक प्रयोगशाला फर्टिलाइजर के लिए होनी चाहिए। इसी प्रकार कीट नाशक दवाइयों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला होनी चाहिए।

हम काफी मात्रा में अपने किसानों को प्रामाणिक, उन्नतिशील बीज दे रहे हैं लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मैं अपने किसानों को और पर्याप्त मात्रा में उन्नतिशील और प्रामाणिक बीज दे सकें तो और उत्तम होगा। हम देखते हैं कि बीज लेने के लिए बहुत ज्यादा कीमत किसानों को चुकानी पड़ती है।

मण्डी समिति के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मण्डी समितियां बनाने में लाखों रुपया लगा है लेकिन व्यापारी वर्ग उन मन्डी स्थलों में नहीं जा रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन मन्डी स्थलों में उन व्यापारियों को पहुंचना चाहिए जो अभी तक नहीं पहुंचे। हमारें जनपद अलीगढ़ में खाद मन्डी समिति है। उसको बने दो वर्ष हो गये हैं। अभी तक वहां कोई व्यापारी नहीं पहुंचा है।

बीहड़, ऊसर सुधार योजना के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था। कोई खाका योजना बना कर प्रस्तुत अभी नहीं की गई है। ऐसा लगता है और इसमें दो राय नहीं है कि ऊसर भूमि को इस योजना के अन्तर्गत उपजाऊ बनाय

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--]

जा सकता है । इसकी एक व्यापक योजना बनाया जाना चाहिए । प्लान्ड वे में काम होना चाहिए ।

इस मौके पर यह भी मांग करूंगा कि जो हमारा लागत का मूल्य किसानों का आता है जिस प्रकार आलू उत्पादन में किसानों को राहत दी हमारी सरकार ने, गन्ने के उत्पादन में राहत दी, अच्छा मूल्य मिला, उसी प्रकार गेहूं उत्पादन में भी राहत दी जाय । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम 145, 146 रुपये प्रति कुन्तल दाम दे सके तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत ही लागत मूल्य दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं । उधर से हमारे वर्मा जी ने यह कहा कि समर्थन मूल्य ठीक नहीं मिल रहा है, कुछ और विरोधी साथियों ने भी यह बात कही । मैं निःसंकोच रूप से कहना चाहता हूं कि जब आप इधर बैठे तो गन्ने की हालत क्या हो गई थी, गेहूं की हालत क्या हो गई थी, क्या कीमत आप ने दी थी, हम जानते हैं । हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा समर्थन मूल्य दिया है और आगे भी हमें यह आशा है कि अच्छा मूल्य गेहूं का दिलायेंगे ।

एक बार फिर मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, अभी एक रुपये कटौती के बारे में चर्चा हुई । मुझे एक बात याद आ गई । गांव में किसी की रीति, नीति और किसी की क्षमता को जब कन्डेम करना होता है लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति सत्तू के लिए महंगा है । कटौती के प्रस्ताव में बजट घटाकर एक रुपये किये जाने की परम्परा इसी अभिप्राय से बनी है । मेरी समझ से शासन की नीति के लिए एक रुपया भी महंगा है । अब जरा देखें कि एक रुपये में अगर सत्तू खरीदा जाय तो एक भूखे मनुष्य की क्षुधा शांत हो सकती है, इसे किसान पैदा करता है और वही चीनी का मिष्ठान बनता है जो चीनी मिल मालिकों के हाथ में आती है तो एक रुपये में किसान दो ठो मिठाई भी प्राप्त नहीं कर सकता है । यह स्थिति पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल पर है ।

जनता शासन के काल में और आज जो मूल्य हैं उनका अवलोकन करें । दोनों की अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आप बहुत पीछे रह जायेंगे । कहने से नहीं चलता है । वस्तु स्थिति यह है कि किसानों के अतिरिक्त जितन भी माल पैदा किया जाता है देश में सन् 1967 से आज तक आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो दुगुनी, ढाई गुनी कीमतों में बढ़ोत्तरी हो गई है । सन् 1967 में 85 रुपया गेहूं का मूल्य प्रति कुन्तल सरकार ने दिलाया था और जो आप दिला रहे हैं उसके बनिस्बत बहुत ही अच्छा मूल्य था । इस बात को याद कीजिये । सैकड़ों रुपया यूरिया के दाम आपने बढ़ा दिये और उसके बाद भी किसानों के ऊपर कर लगाया । आप कहते हैं कि जनता पार्टी की नीतियां खराब रहीं । उत्पादन कम हुआ इसलिये चीनी का दाम बढ़ गया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी खुली चुनौती इस बात की है कि आप यह बतायें कि कौन सा ऐसा समय आया जब सत्तारूढ़ दल के शासन काल में चीनी का उत्पादन कम हुआ और उसका स्टाक नहीं रहा । बराबर रहा है और बीसियों वर्ष तक रहा है । हम कैसे इस बात को मानें और कौन इस बात को मान सकता है कि उत्पादन कम होने के नाते चीनी के भाव बढ़े हैं ।

मान्यवर, जनता हमको नुमाइन्दा चुनकर इसलिये भेजती है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक से जो ये अधिकारी हैं, आई० ए० एस० हैं उनके ऊपर शासन करने के लिये अंकुश उन पर रख सकें ।

लेकिन मान्यवर, होता यह है कि हमारा विवेक कहीं-कहीं उनके सामने फेल हो जाता है और नतीजा यह होता है कि हम उनके मार्ग-दर्शन पर चलने लगते हैं बजाय इसके कि वे हमारे मार्ग दर्शन पर चलें ।

मान्यवर, मैं इसके अलावा दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को छूट देने का प्राविधान बनाया गया और उसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को चयनित किया गया । उसके अनुसार एक सूची बनी । वह सूची वहां बनी उन विकास खन्डों में बनी जिनको शासन ने अपने हाथों में इस योजना के अन्तर्गत लिया और उस सूची के अनुसार जितने भी किसानों ने सिंचाई के लिये ट्यूबवेल व पम्प सेट आदि लिये, उनको आधी छूट दे दी गई । लेकिन मान्यवर, एक योजना अब नई चल रही है और वह यह है कि किन्हीं खास परिवारों को ही उसके अन्तर्गत चयनित किया जायेगा और उनको ही विकसित किया जायेगा उन्हें सेचुरेट किया जायेगा । इस योजना को चलाने के शासन द्वारा आदेश परित कर दिये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जिस परिवार को आप चयनित करने जा रहे हैं उसकी सूची भी आप पहले क्यों नहीं बना रहे हैं जिसका नतीजा यह होगा कि ग्राम सेवक जायेगा और कहेगा कि आप हमको पहले संतुष्ट करिये, इसका मतलब आप समझ लीजिये । तभी आप चयनित किये जायेंगे, नहीं तो नहीं चुने जायेंगे । पहले तो वह सूची पहले ही बन जाती थी और उसके अनुसार अपने आप छूट मिल जाती थी लेकिन अब ग्राम सेवक और बी० डी० ओ० और आई० ए० एस० अफसरों ने किसान के भविष्य को बदल दिया है और ग्राम सेवकों के हाथों मोहताज बना दिया है । जिसको वे चाहेंगे उनको ही छूट मिलेगी। यह है अफसरों का षड्यंत्र ।

एक अन्य बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, यहां से उस वक्त किसान को फास्फेट खाद पर छूट के आदेश भेजे गये जब कि सारी सोइंग अक्तूबर के माह में किसान कर चुके थे और वह अपनी फसल बो चुका । क्या यह आई० ए० एस० अफसरों की समझ में नहीं आया कि हम ऐसा अब क्यों कर रहे हैं और कब इस फास्फेट का प्रयोग किसान कर पायेगा । मान्यवर, हम आप सब जो जनता के रहनुमा कहे जाते हैं अगर अपना विवेक खोकर इन अफसरों के विवेक पर चलते रहेंगे तो किसानों का कल्याण होने वाला नहीं है । यह फास्फेट खाद पर छूट के आदेश किसानों को तब दी गई जब कि वे अपने खेत बो चुके थे ।

मान्यवर, मैं बहुत कम बोलूंगा केवल मुख्य मुद्दों पर कहूंगा । आज मंडी समितियों से सारे विकास के काम होने की बात चल रही है, स्कीम बहुत अच्छी है और लम्बी चौड़ी है लेकिन पिछले बजट के दौरान भी मैंने ध्यान आकर्षित किया था अगर गैर-लोकतान्त्रिक लोगों के हाथों में मन्डी समितियों का काम सौंपा गया तो जो विकास के काम चलाये जा रहे हैं वह नहीं चल पायेंगे क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क छिपा है वह यह है कि अगर निर्वाचित व्यक्ति उसमें होगा

[श्री केदार नाथ सिंह--]

चाहे वह आप हों या मैं हूं या सत्तारूढ़ दल का हो वह हमेशा अपने कार्यकलापों का अध्ययन करेगा और सोचेगा कि कहीं जनता मुझे कंडम न कर दे, उसके मन में भय बना रहता है, शंका बनी रहती है कि जिन लोगों ने मुझे चुन कर भेजा है कहीं उनके विश्वास को आघात न लगे। लेकिन मनोनीत लोगों को यह भय नहीं रहता है यही कारण है कि आज 75 परसेंट पैसा बिना रसीद के वसूल किया जा रहा है और मन्डी समितियों के कर्मचारी और मनोनीत व्यक्ति उसे हड़पते जा रहे हैं। यह बहुत महत्व का विषय है इसलिए निर्वाचन के विषय को अवश्य समझा जाय। कहना तो बहुत कुछ था पर समय कम है। आपने जो मुझे 10 मिनट का समय बोलने के लिए दिया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती महारानी दोहरे--

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे आज कृषि बजट का समर्थन के लिए बोलने का अवसर दिया उसका मैं धन्यवाद करती हूं और बजट का हृदय से समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। कहने को तो हमारे भाई ने बहुत कुछ कहा लेकिन दुख इस बात का है कि जब भी सदन के अन्दर किसान की चर्चा होती है तो बहुत चर्चा गाओ जाती है। लेकिन आज जो किसान और खेत तथा खलिहान में काम करने वाला मजदूर जो अपने खून-पसीने की कमाई से उत्पादन बढ़ाता है और देश की जनता को भोजन देता है तो उसके हित के लिए जब बजट आता है तो उस पर हमारे सम्मानित सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रख दिया। प्रसन्नता तब होती जब कटौती की जगह बढ़ोत्री का प्रस्ताव रखते। वे उन पीड़ित और शोषित किसानों की बात करते है और अपने को स्वयं किसान कहते हैं लेकिन मैं उनको किसान नहीं मानती हूं। मैं किसान उसको मानती हूं जो खेत और खलिहान में पूष की सर्दी में व कड़कती हुई धूप में, बहती हुई बरसात में ठिठुरती हुई ठंड मे चिराग जला कर खेत में पानी देता है। मैं उसे भारत का किसान मानती हूं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज इस सदन में जो बजट रखा गया है वह बहुत ही सुन्दर और खूबसूरत बजट है और इस सुन्दर बजट को (व्यवधान) आप जरा सुनिये, इसे टालने की कोशिश मत कीजिये क्योंकि सत्ता पक्ष जो बजट रखता है विरोध पक्ष की उसमें पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसमें जो कमियां होती हैं उनको बताये और जो अच्छाइयां हैं उनको जनता तक किस प्रकार पहुंचाया जाय उसमें सरकार की मदद करें। आपकी इस बात की जिम्मेदारी है कि जो बजट इस सदन में पेश होता है वह कोई मजाक बन कर न रह जाय।

आज खेत और खलिहान की बात हो रही है और कहा जाता है कि इस देश की और प्रदेश की 84 प्रतिशत जनता कृषि पर लगी है। मैं कहना चाहती हूं कि अगर सही आकड़े निकाले जायं तो 90 और 95 प्रतिशत जनता देहातों में निवास करती है। यह सच है कि इसमें जो 74 प्रतिशत श्रमिक किसान से जुड़ा हुआ बताया गया है वह रात दिन मेहनत करके उत्पादन को बढोतरी की ओर ले जाता है मैं कहना चाहती हूं कि यह भी आंकड़े सही नहीं हैं। यदि सही रूप में देखा जाए तो इसका परसन्टेज भी इससे अधिक निकलना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो खेतों में स्वयं हल चलाते हैं। इस प्रदेश में 50 प्रतिशत आय का स्रोत खेती बताया गया है, हमारे देश को जिन्दा रखने वाली हमारी देहातों की भूमि है जहां चाहे दाल पैदा होती हो, चाहे तरकारी या अनाज अथवा चाहे कपास हो। वह सब किसानों के यहां पैदा होता है। इसके बावजूद वह गन्दी, मैली चुन्दरी ओढ़ कर खेत खलिहानों में काम करता है।

खेती के उत्पादन के लिए मैं सोचती हूं कि चार चीजें बहुत जरूरी है बीज, सिंचाई, खाद तथा खेत की सुरक्षा व्यवस्था। मंत्री जी ने अपनी पुस्तकों में और बजट में जो वर्णन किया है, उसमें उन्होंने एक एक चीज को स्पष्ट रूप से सदन के पटल पर रख दिया है कि कल वह इनके बारे में क्या करने जा रहे हैं।

30 साल तक हमारी पार्टी का शासन था। मैं एक बात बड़ी सफाई के साथ कहना चाहती हूं कि बनी हुई बिल्डिंग में जब एक बार दरार पड़ जाती है और उसमें से पानी टपकने लगता है, तो उस इमारत को सुधारना या उसको मजबूत बनाये रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले तीस सालों में किसानों का सच्चा साथी और हमदर्द कौन था--एक मात्र हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं। जिसने और जिनकी पार्टी ने अपनी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश की कृषि को आगे बढ़ाया है और किसान को सुखी बनाया है। जहां एक सुई तक पैदा नहीं होती थी वहां बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर्स और भंडारों का निर्माण किया गया है, सेना के बड़े-बड़े जटिल साज सामान और आधुनिक अस्त्र आज इस देश में बन रहे हैं। यह सब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ढाई साल की जो दरार आपने लगाई है, उसको ठीक करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। यह देश का दुर्भाग्य रहा है, मैंने कुछ किताबों के पन्ने पलटे हैं, चौधरी चरण सिंह जी जब इस प्रदेश के कभी मुख्य मन्त्री रहे थे, तो इस प्रदेश में कतई वर्षा नहीं हुई थी और जब वह हिन्दुस्तान की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान को ही बर्बाद कर दिया...

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

[× × ×]

श्रीमती महारानी दोहरे--

आपकी तरफ से कहा गया कि हमारा प्रकृति ने साथ नहीं दिया, मैं आपकी बात का जवाब आपके ही कहने के अनुसार देना चाहती हूं। पिछले वर्ष जब वर्षा हुई नहीं, गन्ना नहीं पैदा हुआ, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के पूज्य पिता स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जो प्रधान मन्त्री थे, जिन्होंने शुगर मिलों को तैयार किया था, उन मिलों के पुर्जों-मशीनों को बेचकर आपने खा लिया। प्रकृति ने आपका साथ नहीं दिया, गन्ना पैदा नहीं हुआ, तो मिलों के पुर्जों को आपने उखाड़ कर फेंक दिया। आपके कारनामों को हम हिम्मत और साहस के साथ तथा बुलन्दी के साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यह याद रखिये कि संभाल कर हम रहेंगे, संभाल कर हम रखेंगे और यह भूल जाइये, जैसा कुछ जनता पार्टी के नेता या दूसरे नेता स्टेटमेन्ट दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है,

---

नोट :--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्रीमती महरानी दोहरे---]

अब तो हमारी पार्टी आएगी, अब वही कुर्सी हमको फिर मिल जाएगी---आप इसके सपने देखते रहिये । लेकिन यह आपका स्वप्न कभी भी पूरा होने वाला नहीं है । श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की और हमारी एक मात्र नेता है, जिन्होंने किसानों के लिए अपना खून और पसीना दिया है । एक आपके नेता किसानों के थे, जिन्होंने किसानों के नाम पर दिल्ली में रैली कराई और कई लाख रुपयों की उनसे थैली लेकर बटोरकर अपने घर में रखा था और एक हमारी नेता थीं, जिसने किसानों और मजदूरों का आह्वान किया था, और तमाम आदमी तथा महिला भी दिल्ली पहुंची, दिल्ली में जगह नहीं थी कि वे वहां पर कहां टिके । यह है उसका एक निचोड़ ।

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आती हूं जो कि चम्बल घाटी के नाम से प्रसिद्ध है । जहां पर फूलन देवी और मलिखान सिंह ने निवास किया है । वे आज भी वहां पर बसते हैं । जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था के बारे में माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट में कहा है । चम्बल की जो पेटियां हैं, पिछली बार वहां पर बारिश नहीं हुयी । न कोई वहां पर ट्यूबवेल ही है और न कोई नहर ही, पर चूंकि आपके पास लघु सिंचाई भी है । अतः आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप वहां पर अपने विभाग द्वारा लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करा दें । आपने अपनी कम्पोनेन्ट योजना के द्वारा 40 प्रतिशत गरीबों की बात की है लेकिन सेन्टर से सम्बद्ध जो बैंक हैं, वे आपके काम में रोड़े अटकाते हैं । आपके जो लेखपाल, कानूनगो और जो ग्राम सेवक हैं, वे जब सर्वे करने जाते हैं तो 100-100 रुपया और 50-50 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से गांव वालों से रिश्वत ले लेते हैं मेरी प्रार्थना है कि आप अपने विकास अधिकारी को यह काम सौपें अन्यथा ये अधिकारी और कर्मचारी उनको लूटने की कोशिश करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और मन्त्री जी को बधाई देती हूं ।

(श्री रुद्र प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दलगंजन सिंह---

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री रुद्र प्रताप सिंह को बुलाया है, आप कृपया बैठें ।

श्री दलगंजन सिंह—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको नहीं बुलाया है । मैंने श्री रुद्र प्रताप सिंह को बुलाया है । आप मेरी आज्ञा के बिना बोल रहे हैं । अतः जो आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री दलगंजन सिंह के खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको नहीं बुलाया है। अतः अब तक, जो भी दल गंजन सिंह ने कहा है, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि की मदों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मुझे 2-3 मुहावरे इस समय याद आ रहे हैं और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कह दूं। मैं जब प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था एक तो तब का याद है कि

"अजब तेरी माया, अजब तेरा खेल,
छछुन्दर के सिर पर चमेली का तेल।"

दूसरी कहावत है :

"गांव के नाम अन्हारी बारी,
होम करे के पल्लव जा।।"

तीसरी कहावत है :

"आंख के अन्धे नाम नयनसुख"।

हमारे कृषि मंत्री हैं तो कृषि विभाग के मंत्री लेकिन कृषि के बारे में उन्हें बिलकुल भी जानकारी नहीं है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

इधर तो सब नयनसुख हैं।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, बराबर उधर से श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि उन्होंने गेहूं और गन्ने का दाम बढ़ाया है। माननीया श्रीमती दोहरे ने कहा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में जितनी रियायतें इस समय दी गयी किसी की सरकार ने नहीं दी। मेरे विचार में सरकार तीस वर्ष तक आपकी ही रही है। हम तो केवल 3 साल के लिए शासन में रहे जबकि हमने खाद के दाम आधे कर के चले गये। आपने फिर उसको दुगना तिगुना कर दिया। हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं और आपको ऐसा लगता है कि न हम अन्न खाते हैं, न फल व सब्जियां खाते हैं और न दूध पीते हैं। अन्न पर जीने वाले ही सब हैं। दूध और फल पर, जो निर्भर करने वाले लोग हैं, वे उधर हैं। अन्न खाने वाले लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा।

इस बजट के दो मुद्दे हैं एक में तो आपने पैसा मांगा है, एक के द्वारा खर्च करने की बात कही गयी है। पैसा मांगना जायज है, मगर उस पैसे का दुरुपयोग, जो होता है, उसको रोकने की जरूरत है। आपकी, जो मशीनरी है

[श्री रुद्र प्रताप सिंह---]

उसको खर्च करने की, उसको आप ऐसे अधिकार न दें जिससे पैसे का दुरुपयोग हो सके ।

मान्यवर, अभी कुछ दिन हुये हमारे यहां डिप्टी डायरेक्टर, कृषि तथा देवरिया के कृषि अधिकारी आदि बैठे थे, मैं वहां गया, मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हुई है । उन्होंने बताया कि हमने उसकी व्यवस्था की है और 33 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की छूट भी दे रहे हैं । मैं आज भी कहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे यहां जाकर पता लगा लें, देवरिया जनपद में कोई छूट किसानों को नहीं मिली है, अगर मिली है तो वह वहां के बी० डी० ओ० एवं कृषि अधिकारियों को ही मिली है। मैं चुनौती देकर इस बात को कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाये तो मैं सदन के सामने माफी मांगने को तैयार हूं । आप जाते हैं तो आपकी कार में आपके ही आदमी बैठ जाते हैं, आपको इन लोगों से तो बात करने की फुरसत ही नहीं मिलती । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक किसान के लिये खाद, पानी और बीज की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता और न ही किसान की हालत सुधर सकती है । इस सरकार ने आते ही रातों रात खाद के दाम बढ़ा दिये जिसके कारण बड़े-बड़े मालिकों को लाखों करोड़ों रुपयों का फायदा हो गया । गोदाम कीपर लखपति बन गया । मान्यवर, पता लगा लिया जाय, हमारे जनपद में और विशेषकर हमारे क्षेत्र के गांवों में किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो सका । बैकुन्ठपुर से हेतीपुर तक किसी भी गांव में बीज उपलब्ध नहीं हुआ ।

जहां तक नहर विभाग द्वारा पानी देने की बात है, वह भी जरूरत पड़ने पर नहीं मिलता, जब फसल सूख जाती है तब पानी दिया जाता है । मेरे यहां एक उदयपुर माइनर है, वहां आस पास 10-15 गांव हैं, वहां गेहूं की फसल तैयार है, पर पानी नहीं है । जब मैंने पूछा तो बताया गया कि पानी छोड़ दिया गया है, मगर पता नहीं वह पानी माननीय मंत्री जी की ससुराल में चला गया या कहां चला गया ।

(व्यवधान)

किसान को पानी नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी की ससुराल क्या आपके गांव के पास ही है ?

(हंसी)

श्री रुद्र प्रताप सिंह---

जी हां । (हंसी) मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । गोरखपुर से देवरिया एक बी० डी० ओ० 6 दिसम्बर को भेजा जाता है । 6 दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक वह बी० डी० ओ० खाली बैठा रहा, उसको कहीं कोई काम नहीं दिया गया, और 22 दिसम्बर को उनसे यह पूछा जाता है कि तुमको कौन सा ब्लाक चाहिये । उसने कहा कि मुझे कोई सा ब्लाक दे दिया जाये । तब उससे कहा गया कि तुम को वही ब्लाक सूट करेगा जहां तुम इस समय हो, अतः उसे वहां रखा गया । अब 6 दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक की उसे तन्खवाह कहां से मिलेगी ? वह तो खाली बैठा रहा, कहीं काम किया ही नहीं ।

(समय 4 बजे)

मान्यवर, आपने फसल तैयार करा दिया, डीजल तो चरण सिंह सोख ले गये । इंदिरा जी नलके की टोंटी से डीजल दे रही हैं । बोतल लेकर लोग जाते हैं, टिन लेकर लोग जाते हैं और धक्के खाते हैं । कम से कम हमारे गांव में 50 हजार बोझा फसल दंवरी के अभाव में सड़ गयी क्योंकि जानवर सब यहां आ गये और बिजली मिलती नहीं है । डीजल मिलता ही नहीं है, तो दंवरी कैसे हो । अप्रैल और मई में डीजल और बिजली का प्रबन्ध करा दें, ताकि किसी किसान की दंवरी बाकी न रह जाय । इतना ही नहीं मान्यवर, मंडी समितियां हैं, मंडी समितियों की आय जहां तक मुझे मालूम है, वहां पर भ्रष्टाचार है । भ्रष्टाचार की जननी दिल्ली में हैं और जनक यहां पर हैं । मंडी समिति का कार्य बिलकुल असंतोषजनक है । जहां तक गन्ना की बात है 13–14 चीनी मिलें हमारे यहां हैं । आंख के अंधे नाम नैनसुख । चीनी की मिल तो हैं, लेकिन चीनी हम लोगों को नहीं मिलती । एक आदमी का नाम ठठपाल सिंह था, वह बहुत दुखी था, उन्होंने कहा कि जैसा मेरा नाम वैसा मेरा शरीर तो वह घूमने निकले, वह एक खेत में गये, तो वहां पर एक वृद्ध औरत अंकरी बहार रही थी, उन्होंने उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम लछमनिया बताया । फिर आगे गया, तो एक आदमी पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धनपाल सिंह बताया, आगे गया, तो एक मरा हुआ आदमी बिमान पर जा रहा था, तो वहां पर लोगों से उसने पूछा कि ये कौन थे, तो लोगों ने बताया कि ये अमर सिंह हैं । तब उसने कहा कि मैं ही अच्छा हूं––"अंकरी बहारत लछमिनियां को देखली, और लकड़ी तोरत धनपाल और येगो ऊपर के बिमान पर देखली, भले बाड़े ठठपाल । तो मान्यवर, इससे अच्छे तो हम विरोधी पक्ष वाले ही हैं कि जैसा नाम वैसा गुण हैं । लेकिन सत्ता पक्ष वालों की वही दशा है जो लछमिनियां, धनपाल और अमर सिंह की है । देवरिया के एक मन्त्री जी हैं जिनका नाम सी0 पी0 एन0 सिंह हैं । उन्होंने कृषि मंत्री को कृषि अधिकारी के खिलाफ एक पत्र लिखा और उसमें आरोप लगाया कि इन्होंने बीसों लाख रुपये का घोटाला किया है, जिस पर देवरिया के अधिकवर विधायकों ने भी लिखा है । उस पर कृषि अधिकारी का ट्रान्सफर भी हो गया, लेकिन वह कहता फिरता है कि उसने मंत्री जी को 10 हजार रुपया बकर अपना ट्रान्सफर रोकवा लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष ––

आपकी लछमिनियां की कहानी काफी सुना, अब लाल बत्ती भी जल गयी ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह––

मैं तो अनुशासित आदमी हूं । आप कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा । 1978–79 में देवरिया जिले के फार्मों द्वारा उत्पादित गेहूं का बीज 118 रुपया प्रति कुंटल की दर से नीलामी देवरिया में होना था, परन्तु उक्त बीज को देवरिया से गोरखपुर भेज करके 85 रुपया कुंटल पर नीलाम कर दिया गया । 118 रुपया प्रति कुंटल देवरिया में भाव मिल रहा था, तो नहीं बेंचा और गोरखपुर भेज दिया और वहां पर 85 रुपया कुंटल पर बेंच दिया गया तो 32 रुपया

[श्री रुद्र प्रताप सिंह--]

बोरा लाभ हो गया । इस प्रकार दो लाख रुपया की क्षति पहुंचाई गयी । ये खाद और बीज के बारे में ध्यान दें कि इसमें स्मगलिंग और भ्रष्टाचार न होने पावे । जिला कृषि अधिकारी के सहयोग से सलेमपुर तहसील के मुख्यालय के कृषि के गोदाम के इन्चार्ज को बीज को नीलामी देकर शासन को 10 हजार रुपये की क्षति पहुंचाई । जिला कृषि अधिकारी, देवरिया ने लगभग 2 लाख रुपये की धनराशि देवरिया कोषागार से जनपद के विभिन्न कृषि कार्यों के भवन निर्माणार्थ आहरण किया, परन्तु उक्त भवन का निर्माण अब तक आपने यहीं कराया । विपरीत इसके ठेकेदारों के व्यक्तिगत खातों में उपरोक्त धनराशि को जमा करके प्रति वर्ष 10 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक ब्याज के रूप में प्राप्त कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है । कष्ट के लिए धन्यवाद ।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, अपने तो मंत्री जी को ससुराल पूछ लिया, लेकिन इनकी ससुराल नहीं पूछा । यह व्यवस्था का सवाल है । इनकी ससुराल सिंचाई मन्त्री जी के यहां है ।

*श्री महेश चन्द्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने मुझे जो कृषि विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हुं । माननीय मंत्री जी का बजट एक क्रांतिकारी बजट है और इस बजट के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी परेशानी दूर करने के लिए फसलों की सुरक्षा के लिए बीमे की एक योजना बनायी । इस योजना के लिए माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों की समस्या को जाना और उसके लिए एक ठोस कदम उठाया ताकि किसानों को भविष्य में दैवी आपदा से बचाया जा सके और दैवी आपदा का मुकाबला करने के लिए बीमा योजना बनायी । इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वे इसके पात्र भी हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के प्रमुख लोग कृषक हैं । इनकी तरक्की के लिए हमको सोचना होगा देश और प्रदेश की तरक्की के लिए जानना किसानों के बारे में उनकी समस्याओं के बारे में और उनके हितों के बारे में सोचना होगा और जब तक इनके बारे में नियोजित ढंग से सोचा नहीं जायेगा देश तरक्की नहीं कर सकेगा और जब तक किसानों की फसल का सही मूल्य उनको नहीं दिलाया जायेगा तब तक इस विषय में हमको प्रयत्नशील रहना है । मान्यवर, आज भी हमारे देश के किसान का रहन-सहन सुधरा नहीं है । इसकी समस्यायें अब भी बहुत हमारे सामने हैं । हमें आशा है कि माननीय मंत्री जी जो ठोस कदम आपने इनकी तरक्की के लिए उठाये हैं आगे भी इसी तरह उठायेंगे ताकि इन गरीबों को राहत मिल सके । दूसरे माननीय मंत्री जी की ओर से जो योजना रखी गयी हैं, टैक्सेज के बारे, सब्सीडी के बारे में, वह किसानों के लिए बहुत ही उचित कदम हैं और कृषि सेल योजना जो बनायी है, वह बहुत ही सुन्दर है । मान्यवर, यह योजना केवल 13 जनपदों में ही चलायी जा रही है । हम आशा करते है कि शीघ्र ही हर जिले में तहसील स्तर पर चालू की जायेगी । इससे किसान बहुत लाभान्वित होगा और इससे किसान को किराये पर ट्रैक्टर्स और अन्य इम्पलीमेन्ट्स आसानी से मिल सकेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्मुख प्रमुख अपील रखना चाहता हूं कि गेहूं का मूल्य निश्चित रूप से डेढ सौ रुपये से कम न किया जाये । जिस प्रकार से उन्होंने अन्य चीजों पर नियंत्रण रखने में प्रयास किये हैं, उम्मीद है कि गेहूं के मूल्य में भी इसी प्रकार प्रयत्नशील हैं कि रुपया डेढ़ सौ से कम न होने पाये । (शोर) माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र बड़ौत में एक जनत डिग्री कलेज है, जहां पर एम0 एस0 सी0 और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स पढ़ाये जाने की पूरी व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त एक अनुरोध करूंगा कि वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए । दूसरी मान्यवर, एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि मण्डियों के विकास को आगे बढ़ाया जाए, जिससे वहां के किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, इससे उन पर हो रहे प्रहार को दूर किया जा सकेगा । मान्यवर, कुछ समय पहले बड़ौत में एक मन्डी बनाने की योजना तैयार की गयी थी, परन्तु स्थल के कमी के कारण अभी बनायी नहीं जा सकी कई महीने से इस पर प्रयास जारी हैं, मीटिंग्स होती है, कभी कोई नहीं आता और कभी कोई अधिकारी नहीं आता और कभी कोई सुटेबुल स्थान नहीं मिल पा रहा है । इसी तरह से सात–आठ महीने से टाला जा रहा है और अभी तक उसका प्रारूप भी तैयार नहीं किया जा सका है । माननीय मंत्री जी मैं दूसरी बात रखना चाहता हूं कि किसानों को सब्सीडी के लिये जो आदेश दिये गये वह अधिकारियों तक यानी नीचे तक बहुत देर में पहुंचे और दिसम्बर के अन्त में जब बुआई चलने लगी तो आदेश पहुंचा । मैं चाहता हूं कि आदेश समय से पारित किया जाय ताकि सब्सीडी किसानों को समय से वितरित किया जा सके । मान्यवर, बी0 एल0 डब्ल्यू0 मिस्टर ने वेरीफाई नहीं किया था । जब आपके सख्ती के आदेश हुय तो उसने लिस्ट बेरीफाई किया और किसानों को तब खाद मिल सकी । माननीय मंत्री जी किसानों को बिजली कागज पर मिली । प्रकृति ने आपका साथ दिया किन्तु अधिकारियों ने आपका साथ नहीं दिया, अगर अधिकारियों ने साथ दिया होता तो किसानों को बिजली उपलब्ध हुई होती । मेरे पूरे क्षेत्र में बार–बार लिखने के बावजूद भी सिंचाई और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई । बार–बार लिखने के बाद मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाने के बाद बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई । इसके लिये कोई विशेष कदम उठाना पड़ेगा ताकि कागज पर बिजली न मिलकर किसानों को बिजली मिले । माननीय मंत्री जी फाउन्डेशन बीज की उपलब्धता आवश्यक है, सर्टिफाइड सीड में अधिकारी लोग घपला करते है । किसानों को जो खाद इस समय दी जा रही है, उसमें मिलावट है । हमारे यहां बड़ौत में छापा पड़ा, उसमें इफकों की खाद मिल जबकि इफको की खाद हर दुकान पर नहीं बेची जा सकती है : इसमें बी0 डी0 ओ0 और अन्य अधिकारियों की मार्फत घपला होता है । एस0 डी0 एम0 कहते है बी0 डी0 ओ0 छापा मारेगें और बी0 डी0 ओ0 कहते हैं एस0 डी0 एस0 मारेंगे । मान्यवर, इस तरह से किसानों की लूट हो रही है । तो पिछले 3 साल के शासन से जो किसानों का शोषण हो रहा है । इसके लिये क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा । किसानों को लूट से बचाने के लिये ताकि लूट से उनको बचाया जा सके । मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री दलगंजन सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । अगर कृषि क्षेत्र का पूर्ण रूप से एनालेसिस की जाय तो कृषि को जितनी उपेक्षा इस देश में की गई है, दुनिया के किसी देश में नहीं की गई और इस सूबे में जितनी की गई है, इस देश के किसी सूबे में नहीं की गई । चाहे पंजाब को लें, चाहे हरियाणा को लें चाहे सबसे पिछड़े मध्यप्रदेश को ले वहां पर भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है वनिस्पत उत्तर प्रदेश के । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम समर्थन मूल्य दे रहे हे । समर्थन मूल्य किस आधार पर दे रहे है, आपके पास यह आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि कितना आलू पर उत्पादन लागत है, कितनी गन्ने पर उत्पादन लगत है फिर किस चीज के आधार पर समर्थन मूल्य दे रहे हैं । आज मिल से बनी हुई वस्तु ही हर के आंकड़े है, हर का अध्ययन है किस चीज की उत्पादन लागत क्या है । लेकिन कृषि के लिये कोई ऐसा कमीशन नहीं बैठाया गया है, जो अध्ययन करता कोई अध्ययन नहीं किया गया जिसमें यह तय किया जाता कि कृषि का उत्पादन लागत वास्तव में क्या है । जब आपके पास लागत ही नहीं है कृषि के उत्पादन का फिर समर्थन मूल्य किस आधार पर दे रहे हैं । केवल किसान को और सदन का गुमराह कर रहे है । जहां तक कीमतों का सवाल है । बहुत पहले एक प्राइज कमीशन बैठा था उसके बाद काई प्राइज कमीशन नहीं बैठा इस देश और सूबे में । जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि कृषि उत्पादन में अब तक केवल 50 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई है, जब कि औद्योगिक उत्पादनों के मूल्य में 150 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस तरह कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादनों में भारी असमानता है । यदि वास्तव में आप कृषि की तरक्की चाहते हैं तो सबसे यह काम करना चाहिये, यह अध्ययन किया जाय कि कृषि उत्पादन के मूल्य क्या हों । वास्तव में यह उद्योगपतियों की सरकार है क्योंकि अगर उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है तो यह सरकार उसे इंफ्रा स्ट्रक्चर तैयार करके देगी। अगर बैकवर्ड इलाके में उद्योग लगाना चाहता है तो 20 फीसदी से 25 फीसदी तक सरकार सब्सीडी देगी । इस के साथ ही ।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

साथ उद्योग के लिये सरकार कच्चा माल मुहइया करेगी । अनेक तरह की सुविधायें यह सरकार उद्योगों की देती है लेकिन कृषि सेक्टर में कोई भी सुविधा शासन की ओर से नहीं दी जा रही है ताकि इस देश व प्रदेश के किसान का भला हो सके । अभी तक कृषि क्षेत्र भगवान के सहारे है । जब अच्छी बारिश होती है तो मंत्री जी कहने लगते हैं कि इतना ज्यादा उत्पादन हुआ और सारा श्रेय मंत्री जी ले लेते हैं । लेकिन जब बारिश नहीं हुई, उत्पादन नहीं हुआ तो मंत्री जी कहने लगे कि बारिश न होने से उत्पादन गिर गया । हमें घटनाओं से सबक सीखना है । पिछले दो वर्ष में सरकार की सारी योजनायें ध्वस्त हो गयी । नलकूप और नहरों में पानी नहीं जा सका । सारे स्रोत पानी के बन्द हो गये । हमें इस बात पर विचार करना होगा कि कृषि के लिए कोई ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये ताकि हम केवल ऊपर के पानी के भरोसे न रहें । अगर हम इसको करने में असफल होते हैं तो हम चाहें कितना भी रुपया कृषि सेक्टर पर लगायें, इस प्रदेश के किसान का भला होने वाला नहीं है और तो नहीं इस प्रदेश का भला होने वाला है । अगर पूरे आंकड़ों का अध्ययन किया जाय तो कृषि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है । आजादी के बाद मुश्किल से 2 फीसदी कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है । हमने चाहे जितनी खादें दी हों, हमने चाहे जितने डेम बनाये हों, सभी योजनायें जो कृषि क्षेत्र के लिये बनाई गयी हैं, वे असफल होती चली गयी । हमको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

योजना की जरूरत है, ऐसी सिंचाई व्यवस्था की जरूरत है तकि हम ऊपर के भरोसे से न रह कर ऐसी टेक्नोलाजी इस्तेमाल करें ताकि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके । हमको छोटी सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिए पिछले अकाल ने यह साबित किया कि हमें गांवों में अधिक से अधिक कुओं की व्यवस्था करनी चाहिए थी, बड़े से बड़े तालाब बनाने चाहिए थे, हर गांव में अधिक से अधिक गन्दा पानी एक जगह तालाब में इकट्ठा करके सिंचाई के काम में लाना चाहिए था । एक हजार गाँव में बड़े-बड़े तालाब बना दिये जायं और बरसात का तथा गन्दा पानी इन तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाय तो बहुत बड़े हिस्से को सिंचाई इन तालाबों के माध्यम से हो सकता है ।

मंत्री महोदय ने यह कहा कि वह कृषि के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं और कृषि का अधिक से अधिक उत्थान चाहते हैं लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि कौन सा आधार है, कौन सी नई योजना यह सरकार कृषकों के सामने लाई है जिससे यह सरकार इस बात का दावा करती है कि यह किसानों की स्थिति में मौलिक परिवर्तन करने जा रही है । आपने एक सवाल सब्सीडी का उठाया है कि किसानों को सब्सीडी दिया गया है । मैं तो मान्यवर, इस पक्ष का हूं कि सभी सब्सीडी बंद कर दी जायं । ये सारी सब्सीडी, मान्यवर, कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए है । हमने कुछ क्षेत्रों में देखा है जब सब्सीडी खाद का वितरण हो रहा था तो दर्जनों लोग हमारे पास आते थे और कहते थे कि हमारी सब्सीडी को लिस्ट नहीं बनायी जा रही है । सहायता कहां देते हैं ? जब कर्मचारियों को निश्चित हो जाता है कि 50 प्रतिशत सब्सीडी की रकम उनको मिल जायेगी, तभी सब्सीडी किसानों को मिलती है, वरना नहीं दी जाती है, ये ऐसी कमियां हैं कि जिनको रोकथाम बहुत आवश्यक है । लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि इसको रोकथाम मंत्री के भी हाथ में नहीं है । इसके लिए जरूरी है कि जिलास्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई कमेटी बनायें जो इस तरह की सहायता की देखरेख करे और सब्सीडी वगैरह का वितरण उन जन-प्रतिनिधियों की कमेटी के अंडर में हो और जिनको इस बात का पावर हो कि जो कर्मचारी गफलत करेगा, उसको दण्डित करने का अधिकार हो । मान्यवर, हमारे यहां जगम्मनपुर और रामपुरा में सब्सीडी में घपला हुआ । जगम्मनपुर और रामपुरा में कहा गया कि सब्सीडी नहीं दी जा रही है । मैंने कृषि अधिकारी को लिखित शिकायत की लेकिन उसका कोई ऐक्शन नहीं लिया । केवल परिणाम यह हुआ कि मैंने जो जलालत बर्दाश्त की, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और बराबर इसी तरह से सब्सीडी भ्रष्टचार पनपता रहा और किसानों को राहत नहीं दी जा सकी । इसलिए मेरा इस सदन में निवेदन है कि अगर वास्तव में कृषि सेक्टर को बढ़ाना है, तो सिंचाई के साधनों की उपलब्ध कराना होगा । किसानों को अधिक से अधिक सुविधायें देनी होंगी और ऋण नीति में परिवर्तन करना होगा ।

साथ ही यह भी निवेदन है कि यहां हर काश्तकार चाहे वह जमीनदार का रियाया हो, चाहे लघु कृषक हो, चाहे सीमांत कृषक हो, वह भारी कर्ज में डूबा हुआ है । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को इस बात का कमीशन

[श्री दलगंजन सिंह--]

बिठाना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो इस बात का निरीक्षण करे कि कितने किसान कितने भारी कर्ज में डूब चुके हैं और उनको कर्ज से उबारने के लिए प्रभावी योजना सरकार को लागू करनी चाहिए। तभी इस प्रदेश के कृषि क्षेत्र का भला हो सकता है ।

*श्री राम औतार दीक्षित--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा रखे हुए बजट का मैं समर्थन करता हूं । साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि बहुत से हमारे मित्रों ने कहा, यह कृषि प्रधान देश है । यहां पर 80/84 प्रतिशत आबादी केवल कृषि पर निर्भर है । मान्यवर, कृषि के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता है (1) मिट्टी, (2) बीज, (3) खाद और (4) पानी, जब से ये चारों वस्तुयें सुलभता के साथ प्राप्त की जायेगी, तभी हमारे देश में कृषि का विकास सम्भव है । सबसे पहली बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं और उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृषि एक तकनीकी विभाग है । तकनीकी विभाग के लिए, जिसमें कि मिट्टी का सर्वेक्षण होता है, अन्य प्रकार के अच्छे बीज बनाये जा रहे हैं और उन्हें उपलब्ध पैदा किया जा रहा और उनके द्वारा ही हमारी खेती का विकास सम्भव है, तो सबसे पहले, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इसको तकनीकी विभाग घोषित किया जाय ।

दूसरी बात हमारे सामने है कि जो सर्वप्रथम आती है, हमारे यहां कृषि का इतना विशाल देश होते हुये भी यहां की मिट्टी का सर्वेक्षण किया जाय । इसकी समुचित व्यवस्था नहीं है । उन्नतिशील खेती के लिए इसको करना चाहिए । इसमें दो राय नहीं और इससे शायद हमारे विरोधी पक्ष के लोग भी संतुष्ट होंगे कि यहां पर कृषि के विकास और कृषि के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हुयी हैं । लेकिन इसका प्रचार और प्रसार जितना होना चाहिए उतना प्रचार और प्रसार नहीं हो पा रहा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इसका प्रचार और प्रसार करवाने के लिए अपने अधिकारियों को इंगित करें । क्योंकि जब तक साधारण किसान को जानकारी नहीं होगी कि किस तरीके से किस वक्त कौन सी फसल उपलब्ध हो सकती है, कौन सी फसल के माध्यम से ज्यादा धनोपार्जन किया जा सकता है तब तक साधारण किसान को लाभ नहीं पहुंचेगा । मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि साधारण किसान तक आज जो उपलब्धियां हुयीं हैं उनको पहुंचाने के लिए वह सरकारी कर्मचारियों को इंगित करें । अच्छे अच्छे बीज और अन्य जो उपलब्धियां हैं वह इंटीरियर के किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । इसलिए जो प्रगतिशील किसान हैं जो इन चीजों के बारे में जागरूक है वहीं आज इसका सारा फायदा उठा रहे हैं और जो साधारण किसान है, इंटीरियर के कृषक हैं जो इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं उनको काफी कठिनाई हो रही है । किस वक्त कौन सा बीज बोना चाहिए, वह बीज कहां मिल सकता है इस तरीके का ज्ञान हमारे साधारण कृषकों को आज कराने की आवश्यकता है । जहां उपलब्धियों की बात है हमने उन्नतिशील बीजों का उत्पादन किया है, हमारे पन्त नगर तथा अनेक जगहों पर जो फार्म हैं वहां पर जो कृषि वैज्ञानिकों में जितनी उपलब्धियां अर्जित की हैं अगर मैं उनको बधाई दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आज खाद की आवश्यकता अधिक हो गयी है क्योंकि खाद के उपयोग से उत्पादन बढ़ता है लेकिन खाद की कठिनाई आये दिन साधारण कृषकों को रही है। इसके प्रति हमको सतत जागरूक होना चाहिए और साधारण किसानों को यह कठिनाई दूर करनी चाहिए ताकि वह अच्छी फसल पैदा कर सकें। खाद के बाद पानी की आज हमारे सामने सबसे बड़ी आवश्यकता है। पानी की कठिनाई हमारे प्रदेश के किसानों के सामने एक ऐसा अभिशाप बन गयी है कि वक्त पर किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। हमारी नहरें और ट्यूबवेल जो बन रहे हैं तो कहीं पर तो बिजली नहीं मिलती है और कहीं पर नहर में पानी नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको इस विभाग के साथ सिंचाई विभाग को इतना नजदीक करना चाहिए कि जिससे पानी की कठिनाई दूर हो और साधारण किसान को पानी मिल सके। साधारण किसान को पानी न मिलने से उसकी फसल सूख जाती है और बीज और खाद से जो उपलब्धियां वह करना चाहता है उन पर तुषारापात हो जाता है। इसलिए पानी की समस्या को हल करने के लिए काफी आगे बढ़कर कदम बढ़ाना जरूरी है पानी के सम्बन्ध में जो मुख्य चीज हमारे सामने आ गयी हैं वह है बिजली। क्योंकि जगह जगह ट्यूबवेल बन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान हरदोई जनपद की तहसील शाहाबाद के भरथनी ब्लाक की ओर ले जाना चाहता हूं। उसके अन्दर 18 ट्यूबवेल बने हैं लेकिन बिजली न होने के कारण वह ट्यूबवेल कार्यरत नहीं हैं जिससे साधारण किसान और जो वहां के निवासी हैं उनको काफी कठिनाई हो रही है। यह जो 10 ट्यूबवेल हैं इसके लिए बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए।

एक बात जो हमारे सामने मुख्य है वह है पशुधन। पशुधन हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष के महत्व की चीज है। पशुधन के बारे में पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि आज का साधारण किसान जो पशुओं को पालता है वह आज की टेक्नालोजी जो है उससे वह अवगत नहीं है। यहां पर शंकर प्रजनन पद्धति से तमाम नई-नई जागृतियां हो रही हैं। लेकिन मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह पद्धतियां आज किसान तक नहीं पहुंच पाई हैं जिससे वह पुरानी पद्धति पर ही अपनी गायों को पालता है। आज जसी गायों के द्वारा और उसकी क्रास ब्रीड करके न जाने कितने दूध में प्रमुखता होती जा रही है। क्रास ब्रीड पद्धति द्वारा तमाम नई-नई उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं जिससे दूध बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन हमने देखा है कि इन्टीरियर गांवों में किसान इससे अवगत नहीं है। इसलिये पशुधन की तकनीक और शंकर प्रजनन की तकनीक को किसानों तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि वह इन्टीरियर गांवों का किसान जागृत हो सके।

इसके साथ-साथ मान्यवर, डेरी विभाग के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पशुधन विकास के साथ-साथ डेरी विभाग भी जागरुक अवस्था में नहीं आता है तब तक किसानों की हालत सुधर नहीं सकती है। इसलिये पशुधन के साथ-साथ डेरी विभाग भी यदि जागरुक हो जाता तो इसमें दो राय नहीं है कि किसानों के सामने एक आमदनी की सेकेन्डरी चीज आ जाती है और किसान दूध के माध्यम से अपनी आय के दूसरे साधन बना सकता। इसलिये मंत्री

[श्री राम औतार दीक्षित---]

जी से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को वह किसानों तक पहुंचावें जिससे किसान को धनोपार्जन का एक अल्टरनेटिव साधन उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, अब मैं फलों और सब्जियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि फलों के बारे में दो राय नहीं है कि इधर काफी इसमें प्रगति हुई है । जो सेब कश्मीर का कहा जाता है वही आज हमारे प्रदेश में उसकी काफी खेती हो रही है । लेकिन उसका ज्यादा उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि वह धनोपार्जन का साधन बनता । इसलिये मैं चाहता हूं कि फलों से जो अन्य चीजें बनायी जाती हैं उसके विकास के लिये मंत्री जी ध्यान दें ताकि साधारण किसान उसको बनाकर धनोपार्जन कर सके । इसके साथ ही साथ मान्यवर, खेती प्राइमरी चीज है और इसको सेकेन्डरी चीज बनाकर धनोपार्जन किया जा सकता है । मान्यवर, हमारे यहां सब्जियों का विशाल भंडार है । हमारे प्रदेश की सब्जियां दूसरे प्रदेशों को जाती हैं, इसमें दो राय नहीं लेकिन सब्जी की खेती से अन्न और दलहन की बचत भी हो सकती है । सब्जी खाने से अन्न का जो उपयोग होता है वह कम हो सकता है यदि सब्जी का उत्पादन हम बढ़ा सकें । इसलिये सब्जी की खेती पर प्रमुखता दें । यह ऐसी खेती है जो हमारी दलहन और अन्न की समस्या को हल कर सकती है । इसलिये हम चाहते हैं कि सब्जी पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और उसका उत्पाद ज्यादा किया जाय तो इससे धनोपार्जन हो सकता है । दलहन की समस्या के सम्बन्ध में जैसा मंत्री जी ने कहा और जैसा हमारे सभी विधायकगण जानते हैं कि आलू की खेती में हम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । इसमें दो राय नहीं है कि आलू की खेती दलहन की समस्या को हल करने के लिये हमने आलू की खेती में काफी प्रगति किया है और इस वर्ष यह भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारी सरकार ने आलू की कीमतों को नहीं गिरने दिया । दूसरी तरफ मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज भी हमारे प्रदेश का पैदा किया हुआ आलू दूसरे प्रदेशों में तात्कालिक रूप से खाने के काम में आता है । आलू को और गतिशील बनाने के लिये अपने प्रदेश में, उसके प्रयोग को अन्तर्राष्ट्रीय बनाने के लिये, अपने प्रदेश में आलू की उपलब्धि बढ़ाने के लिये अभी और सुधार की आवश्यकता है ।

आज हमारे सामने कई समस्यायें हैं, हमने प्रगति की है जैसा कि मैं पहले ही आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर चुका हूं कि तोरई की खेती बहुत लाभकारी है । तोरई की खेती चूंकि गन्ने की खेती के साथ की जा सकती है, तोरई का गन्ने के खेत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस क्रिया के बारे में साधारण किसान जागरुक नहीं है । साधारण किसान को जागरुक करने के लिये, इसके प्रयोग को हम साधारण किसानों तक पहुंचायें जैसे ठूठ, कुसुम, सूरजमुखी की खेती के बारे में हम उसे बतायें जिससे कि हमारा साधारण किसान जागरुक हो सके ।

मैं चाहता हूं कि इनकी खेती से, यह जो टैक्नीक हमारे कृषि विभाग ने अपनाई है उसके परिणाम के बारे में साधारण किसानों को बताया जाय, उसकी प्रगति को साधारण किसानों तक पहुंचाया जाय जिससे कि वे भी इस टकनीक से फायदा उठा सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आज इस पर चर्चा को समाप्त किया जाता है, कल इस पर फिर चर्चा होगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 में 5 सूचनायें प्राप्त हुयी थी जिनमें से एक जो श्री दल-गंजन सिंह एवं शंकर सिंह द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1981 को एटा थाने के थानाध्यक्ष, श्री शारदा प्रसाद दीक्षित द्वारा 39 किलोग्राम चांदी, मूल्य लगभग एक लाख रुपये, को लूटने के बाद वर्दी एवं असलाह सहित फरार होने के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है । शेष सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं ।

[समय 4 बज कर 16 मिनट]

जनपद जालौन के कतिपय ग्रामों में जल विवाद के फलस्वरूप हत्याएं एवं कई व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)--

प्राप्त सूचना के अनुसार जालौन जनपद में सिंचाई की असुविधा के कारण किसी भी प्रकार के दंगे या सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है । नहर के पानी की कुछ कमी बतायी गयी किन्तु सामान्य फसलें ठीक हैं ।

जालौन जनपद में बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा एवं कठौद शाखा द्वारा सिंचाई की जाती है । बेतवा नहर में पानी, माताटीला बांध, ढुकवा बांध तथा परीक्षा बांध से दिया जाता है । माताटीला, ढुकवा तथा परीक्षा तीनों जलाशयों की उपयोगी क्षमता 31,745 मिलियन घनफुट है । दिनांक 16 अक्तूबर, 1980 को उपरोक्त तीनों जलाशयों में 31,138 मिलियन घनफट पानी उपलब्ध था । उक्त जल में से 8,500 मिलियन घनफुट पानी मध्य प्रदेश को भी उनके शेयर के अनुसार दिया जाना था परन्तु उनको भी अभी तक 7300 मिलियन घनफुट पानी दिया गया है और शेष पानी नहीं दिया जा सका है । उक्त उपलब्ध जल के अनुसार बेतवा नहर प्रणाली को अधिक से अधिक चलाकर जालौन जनपद को पानी दिया गया है । माता टीला जलाशय से बबीना केन्टोमेन्ट तथा झांसी शहर की पेय जल उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए आवश्यकतानुसार न्यूनतम पानी रोककर शेष सभी पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा चुका है । प्रत्येक वर्ष की भांति जो पानी तालाबों में जानवरों को पीने के लिए दिया जाता था वह भी अब उपलब्ध कराना कठिन होगा । जलाशय में पानी उपलब्ध न होने के कारण अब नहरें बन्द हैं । बेतवा नदी के जलागमन क्षेत्र में इस वर्ष शीतकालीन वर्षा कम होने के कारण, शीतकालीन इनफलो सामान्य, लगभग 10,800 मिलियन घनफुट के विरुद्ध इस वर्ष केवल 4,330 मिलियन घनफुट रहा । शीतकालीन इनफलों में भारी कमी के कारण ही इस वर्ष रबी के अन्त में आवश्यकतानुसार नहर नहीं चलायी जा सकीं । इस वर्ष जालौन जनपद में 96,159 हेक्टयर प्रस्तावित रबी की सींच के विरुद्ध 1,19,330 हेक्टेयर की सींच अब तक अनुमानित है, जो पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक है । पानी की कमी के कारण कोई सूखे की स्थिति नहीं है ।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह प्रश्न केवल जालौन जनपद का नहीं है । बेतवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शंकर सिंह--]

नहर से जालौन में सिचाई बाद में होती है, झांसी में पहले होती ह, कठोत में होती है, हमीरपुर में होती है । मान्यवर, स्थिति इतनी गम्भीर है, कई पेपर्स बराबर लिख रहे हैं कि शाखा नहरों में पानी की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है । यही हमीरपुर का हाल है किसानों में पानी की कमी के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है । हमीरपुर के बारे में अपने कांग्रेस के विधायक श्री रणजीत सिंह का भी स्टेटमेन्ट है इस नहर के सम्बन्ध में कि झांसी जनपद में त्राहि-त्राहि मची हुई है । श्रीमन्, यह एक हमीरपुर की ही समस्या नहीं है, जालौन जिले में पानी नहीं। उरई में गेहूं की लहलहाती फसल नष्ट । यह सब समाचार-पत्रों "आज", "दैनिक जागरण" "कर्मयुग" आदि में पानी की कमी की खबर छपी है । श्रीमन् मैं यह जानना चाहूंगा कि बेतवा केनाल 'ए' कैटेगरी की नहर है । आपको शीतकालीन वर्षा पर नहीं निर्भर होना पड़ता इसी कारण से नहर को ए श्रेणी में रखा होता है कि शरतकालीन वर्षा न होने पर पानी मिल सके । लेकिन यह कहा गया कि शरतकालीन वर्षा नहीं हुई उसके कारण पानी नहीं दे सके । तो मान्यवर, यह बात नहीं जची । या तो नहर को ए श्रेणी में नहीं होना चाहिए । इसमें क्या सत्य है माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह जो पूछा गया है जनपद जालौन के बारे में । यह पहले भी पूछा गया था नियम 51 में नोटिस भी दी गई थी । उसका जो विस्तारपूर्वक वर्णन दिया गया है, मान्यवर मैं उसको बता दूं । हमीरपुर शाखा से जो सिंचाई होती है उसमें 19-10-80 से 29-11-80 तक 42 दिन चला । 12-11-80 से 25 दिन नहीं चला । 25-1-81 से 14-2-81 तक चला । 8-2-81 से 18-2-81 तक चला । लास्ट जो 8-3-81 से 21-3-81 तक चलना था उसमें डैम में पानी न होने के कारण पानी नहीं दिया जा सका । डैम में पानी न होने के कारण बबीना कैन्टोनमेंट से पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है । जो पानी है वह पीने के लिए रखा गया है । इसी सम्बन्ध में मैंने कल झांसी मंडल के मंडलायुक्त और सिचाई विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है ताकि यह तय किया जा सके कि कितना पानी है उसी हिसाब से पानी दे दिया जाय ताकि जो फसल सूख रही है उसे सूखने से रोकने की व्यवस्था की जा सके । मान्यवर, यह निर्णय कल हो जायेगा उसके बाद हम विचार कर सकते हैं । अगर पानी होगा तो हम उस पर विचार कर लेगें ।

श्री शंकर सिंह--

ठीक है मंत्री जी के पास सूचना थी उन्होंने रोस्टर बता दिया लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि फरवरी के महीने से जो आपका रोस्टर कहता है उसके हिसाब से जो नहरें चलाई गई यह एक चौथाई लेबिल पर खोली गई । एक हफ्ता ही नहरें चलीं उससे किसी का भला नहीं हुआ । यह मैं भी मानता हूं कि पिछले तीन सालों में इतना रकबा नहीं था । अब की बार किया गया । इस का कारण यह था कि अब की बार आप के अधिकारियों ने किसानों से यह कहा कि हमारे पास प्रयप्ति पानी बंधों में है, पानी की कमी नहीं है, आप गेहूं अवश्य बोयें । वहां पर मसूर होता है । चना होता है, जिससे किसानों की अच्छी आमदनी हो जाती है लेकिन आप के विभाग के अधिकारियों के कहने पर फसल बोई गई और आप कहते हैं कि इतनी ज्यादा कसानों को सिंचाई दी गई । वह तो पलेवा हो पाया जिसम

बहुत सिंचाई हो चुकी। पलेवा में किसान और लुट गया। अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। आज वहां पर अधिकांश फसलों के लिए पानी नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले तीन साल के सूखे, अतिवृष्टि से मरे हुए किसानों को अबकी बार आप के अधिकारियों न मार दिया। क्या फसल की क्षति पूर्ति करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय, मैंने पहले बताया कि जो वर्षा इस साल हुई उससे हमारे बंध भर गये थे और आशा यह थी कि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था पूरी हो जायगी। जो शीतकालीन वर्षा होती थी वह वर्षा इस साल बहुत कम हुई। 10800 मिलियन घन फुट की जगह 4330 मिलियन घन फुट वर्षा हुई। जाड़ों में वर्षा न होने के कारण जो पानी मार्च के महीने में देते थे वह नहीं दे पाये। उसमें दिक्कत पैदा हो गई। हम प्रयास कर रहे हैं कि माता टीला में पानी बचता है पीने के बाद तो हम उस के लिए व्यवस्था करेंगे।

*श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपन बड़े भाई वीर बहादुर का बड़ा आदर करता हूं लेकिन जो बात चौधरी शंकर जी ने उठाई उसके बारे में कहना चाहता हूं। यह नहर जो कठौद, हमीरपुर, जालौन जाती है झांसी से निकलती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि झांसी जनपद में इस बार बिलकुल सिंचाई नही हो सकी। आप के सिंचाई विभाग ने रोस्टर बनाया है। मेरे पास है यहां पर। इन्होंने इस रोस्टर में कहा है कि पांच बार पानी दिया गया लेकिन ये सिर्फ दो बार पानी दे पाये। श्रीमन् आप के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर से बात की। उन्होंने बताया कि एक्ज्यूक्यूटिव इंजीनियर की लापरवाही से रोस्टर गलत बनाया गया।

दूसरी बात जो चौधरी साहब ने पूछी मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। बुन्देलखण्ड नहर को सैड्यूल ए में रखा है। क्या इसे सैड्यूल बी में रखेंगे। सैड्यूल ए पैरिनियल के लिए होता है जहां बारहों मास पानी चले।

तीसरी बात इन का विभाग कार्मशियल विभाग नहीं है, जैसा इंजीनियरों ने इन को पढ़ा दिया कि हम ने सिंचाई बड़ी लम्बी चौड़ी की और हमारा पैसा बढ़ गया। इतना पलेवा किया गया कि इनके पास फसल को पानी देने की कोई गुंजाइस नहीं हुई। बुन्देलखण्ड में सूखे की स्थिति है। आप लोग कहते हैं कि बुन्देलखण्ड के लोगों के लिए पानी बहुत है। पानी पीने के लिए वहां का आदमी मोहताज हो रहा है। सिंचाई विभाग ने कहा कि पांच बार हमने पानी दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें माननीय मंत्री जी कि अब पानी न छोड़ें तो अच्छा है क्योंकि पानी का समय तो निकल गया, फसल सूख चुकी। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को गैर से शिकायत होती है। हम लोगों को अपनों से शिकायत है।

श्री भागीरथ—

मैं आप का····

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शंकर सिं—

सैड्यूल ए से बी में करगे····

*श्री भागीरथ—

मैं आप का आभारी हूं कि आज हमारे राजा साहब की वजह से और आप की कृपा से मुझे मौका मिला। लेकिन हमारे राजा साहब ने जो झांसी जनपद और सिंचाई के सम्बन्ध में आप से बात बताई वास्तव में इस बुन्देलखण्ड के लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वहां पानी खूब है। कहा जाता है कि पानी नहीं है। वहां पर वर्षा हुई है और यह जो कहा जा रहा है कि बारिश नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। आपको धोखा दिया जाता है। इसकी आप इन्क्वायरी करा लें और पानी की व्यवस्था करा दें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, सैड्यूल ए से बी में करने के बारे में मंत्री जी से जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, यह प्रश्न शंकर सिंह जी ने भी किया है और श्री रणजीत सिंह जूदेव ने भी किया है कि यह ए क्लास की है वह बी क्लास में कैसे जाता है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसको हम देख लेंगे। अगर पानी बराबर नहीं मिलता है, पैरिनियल नहीं है तो इस पर हम विचार कर लेंगे।

*श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि माननीय जूदेव जी ने कहा है कि इसमें विरोधाभास है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक रोस्टर बनाया और वह पांच पानी का बनाया। बाद में पता लगा था कि वह गलत बनाया गया था। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि क्या यह सही है कि जो रोस्टर बनाया गया वह गलत था? और यदि यह बात सही पायी जाती है तो उस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ आप कार्यवाही करगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने निवेदन किया कि जो रोस्टर बना था वह पांच पानी का नहीं बना था 4 पानी का बना था और यह हमीरपुर शाखा एवं कठौद शाखा के अन्तर्गत था। इस में तीन पानी की व्यवस्था की जा चुकी थी किन्तु माच में वह नहीं चल पाया। तीन तो ठीक चले लेकिन मार्च में जो अंतिम चौथा पानी देना था वह नहीं दिया जा सका। यह 19-10 से 29-11 तक यानी 42 दिन तक नहीं चला। इसी प्रकार कठौद शाखा से 14-2-80 से 25-2-80 तक यानी 11 दिन नहीं चला। आखिरी रोस्टर के लिए पानी नहीं चला।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आखिरी रोस्टर के लिये उनको पानी नहीं मिला । इसलिये आप इसकी जांच करें कि वह रोस्टर ही गलत बना था और किसानों को क्षति उससे हुई ।

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया)

श्री शंकर सिंह--

रोस्टर से जितने दिन आपने चलाया है वह हमारी नहरों से 4,200 क्यूसेक पानी दिया और उसकी कम क्यूसेक पर चलाया जिससे कि किसानों का आपस में झगड़ा हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको पूरी क्षमता पर चलाया है अथवा नहीं ? दूसरा सवाल यह था कि ए से बी श्रेणी की जो बात थी उसके सम्बन्ध में आपने कहा कि आप विचार कर लेंगे लेकिन इससे किसानों को जो क्षति हुई है और वह भी आपके अधिकारियों की नीति के कारण और उन्हीं का उसमें दोष होने के कारण, उसके सम्बन्ध में क्या आप उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि हम लास्ट में पानी इसलिये नहीं दे पाये कि अमूमन जाड़े में बारिस हो जाया करती थी वह इस साल कम हुई । इसलिये हम पानी आखीर में मार्च म नहीं दे पाये । यह विभागीय अधिकारियों की गलती से नहीं हुआ है । वैसे आप जांच करवानें के बारे में कहेंगे तो हम उनको देख लेंगे लेकिन वास्तविक बात यह है कि जाड़े में वर्षा न होने के कारण ऐसा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री दलगंजन सिंह के हाथ जोड़ने पर) आप हाथ मत जोड़े आप पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं थे । क्या आपने वक्तव्य पढ़ा है ?

श्री दलगंजन सिंह--

जी हां ।

श्री अध्यक्ष--

केवल प्रश्न करें भाषण नहीं ?

श्री दलगंजन सिंह--

मैं आप के माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नवम्बर और दिसम्बर, 1980 में पारीक्षा डैम के इस्केप से और कुठौवा इस्केप से ज्यादा पानी चला गया जिस कारण बाद में पानी की कमी हो गयी ? तो क्या इस बात की जानकरी मन्त्री जी को है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है लेकिन जो शेड्यूल है उसके अनुसार पानी दिया गया ।

श्री बलगंजन सिंह—

यह जो पानी की कमी हुई है वह केवल अधिकारियों के कारण हुई है क्योंकि परीक्षा डैम और कुठीवा शाखा के इस्केप से ज्यादा पानी चला गया और जो आपका मध्य प्रदेश से पानी देने का अनुबंध था उसके अतिरिक्त भी पानी एम० पी० को दे दिया क्या इसकी जानकारी है ? क्या वह इसकी जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा इतनी विस्तृत जानकारी अभी नहीं है । जो शेड्यूल बना हुआ था उसी के अनुसार पानी चलाया गया । माननीय सदस्य को कोई जानकारी है तो उसको वह देंगे तो जानकारी करा लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

जांच कराने में क्या परेशानी है ?

श्री बलगंजन सिंह—

माध्यवर, नियम 51 का जो परपज था कि हर चीज का उत्तर देंगे वह नहीं आ रहा है इसमें किस तरह से अधिकारियों ने काम किया है क्या इसकी हाई लेवल जांच करायेंगे, किसी दूसरे डिविजन के चीफ इंजीनियर से इसकी जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसकी जांच चीफ इंजीनियर से करा लेंगे ।

श्री शंकर सिंह—

एक प्रश्न और करना चाहता हूं । क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि दिनांक 8, मार्च को जब माननीय मुख्य मन्त्री जी कालपी पधारे थे और हमारे राज्य मन्त्री भी साथ में थे, वहां पर उन्होंने आवश्वासन दिया था कि नहरें अवश्य चलायी जायगी और माननीय मन्त्री जी ने यहां पर वक्तव्य दिया है कि नहर नहीं चलायेंगे तो इन दोनों में से कौन सी चीज सही है ?

दूसरा यह कि बबीना केंट और झांसी के लिये पानी रोक दिया गया है । तो क्या बबीना और झांसी के लिये अविलम्ब इतने नलकूप खोदने की कृपा करेंगे जिससे उनको पानी की सप्लाई कराई जा सके और बंधे का पानी किसानों को दिया जा सके क्या इस बात का आश्वासन मन्त्री जी देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने अभी बताया कि हमने झांसी के कमिश्नर, पुलिस के लोगों और सिंचाई विभाग के लोगों की मीटिंग बुलाई है । इस समय जो पानी पीने के लिये है उससे लगता है चार फीट ज्यादा पानी है तो उसके लिये जल निगम से कहा है कि अगर वह पानी दे दिया जाय तो पीने के पानी की दिक्कत तो नहीं हो जायेगी । कल हमने मीटिंग बुलाई है सिंचाई सचिव को बुलाया है उसमें बैठ कर तय करेंगे कि कैसे पानी कालपी तक पहुंचेगा रास्ते में कटिंग तो नहीं होगी ।

जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक का डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिये जाने एवं तीन दिन तक उनको बन्दी बनाये रखने से जनता में आतंक के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक जालौन का गत 19 फरवरी, 1981 को कोई अपहरण नहीं किया गया । यह पूर्णतः निराधार है कि उन्हें तीन दिन तक बन्दी बनाये रखा गया तथा डकैतों के खिलाफ कार्यवाही न करने की शर्त पर छोड़ा गया । अतः जनता में आतंक एवं पुलिस दल में निराशा छाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

उक्त विषय पर माननीय सदन को यह भी अवगत करा देना असंगत न होगा कि पुलिस अधीक्षक जालौन डाकुओं के विरुद्ध अभियान में दृढ़ता से लगे हुये हैं, जिसके फलस्वरूप 19 से 25 फरवरी, 1981 की अल्प अवधि में ही 15 डकैत मारे गये हैं और इन डकैतों से काफी मात्रा में अवैध शस्त्र भी बरामद किये गये हैं ।

श्री शंकर सिंह—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो समाचार था, वह 19, 20 व 21 का था, तो इन तारीखों में पुलिस अधीक्षक महोदय, यदि डायरी रखते हों तो उससे बतायें, कहां-कहां रहे ? तथा 19 और 20 तारीख के बीच में जो मुठभेड़ें हुई, उन मुठभेड़ में वह उपस्थित थे या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि अपहरण हुआ नहीं, तो अब इससे सम्बन्धित कोई प्रश्न उठता नहीं है....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अपहरण नहीं हुआ, यह आपने वक्तव्य दे दिया, माननीय सदस्य इस पर कुछ जांच ऐसी कर रहे हैं । वक्तव्य में आप सही कह रहे हैं या नहीं, इसलिये यह पूछ रहे हैं कि वह उन दिनों कहां थे और उनकी डायरी में इस बारे में इन तारीखों का क्या उल्लेख है ?

श्री शंकर सिंह—

जब 15 डाकू वहां मारे गये, तो उन मुठभेड़ों में उनका होना लाजिमी है, तो आप बता दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह 19, 20 व 21 तारीख के बीच में लगातार अपने कार्यों में संलग्न रहे और यह कहां-कहां, किस-किस जगह रहे, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो पुछवा लेते । लेकिन वह अपने कार्यों में अपनी ड्यूटी पर रहे ।

श्री दलगंजन सिंह--

उनका वास्तव में अपहरण हुआ है और उसका कोई भी स्पष्टीकरण मन्त्री जी को मालूम नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

वह डाकुओं का इलाका है, पुलिस अधिकारी को जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। हो सकता हो इसी दृष्टि से वह कोई दावत आदि खाने उनके साथ गये हों, तो इस बारे में साफ जवाब तो आना चाहिये ? तीन दिनों तक उनके यहां मिलने वाले लोग जाते रहे, उसकी डायरी होती है, प्रोग्राम होता है, तो आपका उसकी डायरी और रोजनामचा इस सदन मे रख दें, यह ज्यादा अच्छा होगा। अभी नहीं है तो कुछ दिन बाद रख दें, जिससे माननीय सदस्यों को सही जानकारी हो जाए कि वाकई उनका अपहरण किया गया था या स्वयं गये थे ?

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--

मंत्री जी यह भी बता दें कि शंकर सिंह और दलगंजन सिंह जी कहां थे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, वैसे यह बिना जड़ के पौधा खड़ा करने का प्रयास है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि शायद मोहन सिंह जी को तारीख याद होगी कि 21 तारीख को मैं स्वयं उस क्षेत्र में--कानपुर में गया था। वहां मीटिंग थी, जिसमें जालौन के एस0 पी0 बुलाये गये थे और वह सारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे।

श्री शंकर सिंह--

21 को तो वह छूट गये हैं, पहले की स्थिति बताइये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

किस-किस घंटे यह कहां रहे और क्या-क्या कार्य किये, यह वह अलग-अलग अगर जानना चाहते हैं तो मैं लिखित रूप से इसकी जानकारी जुटा दूंगा, यह जानकारी आपको मिल जाएगी।

श्री शंकर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी को यह भी विदित है कि यह प्रश्न राज्य सभा में भी उठा था और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से भी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हासिल की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या सूचना भेजी थी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह सवाल राज्य सभा में उठा था और तत्काल ही उत्तर दे दिया था कि कोई किडनेपिंग नहीं हुयी थी।

आगरा लखनऊ रात्रिकालीन बस को गुरुसहायगंज तथा छिबरामऊ के बीच जी0 टी0 रोड पर बदमाशों द्वारा लूट-पाट एवं लड़कियों का अपहरण करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

दिनांक 25/26 फरवरी, 1981 की रात्रि में बस नं0 यू0 आर0 एल0 4749, जो आगरा से लखनऊ रात्रि बस सेवा में जा रही थी, लगभग 12·50 बजे

छिबरामऊ पहुंचो, जहां कुछ देर रुकने के बाद और सवारियां लेने के पश्चात् यह बस लगभग 1·00 बजे आगे जाने के लिए चली । इस बस में दो सशस्त्र आरक्षी बस की सुरक्षा के लिए आगरा से चले थे । जब यह बस ग्राम सलेमपुर के पास पहुंची तो सात–आठ बदमाशों ने, जो सशस्त्र थे, दोनों सिपाहियों पर प्रहार करके घायल कर दिया और रायफलें छीनने में सफल हो गये । इस बीच बदमाशों ने गाड़ी रुकवा दी और बस के अन्दर और बाहर फायर किया । बदमाशों की इस फायरिंग से किसी को चोट नहीं आयी यद्यपि एक यात्री को बस का शीशा टूटने से मामूली चोट आयी । इस दौरान सभी सवारियां पिछले दरवाजे से निकलकर अंधेरे में छिप गयीं । बदमाशों के चले जाने के बाद ड्राइवर से इस घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर तुरन्त पहुंची । उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना छिबरामऊ में धारा 395/397 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास प्रचलित हैं ।

किसी यात्री अथवा आरक्षी के अपहरण की बात सही नहीं पायी गयी । यह भी सही नहीं है कि एक सप्ताह में बस लूटने की जिला फर्रुखाबाद में हुई यह दूसरी घटना है और न ही इस घटना से कोई भय व्याप्त है । राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से जारी है ?

श्री मोहन सिंह––

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बदमाश रास्ते में बस पर चढ़े थे । तो जब वे चढ़े होंगे, उनके पास अस्त्र–शस्त्र भी थे जिनसे उन्होंने फायर किया । तो क्या इसकी जांच पड़ताल करायी गयी कि जब वे बदमाश बस में आरूढ़ हुए थे तो उनके पास कोई असलहे थे और जब उन्होंने फायर किया तो कितने आदमी बस के बाहर और कितने अन्दर घायल हुए थे ?

श्री अध्यक्ष––

यात्रियों के घायल होने को और कहां से वे बस में चढ़े दोनों बातें वक्तव्य में आ गयी हैं ?

श्री रियासत हुसैन––

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि धारा 395/397 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था तो जो बस में लूट हुयी उसका मोटिव क्या था ? क्या कुछ माल जैसे रुपया, पैसा, घड़ी आदि इस तरह की चीजें छीनी गयी या केवल वे हथियार ही लेने चढ़े थे, कुछ माल भी लूटा गया था या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

वे केवल हथियार ही ले गये और किसी प्रकार की लूट नहीं हुयी ।

श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि वे कहां से चढ़े थे ?

श्री अध्यक्ष––

इसका उत्तर वक्तव्य में आ गया है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, बदमाश लोग छिबरामऊ से चढ़े और जो बस में रक्षक लोग बैठे हुये थे, सुरक्षा के लिए हथियारबन्द क्या उनकी रायफलें भरी हुयी थीं, जब ये लोग 8 की संख्या में चढ़ थे और उनके पास हथियार भी थे ? इसमें यह जानकारी नहीं है कि जो सिपाही बैठे थे उनको यह जानकारी क्यों नहीं थी कि बस में जो लोग आकर बैठे हैं वे कैसे हैं ? फिर सिपाहियों पर बदमाशों ने किस चीज से फायर किया ? किस प्रकार की चोटें सिपाहियों को आयी हैं और क्या सिपाहियों ने भी पहले कोई प्रहार किया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इस सब की अभी पूरी विवेचना की जा रही है। जिस तरह से सामान्य यात्री आकर बैठते हैं उसी तरह से यह बदमाश भी आकर बैठ गये। अब किसी यात्री की तलाशी तो ली नहीं जाती। फिर रिवाल्वर जो होता है वह छिपा रहता है। जो दोनों आरक्षी थे वे कन्डक्टर की सीट पर बैठे थे। उन लोगों ने पीछे से आकर दोनों आरक्षकों की राइफलों को पकड़ लिया और छीना-झपटी होने लगी। उनमें से एक ने फायर किया जिसके छर्रे से एक सिपाही के चोट आयी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, एक सिपाही अगली सीट पर बैठा था और दूसरा पिछली सीट पर बैठा था। मैं जानना चाहता हूं कि बदमाशों ने किस चीज से प्रहार किया। सिपाहियों की चोटें किस प्रकार की हैं ? सिपाहियों की चोटों की कोई डाक्टरी रिपोर्ट आपके पास है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह तो मैंने बताया कि सिपाही दोनों अगली सीट पर बैठे थे, जो जानकारी में अब तक आया है वह यह है। एक सिपाही को चाकू से चोट आयी है और एक के छर्रा लगा है। फायर छत के ऊपर हुआ है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि एक सिपाही आगे बैठा हुआ था और दूसरा पीछे बैठा था। अगर आपको जानकारी नहीं है तो क्या आप इसकी पूरी जांच कराकर सदन को उसकी जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह तो विवेचना अभी हो रही है। उन लोगों के आचरण की भी विवेचना हो रही है।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, सरकार गार्ड्स को पैसेन्जर्स की सुरक्षा के लिये रखती है, और यह गार्ड्स पसेन्जर्स की तो क्या अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाये। तो क्या प्रशासन में चुस्ती लाने के लिये सरकार इन दोनों गार्ड्स के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी और इनको सस्पेंड करेगी जिनकी लापरवाही के कारण यह घटना घटी ?

राजेन्द्र त्रिपाठी––

उनकी कर्त्तव्यपरायणता के बारे में क्या–क्या बातें हैं, इसकी विवेचना की जा रही है, उसमें सब कुछ आ जायगा ।

श्री धनीराम वर्मा––

मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि चोट कैसे उस सिपाही के अंग में आ गयी, जबकि खिड़की के नीचे उसका वह अंग रहा है । इससे यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि यह चोट बनायी गयी है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब फायर बाहर से हुई, तो चोट उसके उस अंग पर कैसे आ गयी जोकि बस की खिड़की के नीचे था ।

श्री अध्यक्ष––

आप प्रश्न कीजिए । क्या प्रश्न है आपका ?

श्री धनीराम वर्मा––

फायर जब बाहर से हुई बस में और चोट अन्दर बैठे हुए सिपाही को लगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि फायर बाहर से किया था, लेकिन वह जो फायर बदमाश ने किया है, उसके चोट नहीं आई, बल्कि अन्दर चोट आई, जब सिपाही बैठा हुआ था, तो अन्दर चोट कैसे आ गयी ? मान्यवर, क्या यह सत्य नहीं है कि फायर बाहर से की हुई है, उसकी चोट सिपाही पर नहीं है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

मान्यवर, आपने कहीं जिक्र नहीं किया है कि बदमाशों के द्वारा चोटें आई हैं और न आप हमारी सुनिश्चित जानकारी पर ही बताने को तैयार हैं कि एक सिपाही आगे बैठा हुआ था । और एक सिपाही पीछे बैठा हुआ था ।

श्री अध्यक्ष––

आप प्रश्न करें । क्या प्रश्न कर रहे हैं आप ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

मान्यवर, आपने यह कहा है कि बदमाशों के फायर करने पर सिपाही को चोट आई है, तो कोई डाक्टरी रिपोर्ट है ?

श्री अध्यक्ष––

माननीय मंत्री जी कोई डाक्टरी रिपोर्ट है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

मान्यवर, डाक्टरी रिपोर्ट है ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है, उससे यह पता चला कि बदमाशों ने सिपाही को चाकू दिखाकर बंदूक छीन लिया और उनको घायल कर दिया । तो क्या ऐसे बहादुर सिपाही को दंडित करने की भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद 5 बजकर 17 मिनट पर सदन अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
10 मार्च, 1981

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1223 पर)

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ।

23-7-80

महोदय,

निवेदन है कि नौतनवां थानाध्यक्ष पता नहीं क्यों क्षेत्र के लोगों की निरन्तर उपेक्षा कर रहे हैं और अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं । जनता का जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी तकलीफ कहने जाता है उसे यह कहकर भगा देते हैं कि लिखित लेकर आओ और जब लिखित अर्जी लेकर जाता है तो उससे पहले यह सवाल करते हैं कि यह कौन लिखा है ? अगर प्रार्थी लोकदल या जनता पार्टी का समर्थक या कार्यकर्ता का नाम या उस व्यक्ति का नाम जिससे थानाध्यक्ष पूर्वाग्रही हैं बताता है तो उसको मां, बहन बेटी की हजार-हजार गाली देते हुये प्रार्थी को गाली देते हैं और अर्जी प्रार्थी के मुंह पर फेंकते हुये थाने से भगा देते हैं और यह भी कहते हैं कि सभी सालों को देख लेंगे यही नहीं बल्कि जो भी अपराध क्षेत्र में जैसे डकैती, चोरी, राहजनी आदि होते हैं उनको अपने कुछ दलालों तथा सिपाहियों से डरवा धमका कर रपट दर्ज कराने आने वालों को भगा देते हैं । रपट दर्ज नहीं करते हैं । इसका नतीजा यह है कि असामाजिक तथा अपराधी तत्वों का मन बढ़ता जा रहा है यहां तक कि वे थानाध्यक्ष के ही साथ बैठ कर चाय पीने से लेकर घूस तक में शामिल रहते हैं ।

थानाध्यक्ष की इस तानाशाही रवैये से क्षेत्र के भले लोग अपनी सुरक्षा और इज्जत खतरे में पा रहे हैं और बेहद परेशान हैं । मैं कुछ नीचे डकैती, चोरी और राहजनी की घटनाओं का विवरण दे रहा हूं जिसकी जांच आप स्वयं या अपने किसी निष्पक्ष विश्वस्त सूत्रों से गांव में भेज कर करा लें । जनता से पूछने पर सारी कलई खुल जायेगी ।

इस बात को अगाह कर देना चाहता हूं कि इसकी जांच सी० ओ० महराजगंज श्री जे० एस० पांडे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कर्मवीर सिंह से किसी भी हालत में न कराया जाय । उक्त लोगों से 15/16 मई, 80 की रात को सौनपिपरी में पांच-छः घरों बकुन्ना, मनोहर, नसीर, कुचूर और मोहन के घर सशस्त्र डकैती पड़ी, जब थाने पर रपट दर्ज कराने आये तो उन्हें बहला कर तथा धमकी देकर भगा दिया तथा रपट दर्ज नहीं किया गया ।

दिनांक 15/16 जून, 1980 की रात शिवपुरी में चार घरों सुहेल मौजम साकिर और युसूफ के घर डकैती पड़ी परन्तु यह भी रपट दर्ज नहीं हुआ, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान सहित कई लोगों के हस्ताक्षर से आपके पास रजिस्ट्री द्वारा सम्भवतः पहुंचा होगा ।

दिनांक 19/20 जून, 1980 की रात्रि को गोपलापुर गांव सभा महुवां के चार पांच घरों में डकैतों ने लूटा, बम से प्रहार किया, जिसमें एक महिला भी घायल हुई किन्तु पुलिस ने रपट दर्ज नहीं किया ।

13 जुलाई, 1980 को सरेआम लगभग 8-9 बजे थाने से लगभग डेढ़ किलो मीटर दूर लोहसी गांव के निकट कुछ शस्त्र लुटेरों ने हरिराम जो कि क्रय-विक्रय समिति नौतनवां में काम करता है सहित 10 व्यक्तियों को धमका कर बारी-बारी लूट लिया जिसमें लोगों के घड़ी रुपया शामिल है । इस पर भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया ।

आज से चार पांच रोज पहले आराजी सरकार उर्फ बंरिहवां पहाड़ीडीह के आजाद नामक व्यक्ति के यहां चोरी हुई रपट लिखाने थाने पर, थानाध्यक्ष ने गाली देकर भगा दिया ।

दिनांक 3 जून, 1980 को इनके आचरण सम्बन्धी पुलिस बलात्कार की घटना एक शिकायत थानाध्यक्ष सोनौली के एक हरिजन महिला आपके पास गयी जिसमें सौनौली बॅरियर के इन्चार्ज दरोगा होजिर हो गये किन्तु इनके खिलाफ जांच चल रही है ।

भैंस बरामदगी का मामला पैसा लेकर छोड़ा गया

3 जून, 1980 को नई गेट का चौकीदार नेपाल से चोरी की गयी आठ भैंसें कोट के पास जब मुलजिम सहित पकड़ कर थानाध्यक्ष के सुपुर्द किया । किन्तु थानाध्यक्ष ने बजाय कि मुकदमा कायम कर बन्द करें उल्टे नेपाल पुलिस के जरिये भैंस मालिकों को बुलाकर पैसा लेकर उन्हें भैंस वापस कर दिये और दूसरे मुलजिमों को भी पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिये ।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त आरोपों की जांच करें । इतना जरूर मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि सी० ओ० जे० एस० पाण्डेय तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कर्मबीर सिंह से जांच न करायी जाय ।

प्रार्थी

अबरार इराकी,

थाना नौतनवां, गोरखपुर ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1239 पर)

अनुसूची

वर्ष		वर्ष में कुल पथकर वसूली	वर्ष का कुल व्यय
		रु०	रु०
18-8-62	31-3-63	1,76,874·00	2,15,110·00
1963-64		1,99,092·00	3,74,627·00
1964-65		1,92,515·00	4,06,016·00
1965-66		2,36,268·00	4,91,037·00
1966-67		2,95,858.00	5,08,870·00
1967-68		3,27,527·00	5,31,090·00
1968-69		4,47,590·00	4,67,975·00
1969-70		5,15,067·00	4,69,198·00
1970-71		5,63,271·00	4,81,250·00
1971-72		5,62,333·00	5,32,390·00
1972-73		5,25,213·00	5,31,302·00
1973-74		5,11,253·00	5,88,918·00
1974-75		5,10,209·00	7,06,114.00
1975-76		8,25,952·00	7,78,312·00
1976-77		12,47,419·00	7,78,548·00
1977-78		11,77,273·00	7,26,161·00
1978-79		12,51,575·00	6,81,048·00
1979-80		15,23,101·00	6,23,997·00

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1243 पर)

तालिका

श्री रामफल, अवर लिपिक के प्रवर लिपिक के पद पर पदोन्नति का मामला अन्य कर्मचारियों के साथ चयन हेतु दिनांक 1-12-1979 में चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु इनकी वर्ष 1975-76, 76-77, 77-78 एवं 78-79 की गोपनीय प्रविष्टियां उस समय उपलब्ध न होने के कारण अन्य व्यक्तियों के समान इनका भी मामला प्रतीक्षा में रखा गया तथा इनके लिए पदोन्नति का एक स्थान रिक्त रखा गया । उक्त गोपनीय प्रविष्टियां दिनांक 25 मार्च, 1980 को उपलब्ध होने के उपरान्त इनके मामले पर पुनः विचार किया गया तथा उपर्युक्त पाये जाने के फलस्वरूप पदोन्नति के उपरान्त इनकी नियुक्ति निर्माण खंड, रुड़की में की गई । पदोन्नति के समय उपलब्ध लखनऊ में रिक्त स्थानों पर सर्वश्री सूरज प्रसाद कुरील तथा उमेश चन्द्र श्रीवास्तव की नियुक्ति क्रमशः कार्यहित एवं विद्युत अनुरक्षण खंड नं0 1 में अधिशासी की संस्तुति के आधार पर की गई थी । निर्माण खंड रुड़की में तैनाती के विरुद्ध श्री रामफल ने दिनांक 14 मई, 1980 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया किन्तु लखनऊ में स्थान रिक्त न होने के कारण इन्हें लखनऊ में पदोन्नति नहीं दी जा सकती थी । श्री रामफल ने दिनांक 8 जुलाई, 1980 को पुनः इस आशय का प्रत्यावेदन दिया कि यदि उनको पदोन्नति करके उन्हें लखनऊ में तैनात नहीं किया जा सकता तो उनकी पदोन्नति एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाय । इनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इनको दिनांक 22 जुलाई, 1980 को सूचित कर दिया गया । इस प्रकार इनकी पदोन्नति के प्रश्न पर अब दिनांक 21 जुलाई, 1981 के पश्चात विचार किया जाना सम्भव है । जहां तक श्री अनिरुद्ध कुमार श्रीवास्तव, प्रवर लिपिक का स्थानान्तरण राष्ट्रीय मार्ग, शाहजहांपुर से यांत्रिक खंड लखनऊ में किये जाने का प्रश्न है, यह स्थानान्तरण माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी के आदेशानुसार 12 सितम्बर, 1980 को किया गया । इस स्थानान्तरण के मामले से श्री रामफल का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इन्होंने माह जुलाई, 1980 में ही एक वर्ष के लिए अपनी पदोन्नति त्याग दी थी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 83 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1261 पर)

संलग्न तालिका

1--फ्रूट ऐन्ड वेजीटेबुल प्रिजर्वेशन ।

2--जनरल इंजीनियरिंग ऐन्ड जाबिंग वर्कशाप ।

3--साइकिल पार्टस ऐन्ड एक्सेसरीज ।

4 --फाउण्टेनपेन ।

5--आर्टीफिसियल ज्वैलरी प्लास्टिक ।

6--कांच के खिलौने ।

7--पेस्टीसाइड ऐन्ड इन्फेस्ट्रीसाइड फार्मुलेशन ।

8--साइकिल टायर्स तथा ट्यूब ।

9--वीविंग आफ इन्टरलाक क्लाथ ।

10--क्रैन्क साफ्ट गाइडिंग ।

11--पेन्ट्स वार्निश ।

12--लेदर गुड्स ।

13--डिटर्जेन्ट पाउडर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1266 पर)

दिनांक 1-1-1980 से दिनांक 31-12-1980 तक लखनऊ नगर महापालिका क्षेत्र के अलग-अलग थानों में लिखाई गई रिपोर्टों के अनुसार औरतों की जंजीर छीनने सर्राफा लूटने, राहजनी और कत्ल (धारा 302/304 भा0 दं0 वि0) की घटनाओं का विवरण।

थाने का नाम	औरतों की जंजीर छीनना	सर्राफा लूटना	राहजनी	कत्ल (302/304 भा0 दं0 वि0)
केसरबाग	3	..	10	1
अमीनाबाद	2	1	4	2
नाका	5	..	11	6
हुसेनगंज	..	..	8	3
हजरतगंज	9	..	19	2
हसनगंज	6	..	14	6
महानगर	7	..	21	2
चौक	4	..	6	8
वजीरगंज	10	..	7	1
बाजार खाला	5	..	15	3
सआदतगंज	1	..	..	5
आलमबाग	..	..	3	7
कृष्णानगर	3	..	8	4
कैन्ट	..	..	7	1

नत्थी 'छ'।

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1271 पर।)

संलग्नक—1

जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक दर्ज रपटों की संख्या

	जिले में	महाराजगंज थाने में	श्याम देउरवा थाने में	चौरी चौरा थाने में	झगहा थाने में	गगहा थाने में
डकैती	135	13	2	9	2	11
कत्ल	72	2	2	3	5	..
चोरी	898	15	16	16	8	21
बमकाण्ड	1	..	..	..	..	..
बलात्कार	10	1	..	1	..	2

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

संलग्नक–2

रपटें दर्ज कराने वालों के नाम एवं कृत कार्यवाही का विवरण

	डकैती	कत्ल	चोरी	बलात्कार
	1	2	3	4
थाना महराजगंज	सर्वश्री रामलखन, जनार्दन पान्डे, रामधनी, विद्यानन्द शर्मा, जगदीश गुप्ता, रामपती गुप्ता, बंशी यादव, रामधारी यादव, मूरत कुर्मी, झिनकू टूअर, हंसराज एवं भज्जन 7 मामले चालान हुए, 4 का पता नही लगा, 2 में विवेचना पूरी नहीं हुई है	सर्वश्री रामनयन एवं प्रताप हरिजन/दोनों मामलों में चालान हुए	सर्वश्री राघेश्याम, भोलई प्रसाद कपिलदेव, फेकू दुखी प्रसाद, पारसनाथ, रामकिशोर, बेचन, पंचम यादव, रामवृक्ष, श्री लाची बब्बन मिश्रा, जगदीश प्रसाद गौरी शंकर केशव । दो का चालानहुआ शेष का पता नहीं लगा	श्री पत्ती का चालान किया गया।
थाना श्याम देउरवा	सर्वश्री हंसराज एवं श्याम लाल एक मामले का चालान हुआ एक का पता नहीं लगा	सर्वश्री जगई एवं बुद्धन । एक का चालान किया गया एक का पता नहीं लगा।	सर्वश्री राजाराम, राजेन्द्र सिंह, सादिक खां, पारसनाथ, रामरेखा, श्री कृष्ण सिंह, लाल बचन सिंह, फेकनी, जगदीश, बब्बन मिश्रा राधेश्याम श्रीमती लाची, बटुकदेव, गुलाब, रामदेव सिंह, ताजुउदीन अली । एक झूठी पायी गयी । सात चालान हुयी । आठ का पता नहीं लगा ।	

थाना गगहा	मु0 तेतरी, श्री मोती सिंह, श्रीमती राजपती श्री मार्कन्डय नायक, श्रीमती अवधा देवी, सर्वश्री राम प्रकाश यादव, रामदास, रामहित, जोखन अछैवर, पवहारी । एक का चालान किया गया, दो का पता नहीं लगा तथा 8 में विवेचना पूरी नही हुई है		सर्वश्री मुरई, राम अधार, राम प्रसाद प्रेम प्रकाश, दुखी प्रसाद, ओंकार नाथ, पन्नालाल नायक, छोटे लाल लाल बहादुर, धनताल, पतरी श्री नारायन दूबे, प्रभू मुक्तिराय, अनन्त राम चौधरी, सत्यनाथ रामबचन, बोरपाल सिंह, राघव प्रसाद राम प्रसाद सिंह, राम सकल । एक झूटा पाया गया, 8 चालान किया गया । शेष का पता नहीं लगा ।	श्रीमती सुमित्रा देवी एवं तुलसी । चालान हुआ ।
थाना चौरा चौरी	सर्वश्री कैलाश चन्द्र, श्रीपति, राम लगन, बोधी यादव सत्य नारायन अमीन, उमाशंकर, मेवालाल, कुमार । एक झूठी पायी गयी दो का चालान हुआ, चार का पता नहीं लगा, दो में विवेचना अपूर्ण है	सर्वश्री रहमान, श्याम लाल, राजकुमार । एक का चालान हुआ । 2 का पता नहीं लगा	सर्वश्री रामबचन, परमा, रमाशंकर राधेश्याम पान्डे, जलालुद्दीन, लाल यादव, रामवृक्ष, गोपीचन्द्र, हजारी लाल, जोखू, शिव प्रसाद, वीरेन्द्र प्रसाद सफी उल्लाह, मनेजर सुगर मिल, प्रेम किशोर राम चन्द्र। 3 झूठी पायी गयी 6 का चालान किया गया। 6 का पता नहीं लगा एक में विवेचना अपूर्ण है	श्री बासु देव का चालान किया गया ।।
थाना झगहा	सर्वश्री रक्षा कोइरी एवं रामपति । एक का चालान किया गया एक पता नहीं लगा	श्रीमती गुजराती सर्वश्री ज्वाला राय, सुदामा सिंह, रामलखन, राम अवध । 3 का चालान दो में हुआ । विवेचना अपूर्ण है	सर्वश्री मंगरू, बालगोविन्द, शिव शंकर, संतराज, श्री केवट ढंगपाल चन्द्रिका प्रसाद पूजन । चार का चालान हुआ । शेष का पता नहीं लगा	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 148 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1282 पर)

विवरण सूची

(1) श्री बी० पी० मौर्या, कम्पनी कमान्डर, रेलवे सुरक्षा बल न दिनांक 19-1-1981 को इस आशय की सूचना दी कि मालगाड़ी नम्बर 334 डाउन के बैगन संख्या ई० आर० एन० 3726 को जब दिनांक 12-1-1981 को मालगोदाम में चेक किया गया तो सेना के कारतूसों के 17 बक्से टूटे मिले। बक्सों की चेकिंग से 50 कारतूस, 762 एम०एम० तथा 27 कारतूस ग्रीन सिगनल अर्थात् 77 कारतूस कम मिले। उपरोक्त सूचना के आधार पर अपराध संख्या 43 धारा 379 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है।

(2) श्री बी० पी० मौर्या, कम्पनी कमान्डर, आर० पी० एफ०, लखनऊ ने दिनांक 19-1-1981 को थाना, चारबाग, लखनऊ पर यह सूचना दी कि दिनांक 14-1-1981 को वैगन संख्या 35080 (डेन्जरेस एक्स-लोसिव गुड्स) को जब श्री ए० एन० हैदर, असिस्टेंट गुड्स क्लर्क, लखनऊ द्वारा अनलोड किया गया तो उक्त बोगी जिसमें जबलपुर से भजे गये 27 पैकेज होना चाहिये थ, केवल 24 पैकेज मिले। इस सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 46, अन्तर्गत धारा 379 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया। मामले में में अभी विवेचना जारी है।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 164 का उत्तर पीछे 1287 पृष्ठ पर)

वित्तीय वर्ष 1979-80 (1-10-79 से 31-3-80) में हुए व्यय का विवरण :

		रु0
1--फावड़ा	150 नग	3,400·00
2--गैंता	150 नग	4,650·00
3--तिरपाल	40 नग	49,481·39
4--टार ब्वायलर	5 नग	9988·00
5--बुरमुट	125 नग	2075·00
6--पंजी	200 नग	3850·00
7--तसला	50 नग	750·00
8--साधारण रोलर	5 नग	25,129·29
	योग	99,323·67
अन्य मदों पर जैसे अलमारी टेबुल, कुर्सी आदि पर व्यय		3,442·15
	कुल योग	1,02765·82

वित्तीय वर्ष 1980-81 (1-4-80 से 15-11-80 तक) में हुए व्यय का विवरण :

1--छोलदारी	6 नग	4410·00
2--मिनीतार ब्वायलर	13 नग	48,357·50
	योग	52,767·50
अन्य मदों पर जैसे पंखा, आलमारी ग्रिटमिक्सिंग पैन, टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग मशीन ब्लू पिंटिंग मशीन आदि पर व्यय		1,12,243·17
	कुल योग ..	1,65,010·67

पी0 एस0 ए0 पी0--38 वि0 सभा-19-8-1982--835 (पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा